MAED-603 Semester III

अध्यापक शिक्षा

Teacher Education

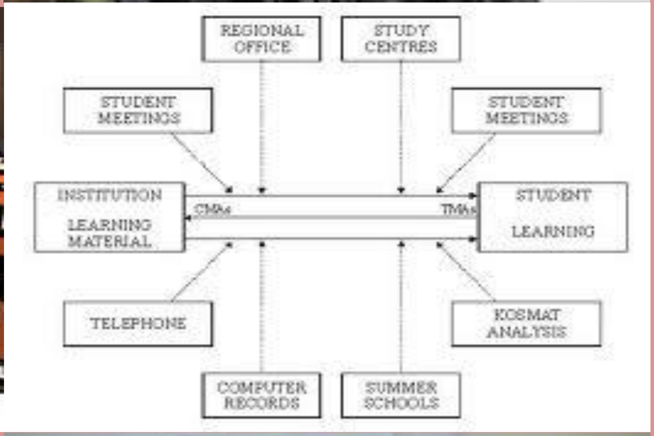

शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड			
प्रोफेसर जे0के0 जोशी निदेशक शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ,उत्तराखण्ड	प्रोफेसर एन0 एन0 पाण्डेय(सदस्य) शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	प्रोफेसर गिरिजेश कुमार (सदस्य) शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	प्रोफेसर रोमेश वर्मा(सदस्य) शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ,उत्तराखण्ड
डॉ0 दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 रजनी रंजन सिंह सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 प्रवीण कुमार तिवारी सहायक प्राध्यापक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	सुश्री ममता कुमारी सहायक प्रोफेसर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ0 कल्पना पाटनी लखेड़ा सहायक प्राध्यापक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मनीषा पंत परमर्शदाता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय , हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्री सिद्धार्थ पोखरियाल संविदा शिक्षक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	

पाठ्यक्रम संयोजक एवं संपादक

डॉ0 दिनेश कुमार
सहायक प्रोफेसर
शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

इकाई लेखन	**इकाई संख्या**	**इकाई लेखन**	**इकाई संख्या**
डॉ० दिनेश कुमार सहायक प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	1,2,3,4,5,6.	डॉ० सुरेंदर शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग (आई०सी०डी०ई०ओ०एल०) एच०पी० विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश	7,8.
डॉ० चमनलाल बंगा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग (आई०सी०डी०ई०ओ०एल०) एच०पी० विश्वविद्यालय, शिमला हिमाचल प्रदेश	9		

ISBN-13-978-81-928871-9-7

समस्त लेखों/पाठों से सम्बंधित किसी भी विवाद के लिए सम्बंधित लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कापीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन वर्ष: फरवरी 2014 पुनः प्रकाशन - 2022

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति
प्रकाशक: निदेशालय, अध्ययन एवं प्रकाशन
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी-263139, (नैनीताल)

अध्यापक शिक्षा

Teacher Education

MAED 603 Semester III

इकाई सं0	इकाई का नाम	पृष्ठ सं०
1.	वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन में अध्यापक शिक्षा (Teacher Education in Ancient, Buddhist and Medieval Period)	1-25
2.	वुड के घोषणा पत्र की संस्तुति -1854 Recomandation of Wood's Despatch 1854	26-41
3.	सेडलर आयोग सुझाव (कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग) 1917-19 हन्टर आयोग व अध्यापक शिक्षा 1882 (भारतीय शिक्षा आयोग) Recommendations of Sadler Commission (Calcutta University Commission) 1917-19 & Hunter Commission & teacher education1882 (India Education Commission)	42-60
4.	राधाकृष्णन कमीशन व मुदालियर कमीशन Radhakrishahan Commission1948-49 & Mudaliar Commission 1952-53	61-86
5.	कोठारी कमीशन (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) 1964-66 kothari commission (National Education Commission) 1964-66	87-105
6.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना National Education Policy 1986 and National Curriculum Framework Teacher Education (NCFTE) 2009	106-123
7.	अध्यापक शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और उद्देश्य, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर Meaning, Need and Objectives of Teacher Education at Various Stages of Education	124-149
8.	शिक्षक व्यवहार में सुधार (सूक्ष्म शिक्षण, एंव यथार्थवत सामाजिक कौशल प्रशिक्षण) Modification of Teacher Behaviour: Micro Teaching and Simulated Social Skill Training	150-174
9.	सक्षमत्ता पर आधारित अध्यापक- शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता Competency Based Teacher Education, Quality in Teacher Education	175-191

इकाई 1 वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मध्यकालीन में अध्यापक शिक्षा

(Teacher Education in Ancient, Buddhist and Medieval Period)

1.1 प्रस्तावना Introduction
1.2 उद्देश्य Objectives
1.3 शिक्षा की संरचना एवं संगठन Structure and Organization of Education
1.3.1 शिक्षा का अर्थ Meaning of Education
1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideal of Education
1.4.1 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education
1.4.2 शिक्षण विधियाँ Teaching Methods
1.4.3 शिक्षक व छात्र Teachers and students
1.4.4 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ- Examination and Degree
1.4.5 स्त्री शिक्षा-Women Education
1.5 मुख्य शिक्षा केन्द्र
1.6 शारांस Summary
1.7 शब्दावली glossary
1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions
1.9 संदर्भ Reference
1.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Type Questions

1.1 प्रस्तावना Introduction

वैदिक काल :- भारतीय वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद) संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा-समझा जाता है, वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में भी विद्वान एक मत नहीं हैं। जर्मन विद्वान मैक्समूलर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस में क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया । उनके अनुसार, वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ई0 पू0 में हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋगवेद में वर्णित नक्षत्र

स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 ई0 से 2500 ई0 पू0 सिद्ध किया है। इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल ई0 पू0 3500 वर्ष पुरानी मानते हैं। हमारे देश भारत में ई0 पू0 7वीं शताब्दी में लोक भाषा प्राकृत और पाली थी। हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित है ओर उनकी विषय-सामग्री इतनी विविध, विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में काफी समय अवश्य लगा होगा। भारत में 2500 ई0 पू0 से 500 ई0 पू0 तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ।

बौद्ध काल :- भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है यहाँ पर अन्यों देशो के व्यक्तियों ने आकर भारतीयों संस्कृति को नष्ट कर दिया। योरोपीय व पश्चिमी देशो से आये आर्यो ने नीग्रो व द्रविडो के साथ धोका करके उनकी सभ्यता व संस्कृति को न केवल नष्ट किया बल्कि उन्हें अपना दास बनाया । कर्म आधारित व्यवस्था को परिवर्तित कर जन्म आधारित व्यवस्था भारत में फलीभूत होने लगी। भारतीय शिक्षा पर ब्राहमण वर्ग का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया, शुद्र वर्ग को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इस कारण वे सरकारी कार्यों व अन्य व्यवसायों से वंचित हो गये । किसी भी देश का इतिहास उठाकर देखिए जब कोई विचारधारा अति को पार करती है तो दूसरी विरोधी विचारधारा को जन्म मिलता है, हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था ओर कर्मकाण्ड की अति हुई तो इसका विरोध प्रारम्भ हुआ। ई0पू0 563 में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। यूँ तो वे राजघराने में पैदा हुए थे और उन्हें सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थीं परन्तु उन्होंने लोगों के सांसारिक दुःखों की अनुभूति की। उन्होंने इन दुःखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने के लिए तपस्या की और कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करूणाप्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ई0 से 1200 ई0 तक रहा। इतिहासकार इस काल को बौद्ध काल कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना यह धर्मोपदेश सर्वप्रथम वाराणसी से लगभग 8 किमी0 दूर सारनाथ स्थान पर दिया था। देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण हो गया। प्रारम्भ में तो ये बौद्ध मठ एवं विहार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के केन्द्र के रूप में विकसित हुए थे पर आगे चलकर ये जन शिक्षा की व्यवस्था भी करने लगे। वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकाण्ड के प्रतिकूल बौद्ध धर्म समानता, प्रेम और करूणा पर आधारित थी।

मुस्लिम काल:- हमारे देश में आज भी अन्य देशो का सम्मान उसी प्रकार से बरकरार है जैसा कि प्राचीन काल, मध्य काल में होता था। यहाँ कि भोली-भाली जनता ने दूसरों पर विश्वास किया । लेकिन अन्यों देशो ने धोखा देकर यहाँ कि अमूल्य संपत्ति सोना, चांदी, हीरा, मोती को लूटकर अपने देश में ले गये साथ ही यहाँ कि सोंदर्य कला व संस्कृति को भी नष्ट किया। उत्तरी सीमा पार के शासक इस पर सदैव आक्रमण करते रहते थे। इन आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम नाम परसिया

(वर्तमान ईरान) के राजा साइरस (538 ई0 पू0 - 530 ई0 पू0) का आता है। उसने इसके उत्तरीय सीमावर्ती राज्य गांधार पर आक्रामण कर उसके एक भाग पर कब्जा भी कर लिया था। उसके बाद मैसोडोनिया (यूनान, ग्रीस) के राजा सिकन्दर ने 327 ई0पू0 में आक्रमण किया। सन् 1192 में उसने 11वीं बार आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्यों को रौंदता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली के तत्कालीन हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान से उसका तराइन के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर बन्दी बना लिया। वह स्वयं तो यहाँ से लूट का भारी माल लेकर अपने देश लौट गया परन्तु अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली को शासक बना गया। बस यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरूआत हुई। इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके वंशजों को गुलाम वंश की संज्ञा दी है। गुलाम वंश के बाद भारत में क्रमशः खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश का शासन रहा। मुगल वंश में औरंगजेब ने 1659 से 1707 तक राज्य किया। वह बड़ा कट्टरपंथी था। उसने इस्लाम धर्म को न मानने वालों के ऊपर जजिया कर लगा दिया था, परिणामस्वरूप चारों ओर विद्रोह की आग भड़क उठी थी और औरंगजेब के शासन काल के अन्तिम चरण में ही मुगल साम्राज्य का वैभव समाप्त होने लगा था। 1200 से 1700 तक यहाँ मुसलमान बादशाहों और इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा। इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ई0 तक के काल को मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल की संज्ञा दी है।

1.2 उद्देश्य Objectives

i. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों को जान सकेगे।

ii. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा की संरचना एवं संगठन का ज्ञान प्राप्त कर सकेगे।

iii. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधिया, अनुशासन आदि को समझ सकेगे।

iv. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में समझ संकेगे।

v. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य शिक्षा केन्द्रों के बारे में जान सकेगे।

1.3 शिक्षा की संरचना एवं संगठन Structure and Organization of Education

1.3.1 शिक्षा का अर्थ Meaning of Education

वैदिक काल

I. प्रारम्भिक शिक्षा- वैदिक काल में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे ओर कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछाता था और उस पर चावल बिछाता था। इसके बाद वेद मन्त्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी ओर बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारम्भ होती थी।

II. उच्च शिक्षा- वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरूकुलों में होती थी। 8 से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरूकुलों में प्रवेश होता था, ब्राह्मण बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर, क्षत्रिय बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर और वैश्य बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर । गुरूकुलों में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उनकी उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती थी।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली

1. प्राथमिक शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिय खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चो को शिक्षा को दिलाने को लालायित दिखे क्योकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिय नही खुले थे। जिनके लिय खुले थे वे भी अपने व्यवसाय की ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिक्षा की व्यवस्था भी बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। यह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबज्जा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग में इस विधि का सविस्तार वर्णन है।

पबज्जा का अर्थ है- बाहर जाना। क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में जाते थे इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को पबज्जा संस्कार कहा जाता था। सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुंडाया जाता था। फिर उसके घर के वस्त्र उतार कर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दण्ड दिया जाता था। अब उसे मठ अथवा विहार के प्रवेश अधिकारी भिक्षु (शिक्षक) के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वह अपने मस्तक से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। इसके बाद

उसके सम्मुख पालथी मारकर जमीन पर बैठता था। भिक्षु उससे निम्नलिखित तीन प्रणों को ऊँचे स्वर में उच्चारित कराता था। इन तीन प्रणों को सरणत्रय (शरणत्रयी) कहा जाता था। ये तीन प्रण थे-

बुद्धं शरणम् गच्छामि।

धम्मं शरणम् गच्छामि।।

संघ शरणम् गच्छामि।।।

इसके बाद गुरू शिष्य को दस उपदेश देता था। इसे दस सिक्खा पदानि कहते थे। ये दस उपदेश थे-

(1) अहिंसा का पालन करना, (2) शुद्ध आचरण करना, (3) सत्य न बोलना, (4) सत आहार लेना, (5) मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, (6) परनिन्दा न करना, (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, (8) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना, (9) पराई वस्तु ग्रहण न करना। और (10) सोना, चाँदी, हीरा-जवाहरात आदि कीमती दान न लेना।

बच्चा इनके पालन का प्रण लेता था और इसके बाद उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश दिया जाता था और अब उसे श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था।

2. उच्च शिक्षा- उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु एक प्रवेश परीक्षा सम्पन होती थी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी और 20-25 वर्ष की आयु तक चलती थी।

3. उपसम्पदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा - बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र (श्रमण अथवा सामनेर) तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुनः परीक्षा होती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्रमण को दस प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त आठ प्रतिज्ञाएँ और लेनी होती थीं, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसम्पदा संस्कार कहा जाता था।

यह संस्कार दस भिक्षुओं (उपाध्यायों) की उपस्थिति में होता था। सर्वप्रथम श्रमण भिक्षु का वेश (हाथ में कमण्डल और कन्धे पर चीवर) धारण करता था फिर इन दस भिक्षुओं के सम्मुख उपस्थित होता था, उन्हें प्रणाम करता था और आज्ञा मिलने पर हाथ जोड़कर बैठ जाता था। एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता था और अन्य भिक्षु उससे प्रश्न पूछते थे। परीक्षा में सफल श्रमण अब आठ प्रतिज्ञाएँ करता था- (1) वृक्ष के नीचे निवास करना (2) भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में भोजन करना (3) भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना (4) चोरी न करना (5) हत्या न करना (6) मैथुन न करना और (7)अलौकिक शक्तियों का दावा न करना।

इन प्रतिज्ञाओं के लेने के बाद श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उस काल में भिक्षु शिक्षा का छात्र अपने गुरू का चुनाव स्वयं करता था। यह शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भिक्षु पूर्ण भिक्षु कहलाते थे और अध्यापन एवं धर्म शिक्षा के लिए योग्य माने जाते थे। पर इन कार्यो के सम्पादन के लिए उन्हें आजीवन अविवाहित रहना होता था और संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। असमर्थता प्रकट करने पर ये पूर्ण भिक्षु संघ से अलग हो सकते थे।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षण संस्थाएँ (मकतब और मदरसे) Educational Institute (Makatab & Madarshe)

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। इनके अतिरिक्त खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, फारसी-कुरान स्कूल और अरबी स्कूलों की व्यवस्था भी थी।

मकतब- मकतब शब्द अरबी भाषा के ’कुतुब’ शब्द से बना है जिसका अर्थ है- वह स्थान जहाँ पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में ये मकतब प्रायः मस्जिदों से संलग्न होते थे और एक शिक्षकीय होते थे। उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद, मकतबों में लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन कि आयु पर बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। बच्चें को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक (उस्ताद, मौलवी) के सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चें से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहरवाते थे और जो बच्चे कुरान सरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ है- अल्लाह के नाम पर। और इसके बाद बच्चे को मकतब में प्रवेश दिया जाता था।

मदरसा- मदरसा शब्द अरबी भाषा के ’दरस’ शब्द से बना है जिसका अर्थ है- भाषण देना और चूँकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी इसलिए उन स्थानों को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े-बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इन मदरसों के भवनों, पुस्तकालयों और छात्रावासों आदि के निर्माण में उस समय मे मुसलमान शासकों का बड़ा योगदान रहा। ये मदरसे बहुशिक्षकीय थे। इनके शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाता था। वेतन आदि की व्यवस्था के लिए भी राजकोष से आर्थिक सहायता दी जाती थी।

खानकाहें- ये प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे इनमें केवल मुसलमान बच्चें ही प्रवेश ले सकते थे। इनका व्यय दान से प्राप्त धनराशि से चलाया जाता था।

दरगाहें- ये भी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र थे। इनमें भी केवल मुसलमान बच्चों को प्रवेश दिया जाता था।

कुरान स्कूल- ये धार्मिक शिक्षा केन्द्र थे। इन स्कूलों मे केवल कुरान शरीफ की पढ़ाई ही की जाती थी।

फारसी स्कूल - ये उच्च शिक्षा के ऐसे केन्द्र थे जिनमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी और हिन्दू और मुसलमानों दोनों को शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था।

फारसी-कुरान स्कूल- ये धार्मिक शिक्षा केन्द्र थे। इन स्कूलों में फारसी भाषा और कुरान शरीफ तैयार की शिक्षा जाती थी।

अरबी स्कूल- ये ऐसे उच्च शिक्षा केन्द्र थे जिनमें केवल अरबी भाषा और उसके साहित्य की शिक्षा दी जाती थी।।

1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideal of Education

वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

उस काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था। मोक्ष की प्राप्ति तो उस काल में मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य माना जाता था ।

इन सब उद्देश्यों को हम आज की भाषा में निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

i. ज्ञान का विकास- यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। (ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रं) और यह माना जाता था कि ये दो नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं परन्तु यह तीसरा नेत्र हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है यह हमें सत्य-असत्य का भेद स्पष्ट करता है, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट करता है और भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट करता है।

ii. स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन - ऋषि आश्रमों और गुरूकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें उचित आहार-विहार और आचार-विचार की शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए शिष्यों को प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठना होता था, दाँतून एवं स्नान करना होता था, व्यायाम करना होता था, सादा भोजन करना होता था, नियमित दिनचर्या का

पालन करना होता था ओर व्यसनों से दूर रहना होता था। शिष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए उन्हें उचित आचार-विचार की ओर उन्मुख किया जाता था।

iii. जीविकोपार्जन एवं कला-कौशल की शिक्षा- प्रारम्भिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यतानुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कला-कौशलों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय हमारा देश धन-धान्य से सम्पन्न था, लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। परन्तु उत्तर वैदिक काल में ततकालीन व्यवस्था ने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल दिया जिसके परिणामस्वरूप लोगों को वर्णानुसार शिक्षा दी जाने लगी। वैदिक काल के इस अन्तिम चरण में शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करना धूर्तता व स्वार्थ भरा कदम था वे शिक्षा अपने-अपने परिवारों में प्राप्त करते थे।

iv. संस्कृति का संरक्षण एवं विकास- वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तान्तरण था। उस काल मे गुरूकुलों की सम्पूर्ण कार्य पद्धति धर्मप्रधान थी। उस काल में शिष्यों को वेद मन्त्र रटाए जाते थे, संध्या-वन्दन की विधियाँ सिखाई जाती थी और आश्रमानुसार कार्य करने का उपदेश दिया जाता था। उस पूरे काल में शिक्षा का एक ऐसा क्रम चला कि उसके प्रभाव से अनेक लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और जंगलों में रहते हुए अध्ययन ,चिन्तन, मनन और निदिध्यासन करते थे और नए-नए तथ्यों की खोज करते थे। इनमे से कुछ लोग सन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे और ध्यान और समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त करते थे। इससे इस देश की संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ।

v. नैतिक एवं चारित्रिक विकास- वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्मसम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था, उसके आहार-विहार और आचार-विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने से लिया जाता था।

vi. आध्यात्मिक उन्नति- वैदिक काल में शिक्षा का अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मनुष्य के बाह्य एवं आन्तरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था।

बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideals of Education

बौद्ध काल में जिस बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसके उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। यूँ तो ये सामान्यतः वही थे जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के थे परन्तु इनका स्वरूप कुछ भिन्न था। यहाँ उन सबका, आज की भाषा में क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत है।

1. मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास- बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानवमात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ-साथ अन्य धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। उस काल में सैंकडो़ विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे थे। ये प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करते थे और भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते थे। इसके साथ-साथ कुछ विद्वान मौलिक साहित्य सृजन भी करते थे और इन सब साहित्य के संरक्षण के लिए उस काल में बड़े-बडे पुस्तकालयों का निर्माण किया गया था।

2. समाजिक आचरण की शिक्षा - बौद्ध धर्म सामाजिक कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है उस समय व्यक्तिगत स्वार्थ की भाबना वहुत बलवती थी गरीब वर्गों पर अत्याचार किया जाता था। इसमे सबसे अधिक बल करूणा और दया पर दिया गया है। बिना करूणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुःखों को नहीं समझ सकता। यदि ईमानदारी से सोचें-समझें तो मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं मनुष्य ही अधिक होते हैं।

3. ज्ञान का विकास- महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुःखों का कारण अज्ञान है अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। वैदिक काल में वेद ग्रन्थों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था, परन्तु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में चार सत्यों का ही वर्णन किया गया है।

4. चरित्र निर्माण- बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करूणा और दया का सबसे अधिक महत्त्व है। बौद्धों की दृष्टि से जो इनका पालन करता है, वही चरित्रवान है। इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्रों को प्रारम्भ से ही 10 नियमों का पालन कराया जाता था, उन्हें सादा जीवन जीने और विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मो से दूर रखा जाता था।

5. बौद्ध धर्म की शिक्षा- यूँ तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी परन्तु सर्वाधिक बल बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ही दिया जाता था और यह पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग थी । छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे चार सत्यों (संसार दुःखमय है, इन दुःखों से छुटकारा सम्भव है, सांसारिक दुःखों से छुटकारा ही निवार्ण है और विवार्ण प्राप्ति के लिए जप-तप नहीं, मानवमात्र के प्रति कल्याण की भावना आवश्यक है) का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद उन्हें निवार्ण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक

मार्ग (सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् वाक्, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि) में प्रशिक्षित किया जाता था।

मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार था। इसके साथ-साथ इसमें ज्ञान के विकास, कला-कौशल के प्रशिक्षण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी बल दिया गया था। मुस्लिम शिक्षा के इन सब उद्देश्यों एवं आदर्शों को हम आज की भाषा में निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

1. इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार - भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होने पर उन्होंने भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना शख्ति से आरम्भ कर दिया। यदपि मुसलमान भारत मे अपनी संस्कृति लेकर आए थे, उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति-रिवाज थे, अपने रहन-सहन की विधियाँ थीं और इन्हीं में उनकी आस्था थी। उन्होंने यहाँ इस्लाम शिक्षा पर बल दिया। मकतब और मदरसों में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी भाषा पढ़ाई जाती थीं, शरिअत (इस्लामी धर्म एवं कानून) का ज्ञान कराया जाता था और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी।

2. ज्ञान का विकास - इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हज़रत मौहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, निजात (मुक्ति) का साधन मानते थे। ज्ञान से उनका तात्पर्य भौतिक एवं आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के ज्ञान से था और आध्यात्मिक ज्ञान से तात्पर्य इस्लाम के ज्ञान से था। कुरान शरीफ में कलम की स्याही को शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र बताया गया है।

3. नैतिक एवं चारित्रिक विकास – मुस्लिम शिक्षा में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया है इस्लामी नैतिकता के आदर्श एवं मूल्य हिन्दुओं की नैतिकता के आदर्श एवं मूल्यों से कुछ भिन्न हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया गया था और अन्यथा आचरण करने पर इस्लामिक मानदण्डों के आधार के पर इस्लामिक मानदण्डों के आधार पर प्रायश्चित करने पर बल दिया गया था।

4. शासन के प्रति वफादारी- मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। यह मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य एवं आदर्श था। यही कारण है कि उन्होंने अरबी और फारसी भाषा जानने वाले और इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिन्दुओं को ही शासन में ऊँचे-ऊँचे पद दिए।

5. कला-कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा - जिस समय मुसलमान बादशाह इस देश में आए यहाँ कला-कौशलों के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था। ये भी अपने साथ अनेक कला-कौशलों को लेकर आए थ। प्रायः सभी मुसलमान बादशाह कला और शिल्प प्रेमी थे इसलिए इन्होंने इनकी

शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणामस्वरूप ही उस काल में कला-कौशलों के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। साथ ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी।

6. सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति - इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता यही कारण है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले मौहम्मद साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर हैं।

1.4.1 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculam of Education

वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या

वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी- प्रारम्भिक और उच्च।

1. प्रारम्भिक शिक्षा की पाठ्यचर्या- वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यर्चया में भाषा, व्याकरण, छन्दशास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में उसमें नीतिप्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरूकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान कराते थे।

2. उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या- इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। प्रारम्भिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों, कर्मकाण्ड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुविज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला-कौशल, राजनीतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र और प्राणिशास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यचर्या में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए.,जैसे- इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या इसे विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। शिष्य इनमें से अपनी रूचि के कोई भी विषय अध्ययन करने के लिए स्वतन्त्र थे।

बौद्ध काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, उच्च और भिक्षु, सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी और चूँकि उस समय बौद्ध शिक्षा बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या को हम दो आधारों पर देख- समझ सकते है। एक उसके स्तरों (प्राथमिक, उच्च और भिक्षु) के आधार पर और दूसरे उसकी प्रकृति (लौकिक एवं धार्मिक) के आधार पर।

1. प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद भाषा का पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात् शब्द विद्या, शिल्प विद्या,

चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, और अध्यात्म विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का ज्ञान भी कराया जाता था। साथ ही कुछ कला-कौशलों की सामान्य शिक्षा का शुभारम्भ कर दिया जाता था।

2. उच्च स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी। इस अवधि मे छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था और उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा और इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य, खगोलशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र ,न्यायशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला (चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत,) कौशल (कताई, बुनाई और रंगाई आदि) व्यवसाय (कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य आदि), भवन निर्माण विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धम, वैदिक धर्म, ईश्वरशास्त्र, तर्क, दर्शन और ज्योतिष, इन सब विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया था।

3. भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी, परन्तु जो भिक्षु बौद्ध धर्म-दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वे अपना अध्ययन आगे भी जारी रख सकते थे। यूँ तो इन्हें केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ही ज्ञान कराया जाता था और उसके लिए इनकी पाठ्यचर्या में बौद्ध साहित्य (त्रिपटक, सुवन्त, विनय और धम्म) को रखा गया था, परन्तु धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक धर्म का भी ज्ञान कराया जाता था। साथ ही उन्हें भवन निर्माण और मठों एव विहारों की सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखना सिखाया जाता था।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी- प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाते थे और उच्च स्तर पर अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाए जाते थे।

प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या - इस शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, कुरानशरीफ का 30वां भाग, लिखना,पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अर्जीनवीसी पढ़ाई-सिखाई जाती थी। बच्चों को प्रारम्भ से ही कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटाई जाती थीं और इस्लाम के पैगम्बरों और मुसलमान फकीरों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थीं। बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तकं गुलिस्तां और बोस्ताँ पढ़ाई जाती थीं। इनके अतिरिक्त अरबी-फारसी के कवियों की कविताएँ पढ़ाई जाती थीं। इस काल में प्रारम्भ से ही बच्चों के उच्चारण और लेख पर बहुत ध्यान दिया जाता था और उन्हें शुद्ध उच्चारण और सुलेख का अभ्यास कराया जाता था।

उच्च स्तर की पाठ्यचर्या- इस शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम अति विस्तृत था। इस स्तर की पाठ्यचर्या को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- लौकिक और धार्मिक।

लौकिक पाठ्यचर्या में अरबी तथा फारसी भाषाएँ एवं उनके साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला-कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा को स्थान दिया गया था। धार्मिक पाठ्यचर्या में कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरिअत (इस्लामी कानून) को स्थान दिया गया था। अकबर बादशाह उदारवादी था, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी इसलिए उसने कुछ मदरसों में संस्कृत भाषा, वैदिक धर्म-दर्शन और वैदिक साहित्य की शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई थी।

1.4.2 शिक्षण विधियाँ Teaching Methods

वैदिक काल में शिक्षण विधियाँ

वैदिक काल में शिक्षण सामान्यतः मौखिक रूप से होता था और प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका-समाधान, व्याख्यान और वाद-विवाद द्वारा होता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला-कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास किया था जिसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन विधि कहते है। साफ जाहिर है कि उस समस उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता था अतः यहाँ इनके प्राचीन रूप को स्पष्ट करना आवश्यक है।

i. अनुकरण, आवत्ति एवं कण्ठस्थ विधि- अनुकरण विधि सीखने की स्वाभविक विधि है। वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था- गुरू शिष्यों के सम्मुख वेद मन्त्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे, उन्हें बार-बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कण्ठस्थ करते थे।

ii. व्याख्या एवं दृष्टान्त विधि- वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मन्त्र कण्ठस्थ कराने के बाद गुरू उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टान्तों का प्रयोग करते थे।

iii. प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधि- उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारम्भिक वैदिक काल में गुरू उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शान्तिपूर्वक सुनते थे, उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरू उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरूओं के बीच वाद-विवाद भी होता था। अति गूढ़ विषयों पर

चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे, उनके बीच शास्त्रार्थ होता था, शिष्य इस सबको सुनते थे और अपने तत्सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि करते थे।

iv. कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि- वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला-कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रियाप्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरू सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के सम्पादन की विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे, शिष्य उनका अनुकरण कर यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे-धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे।

v. श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधि- यह विधि भी उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरू जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मन्त्रों आदि कि जो भी व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे, उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिन्तन करते थे।

vi. तर्क विधि- उत्तर वैदिक काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के पाँच पद थे- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगमन।

vii. कहानी विधि- उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। ये कहानियाँ पंचतन्त्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहीत हैं। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अन्तिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।

बौद्ध काल में शिक्षण विधियाँ Education Techniques/Methods

बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी, बौद्धों ने इसी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस काल में मुद्रण कला का तो विकास नहीं हुआ था परन्तु बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार कर दी थीं। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के पाली भाषा में अनुवाद भी कर दिए थे और इन सबको पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा था। इन परिस्थितियों में शिक्षण प्रायः मौखिक रूप (व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, तर्क, शास्त्रार्थ और सम्मेलनों) से ही होता था। प्रायोगिक विषयों के शिक्षण के लिए प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था।

यहाँ इन सब विधियों के बौद्धकालीन स्वरूप का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. प्रश्नोत्तर विधि- प्रश्नोत्तर भी सीखने-सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बच्चे प्रारम्भ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते हैं। और बड़े उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देते

हैं। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इसी रूप में होता था, शिष्य प्रश्न करते थे और भिक्षु (शिक्षक) उत्तर देते थे।

2. अनुकरण विधि- अनुकरण विधि सीखने-सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था, भाषा की शिक्षा की शुरूआत तो इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे, क्रियाप्रधान विषयों के शिक्षण में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता था।

3. व्याख्या विधि- चीनी यात्री हेनसांग ने अपने भारत यात्रा वर्णन में लिखा है। कि शिक्षक छात्रों को पाठ्यवस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्यवस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था।

4. वाद-विवाद एवं तर्क विधियाँ- उस काल में विवादस्पद विषयों का शिक्षा वाद-विवाद और तर्क विधियों से होता था। अपने-अपने मत की पुष्टि में 8 प्रकार के प्रमाण (सिद्धान्त, हेतु, उदाहरण, साधर्म्य, वैर्धम्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम्) प्रस्तुत किए जाते थे।

5. व्याख्यान विधि- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केन्द्रों में विषय के अधिकारी विद्वान बुलाए जाते थे, उनके व्याख्यान कराए जाते थे, शंका समाधान होता था और इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्र विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे।

6. सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था। इन सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमन्त्रित किए जाते थे। इसे विद्वत् सभा भी कहते थे। इन सम्मेलनों में व्याख्यान होते थे और शास्त्रार्थ होता था। उच्च शिक्षा के छात्र इनको सुनते थे और अपनी शंकाओं का समाधान भी करते थे।

7. प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि- यह अनुकरण विधि का ही उच्च रूप है। उस काल में इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों और चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था। उपाध्याय यथा क्रिया को करके दिखाते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे, फिर यथा क्रिया को बार-बार करके अभ्यास करते थे और उसमें दक्षता प्राप्त करते थे।

8. देशाटन- इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से भिक्षु शिक्षा में किया जाता था। भिक्षु शिक्षा के भिक्षुओं को देशाटन के अवसर प्रदान किए जाते थे, उन्हें वास्तविकता जगत को जानने के अवसर दिए जाते थे, मानव समाज की वास्तविकता स्थिति को जानने के अवसर दिए जाते थे और धर्म प्रचार का प्रशिक्षण दिया जाता था।

मुस्लिम काल में शिक्षण विधियाँ Methods of Teaching

मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ उन सब विधियों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि- मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। उस्ताद (शिक्षक) उच्च स्वर में कुरान शरीफ की आयतों, अक्षरों और पहाड़ों का उच्चारण करते थे, शागिर्द (छात्र) सामूहिक रूप में उनका अनुकरण करते थे, आवृत्ति द्वारा कण्ठस्थ करते थे और स्मरण करते थे। उच्चारण और सुलेख की शिक्षा भी इसी विधि से दी जाती थी। आइने अकबरी में ऐसा उल्लेख है कि उस समय तख्ती, स्याही और सरकण्डे की कलम का प्रयोग होता था, शिक्षक शिक्षार्थियों को लिखकर दिखाते थे, शिक्षार्थी उनका अनुकरण करते थे और अभ्यास द्वारा अपना लेख सुधारते थे। उस समय इस स्तर पर रटने, शुद्ध उच्चारण और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

2. भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि- मदरसे का अर्थ है- भाषण देना। उस समय उच्च स्तर पर प्रायः भाषण विधि से पढ़ाया जाता था इसीलिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं को मदरसा कहा जाता था। भाषण का विकसित रूप है व्याख्यान और व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर करती है व्याख्यान में आए तथ्यों की व्याख्या पर। उस समय मदरसों में सैद्धान्तिक विषयों का शिक्षण प्रायः इन तीनों विधियों के संयुक्त रूप से ही किया जाता था।

3. तर्क विधि- इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता था। यह तर्क विधि वैदिक कालीन तर्क विधि और बौद्ध कालीन तर्क विधि से कुछ भिन्न थी। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों और इस्लामिक सिद्धान्तों का विशेष महत्त्व था।

4. स्वाध्याय विधि- मुसलमान बादशाहों ने मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करने पर खुल कर पैसा खर्च किया और इनके रख-रखाव के लिए बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण कराया। परिणामतः स्वाध्याय के अवसर सुलभ हुए। छात्र इन पुस्तकालयों में बैठकर इन पुस्तकों का अध्ययन करते थे।

5. प्रदर्शन, प्रयोग एवं अभ्यास विधि- यह विधि अनुकरण विधि का ही विकसित रूप है। इसका प्रयोग प्रायोगिक विषयों, कला-कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा के लिए किया जाता था। शिक्षक सर्वप्रथम यथा वस्तु अथवा क्रिया का प्रर्दशन करते थे, शिक्षार्थी देखते थे और देखकर उसके स्वरूप को समझते थे। इसी प्रकार वे क्रियाओं को करके दिखाते थे, छात्र ठीक उसी प्रकार उन क्रियाओं को करते थे, बार-बार करते थे और उन्हें सीखते थे।

1.4.3 शिक्षक (गुरू) व शिक्षार्थी Teacher and students

शिक्षक

वैदिक काल में अति विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सच्चरित व्यक्ति ही गुरू हो सकते थे। ये अतिज्ञानी के साथ-साथ अति संयमी भी होते थे। उस समय इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये देव रूप में प्रतिष्ठित थे। इन्हें धियावसु (जिसकी बुद्धि ही धन है), सत्यजन्मा (सत्य को जानने वाला) और विश्ववेदा (सर्वज्ञ) आदि विशेषणों से सम्बोधित किया जाता था। ये अपने गुरूकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, पर पूर्ण स्वामित्व के साथ पूर्ण उत्तरदायित्व जुड़ा था। ये अपने गुरूकुलों की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। ये अपने शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करते थे, उनके स्वास्थ की देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करते थे।

बौद्ध काल में प्राथमिक एवं उच्च, दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे उन्हें उपाझयाय (उपाध्याय) कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए पहली आनिवार्यता थी- उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करना, दूसरी अनिवार्यता थी- बौद्ध धर्मावलम्बी होना, तीसरी अनिवार्यता थी- आजीवन अविवाहित रहना और चौथी अनिवार्यता थी- बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। उस समय अति विद्वान, आत्मसंयमी और चरित्रवान भिक्षु ही उपाध्याय हो सकते थे। बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यों (श्रमणों) के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करते थे, उनका ज्ञानवर्द्धन करते थे।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में इस्लाम धर्म को मानने वाले, अरबी और फारसी के विद्वान और अपने विषय के अच्छे जानकार व्यक्ति ही शिक्षक पद पर नियुक्त किए जाते थे। नियुक्ति के बाद ये अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सचेष्ट रहते थे। पर साथ ही ये भारी वेतन पाते थे और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। यही कारण है कि उस समय उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।

शिक्षार्थी (श्रमण, सामनेर) Students

वैदिक काल में गुरू और शिष्यों के बीच बहुत मधुर सम्बन्ध थे। गुरू शिष्यों को पुत्रवत् मानते थे और शिष्य गुरूओं को पितातुल्य मानते थे।- उपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरूकुलों की व्यवस्था गुरू और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। यहाँ गुरूओं के शिष्यों के प्रति और उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

बौद्ध काल में शिक्षार्थियों को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। इन्हें बौद्ध मठों एवं विहारों में रहना अनिवार्य था। ये बौद्ध मठों एवं विहारो के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। इन्हें मूल रूप से दस आदेशों का पालन करना होता था। ये दस आदेश थे-

(1) अहिंसा का पालन करना, (2) निन्दा न करना, (3) सत् आहार लेना, (4) सत्य बोलना, (5) मादक पदार्थो का सेवन न करना, (6) पराई वस्तु ग्रहण न करना, (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, (8) सोना, चाँदी, हीरा, जवाहरात आदि कीमती दान न लेना, (9) शुद्ध आचरण करना और (10) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर करना।

मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को मकतब तथा मदरसों में शिक्षकों के कठोर अनुशासन में रहना होता था, उन्हें किसी प्रकार की स्वत्रन्ता नहीं थी। पर इस काल में वे वैदिक एवं बौद्ध काल की तरह कठोर जीवन नहीं जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे। छात्रावासों में कालीनों पर सोते थे और भोजन में चपाती, पुलाव और विरयानी खाते थे लेकिन अरबी फारसी का मेहनत से अध्ययन करते थे।

1.4.4 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ- Examination and Degree

वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएँ नहीं होती थीं। सर्वप्रथम तो गुरू ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछ कर यह निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिए जाते थे, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाणपत्र होती थी। परन्तु जो छात्र गुरूकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक, जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम (किन्हीं दो वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें वसु ,जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम (किन्हीं तीन वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें रूद्र और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम (चारों वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था।

बौद्ध काल में आज की तरह परिक्षाएँ नहीं होती थीं। प्राथमिक स्तर पर तो अधिकारी शिक्षक सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल उद्घोषित करते थे। इस स्तर पर उर्त्तीण छात्रों की किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता था। उच्च स्तर पर भिक्षुओं (शिक्षकों) का एक पैनल छात्रों की मौखिक रूप से परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियाँ दी जाती थीं।

मुस्लिम काल में मदरसों में आज जैसी परीक्षाएँ नहीं होती थीं। शिक्षा पूरी करने पर शिक्षकों की संस्तुति पर ही किसी छात्र को सफल घोषित किया जाता था। इन मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष

योग्यता प्राप्त करने वालों को आमिल, अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को काबिल और तर्क तथा दर्शनशास्त्र मे विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल की उपाधियाँ दी जाती थीं। उस काल में काबिल उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को ही शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था।

1.4.5 स्त्री शिक्षा-Women Education

वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था परन्तु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा ही दी जाती थी। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो तत्कालीन व्यवस्था में उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। शिक्षा से वंचित होने पर इस वर्ग की बालिका अपने घर के कार्यो तक ही सिमट कर रह गयी थी, लेकिन आज इस वर्ग की कन्या शिक्षा, मेहनत व तर्क के बल पर बड़े से बड़े मुकाम पर पहुचकर संसार के विकास में अपना योगदान कर रही है। अल्तेकर ने एक तथ्य यह उजागर किया है कि वैदिक काल के अन्तिम चरण (ब्राह्मण काल) में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरूकुल नहीं थे। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं ,केवल गुरूओं की पुत्रियाँ, राजघरानों और राज्यों में ऊँचं पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियाँ और अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियाँ ही इन गुरूकुलों में प्रवेश ले पाती थीं। यूँ तो उस काल में विश्वारा, अपाला, होमशा, शाश्वती और घोषा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का भी उल्लेंख मिलता है परन्तु वास्तविकता यह है कि उस पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी और यदि यह कहें कि उस काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित रही तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस काल में स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाये जाते है वह काल अच्छा नही होता है।

बौद्ध काल में यूँ तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी परन्तु उस काल में स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। अतः यहाँ उन सबका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

स्त्री शिक्षा- बौद्ध काल के प्रारम्भ में तो बौद्ध मठों एवं विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था परन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजामति और अपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर उनके प्रवेश की अनुमति प्रदान की। उस काल में स्त्रियों को भी पुरूषों की भाँति संद्य के कठोर नियमों का पालन करना होता था। यूँ सहशिक्षा मठों एवं विहारों में स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी और साथ ही कुछ मठ एवं विहारों में केवल स्त्री शिक्षा की ही व्यवस्था की गई थी परन्तु

फिर भी बहुत कम बालिकाएँ इनमें प्रवेश लेती थीं। सचमुच संघ के नियमों का पालन करना बालिकाओं के लिए एक कठिन कार्य था। कुछ विद्वान इस युग की कुछ विदूषी महिलाओं- शीलभट्टारिका, विजयांका और प्रभुदेवी (कवयित्री), रानी नयनिकाऔर रानी प्रभावती गुप्त (राजनीति की विद्वान), सम्राट अशोक की बहिन (संघमित्र) (धर्म विशेषज्ञा) और सम्राट हर्षवर्धन की बहिन (शास्त्रार्थ में निपुण) के नामों का उल्लेख कर यह बताने का असफल प्रयास करते हैं कि उस युग में स्त्री शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था, इस काल में तो स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गई थी।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र मकतबों में तो लड़के-लड़कियों दोनों को प्रवेश दिया जाता था परन्तु उच्च शिक्षा के मदरसों में केवल लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता था। हाँ, शहजादियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से महलों में और शासन में उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और धनी वर्ग के लोगों की बच्चियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से उनके अपने-अपने घरों में अवश्य होता था। उस समय पर्दा प्रथा होने के कारण लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे इस काल में अनेक विदुषी महिलाएँ हुई, जिनमें बाबर की बेटी गुलबदन लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई हुमायूँ की भतीजी सलीमा सुल्तान कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, नूरजहाँ, मुमताज और जहाँआरा आदि अरबी एवं फारसी की विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुई, रजिया बेगम और चाँदबीबी कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुई और औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी और फारसी की अच्छी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, परन्तु ये सब राजघरानों से सम्बन्धित शहजादिया थीं। आम महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर विल्कुल भी प्राप्त नहीं थे। परिणामतः इस काल में स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गई । हमारे देश की इस आधी मानव शक्ति का विल्कुल भी विकास नहीं हुआ।

1.5.1 मुख्य शिक्षा केन्द्रMain education Center

वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र

वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरूकुलों में होती थी। ये गुरूकुल प्रारम्भिक वैदिक काल में तो प्रायः जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित होते थे परन्तु उत्तर वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे थे। उस काल में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केन्द्र होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के केन्द्रों के रूप में विकसित हुए। बड़े-बड़े नगरों तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक, कर्नाटक और काँची उस समय के मुख्य शिक्षा केन्द्र थे।

बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केन्द्र Main Baudh Education Center of Bodh Periods

बौद्ध काल मे प्रायः सभी मठों एवं विहारों में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, कुछ में केवल प्राथमिक शिक्षा की, कुछ में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों की और कुछ में केवल उच्च शिक्षा की। इनमें से तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला उस समय के विश्विख्यात विश्वविद्यालय थे।

मध्यकालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र Main Education Centers in Medival Periods

मध्यकालीन में मुस्लिम बादशाहों ने अपने राज्यों के मुख्य नगरों में बड़े-बड़े मदरसे और पुस्तकालयों का निर्माण कराया और इन्हें उच्च शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। यहाँ मध्यकालीन कुछ मुख्य शिक्षा केन्द्रों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. दिल्ली- दिल्ली का सबसे प्रथम मुस्लिम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने गद्दी पर बैठते ही दिल्ली में कई मस्जिदें बनवाई और इन्हें इस्लामी शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ऐबक गद्दी पर बैठा। उसने दिल्ली में मदरसा-ए-मुअज्जी की स्थापना की। मुगल वंश के पंचम बादशाह शाहजहाँ ने भी दिल्ली की जामा मस्जिद के निकट एक बड़े मदरसे की स्थापना की जिसमें संगीत और काव्य की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। दिल्ली उस काल में इस्लामी शिक्षा का विश्वविख्यात केन्द्र था।

2. फिरोजाबाद- खिलजी वंश के बाद भारत में 1320 में तुगलक वंश का राज्य स्थापित हुआ। फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में 30 मदरसे स्थापित किए थे। इन मदरसों में फिरोजाबाद का फिरोजशाही मदरसा उस समय का एक बड़ा विश्वविद्यालय था। आज भी फिरोजाबाद मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है।

3. बदायूँ- तुगलक वंश के पतन के बाद 1441 में भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश के अन्तिम बादशाह सैयद अलाउद्दीन ने बदायूँ में अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और इसे दिल्ली की तरह मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित किया। आज भी बदायूँ मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है।

4. आगरा एवं फतेहपुर सीकरी- 1451 में भारत में लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य के तृतीय बादशाह अकबर ने भी आगरा और फतेहपुर सीकरी में बड़े-बड़े मकतब और मदरसे स्थापित किए। उसने इन मदरसों के पाठ्यक्रमों में तर्कशास्त्र, गणित, भूमिति, रेखागणित, नक्षत्र विद्या, लेखाशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और कृषि शिक्षा को सम्मिलित किया। एक मदरसे में केवल यूनानी चिकित्साशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था की गई। आगरा उस समय चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। 5. मालवा- मालवा राज्य के

संस्थापक महमूद ने इसे मुस्लिम शिक्षा के उच्च केन्द्र के रूप में विकसित किया। मालवा में स्त्री शिक्षा के लिए एक अलग मदरसा था। यहाँ के मदरसे कला और संगीत की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। पर राज्य संरक्षण समाप्त होते ही यहाँ के मदरसों की स्थिति बिगड़ गई।

6. बीदर- बीदर दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का प्रमुख नगर था। महमूद गावा ने यहाँ कई बड़े-बड़े मदरसों की स्थापना की थी। उसने यहाँ एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी कराया था जिसमें इस्लाम धर्म और संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, कृषि और यूनानी चिकित्साशास्त्र की 30 हजार पुस्तकें थीं। पर बहमनी वंश के प्रभाव के साथ-साथ इस शिक्षा केन्द्र का वैभव भी समाप्त हो गया।

अपनी उन्नति जानिय Check your Progress

प्रश्न 1 वेदों में सबसे प्राचीन है?

प्रश्न 2 विद्यारम्भ संस्कार कितने वर्ष की आयु पर किया जाता था?

प्रश्न 3 वैदिक कालीन में मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था।?

प्रश्न 4 वैदिक कालीन में शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना कैसा कदम था?

सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न 5 बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी ?

(1) संस्कृत (2) पाली (3) प्राकृत (4) अपभ्रंश

प्रश्न 6 बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र कौन सा था ?

(1) तक्षशिला (2) नालन्दा (3) विक्रमशिला (4) वल्लभी

प्रश्न 7 बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी?

(1) 6 वर्ष (2) 8 वर्ष (3) 12 वर्ष (4) 25 वर्ष

प्रश्न 8 संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था ?

(1) तक्षशिला (2) नालन्दा (3) वल्लभी (4) विक्रमशिला

प्रश्न 9 मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी' रस्म किस आयु पर होती थी ?

(a) 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन (b) 5 वर्ष, 5 माह, 5 दिन

(c) 6 वर्ष, 6 माह, 6 दिन (d) 8 वर्ष, 8 माह, 8 दिन

प्रश्न 10 मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी ?

(a) मकतबों (b) मदरसों

(c) खानकाहों (d) दरगाहों

1.6 शारांस Summary

वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। सच बात तो यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग हो नहीं सकते। उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं और कुछ तत्त्व त्याज्य हैं। उसके ग्रहणीय तत्त्वों को ही हम उसके गुण मानते हैं और त्याज्य तत्त्वों को दोष। उसके ग्रहणीय तत्त्वों में मुख्य हैं- निःशुल्क शिक्षा, व्यापक उद्देश्य, व्यापक पाठ्यचर्या, गुरू-शिष्यों का अनुशासित जीवन, गुरू-शिष्यों के बीच मधुर सम्बन्ध और शिक्षण संस्थाओं की संस्कार प्रधान पद्धिति।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरूप एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं एवं सम्भावनाओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्त्व ग्रहणीय हैं बौद्ध काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह अपने कुछ अनुकरणीय पद चिह्न अवश्य छोड़ गई। बस उन्हीं को हम आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में उसका योगदान मान सकते हैं।

मध्यकालीन में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली इसलिए कि यह मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का भी काफी योगदान है। आज देश भर में जो मकतब और मदरसे दिखाई दे रहे हैं, वे इसी शिक्षा प्रणाली के अवशेष हैं। आज जो देश में इस्लाम धर्म की शिक्षा के केन्द्र दिखाई दे रहे है, ये भी इसी शिक्षा प्रणाली की देन हैं। देवबन्द का दारूलेउलम तो इस्लाम धर्म की शिक्षा का विश्वविख्यात केन्द्र है, देश-विदेश के इस्लाम धर्मावलम्बी इसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था की निरन्तरता इसी प्रणाली का फलता-फूलता फल है। परोक्ष रूप में भी इस शिक्षा प्रणाली का अपना कुछ योगदान है। यूँ उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो किसी भी शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए, आधुनिक

भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी हमें देखने को मिल रही है जैसे- शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज का सहयोग, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और समस्त ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था।

1.7 शब्दावली glossary

परा (आध्यात्मिक) पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत वैदिक साहित्य (वेद, वेदांग एवं उपनिषद्), धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का अध्ययन और इन्द्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, सन्ध्यावन्दन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था।

खानकाहें- ये प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे इनमें केवल मुसलमान बच्चें ही प्रवेश ले सकते थे। इनका व्यय दान से प्राप्त धनराशि से चलाया जाता था।

दरगाहें- ये भी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र थे। इनमें भी केवल मुसलमान बच्चों को प्रवेश दिया जाता था।

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions

उत्तर 1 वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है।

उत्तर 2 बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन किया जाता था।

उत्तर 3 वैदिक कालीन में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था।

उत्तर 4 शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना जन शिक्षा विरोधी कदम था।

उत्तर 5 पाली

उत्तर 6 तक्षशिला

उत्तर 7 8 वर्ष

उत्तर 8 तक्षशिला

उत्तर 9 (1) 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन

उत्तर 10 (b) मदरसों

1.9 सन्दर्भ पुस्तके Book Reference

i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।

ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009)भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।

iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

1.10 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे ? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए?

प्रश्न 2. वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्रों का समान्य परिचय दीजिए?

प्रश्न 3. बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 4. आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान है? सप्रमाण उत्तर दीजिए।

प्रश्न 5. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए

प्रश्न 6. मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षक-शिक्षार्थियों के बीच कैसे सम्बन्ध थे ?

इकाई – 2 वुड के घोषणा पत्र की संस्तुति -1854 Recomandation of Wood's Despatch 1854

2 .1 प्रस्तावना Introduction –
2.2 उद्देश्य Objectives
2.3 वुड के घोषणा पत्र द्धारा शिक्षा नीति
2.3.1 शिक्षा का सगंठन
2.3.2 शिक्षा के उद्देश्य
2.3.3 शिक्षा की पाठ्यचर्या
2.3.4 शिक्षण विधि
2.4 शिक्षण विधि -
2.4.1 शिक्षण संस्थाए-
2.4.2 जन शिक्षा –
2.4.3 स्त्री शिक्षा-
2.4.4 मुसलमानों की शिक्षा -
2.4.5 व्यावसायिक शिक्षा-
2.4.7 धार्मिक शिक्षा
2.5 वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण- दोष विवेचना –
2.5.1 वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियॉ (Shortcoming of weakness)
2.6 शारांश summary
2.7 शब्दावली Glossary
2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice question
2.9 सन्दर्भ Reference:-
2.10निबन्धात्मक प्रश्न -

2.1 प्रस्तावना Introduction –

बिट्रिश सरकार का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार व शासन को सुद्ढ बनाने का रहा था यधपि कम्पनी पर बिट्रिश सरकार का नियनत्रण था। तथापि बिट्रिश सरकार प्रत्येक 20 वर्ष बाद कम्पनी के लिए नया घोषणा पत्र जारी करती थी जब नया घोषणा पत्र जारी करने का अवसर आया तब ब्रिटेन के राजनीजिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जाने लगा था कि भारतीयो की शिक्षा अवेहलना अब नही की जा सकती है। अतः ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। समिति ने भारतीय शिक्षा से सम्बन्धित एक शिक्षा निति तैयार कर संसद के सम्मुख पेश की। इस पर चर्चा हुई और उसके आधार पर भारत के लिये शिक्षा निति निश्चित की गई। उस समय सर चार्ल्स वुड (Charl's wood) कम्पनी के बोर्ड आफ कन्टोल के प्रधान के नाम पर ही वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। उन्होने 19 जुलाई 1854 को इस नीति की घोषणा की। इसलिये इसे उन्ही के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लम्बा अभिलेख है। इस घोषणा पत्र के नाम पर लिखा है कि इतिहास में एक नये उपकाल की शुरुवात हुई यही कारण ही कि कुछ लोगो ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र (Megnacarta) कहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की योजना है

2.2 उद्देश्य Objectives

वुड घोषणा पत्र की शिक्षा नीति का ज्ञान कराना।

वुड घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट कराना।

वुड घोषणा पत्र के प्रमुख गुणों से छात्रों को लाभान्वित कराना।

वुड घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में योगदान।

2.3 वुड के घोषणा पत्र द्धारा शिक्षा नीति

वुड के घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा निति को एक नया रुप दिया गया था। उस नई तथा निति को हम निम्निलिखित रुप में क्रमबद्ध कर सकते है।

शिक्षा का प्रशासन एंव वित्त

शिक्षा के प्रशासन एंव वित्त के सम्बन्ध में इस निति में 3 घोषणाए की गई-

1. शिक्षा का उत्तदायित्व कम्पनी (सरकार) पर - इस शिक्षा नीति में कम्पनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी (सरकार) का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। उसमें स्पष्ट शब्दों

में लिखा गया कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नही करता जितना शिक्षा। यह हमारा एक पवित्र कर्तव्य है।

2. जन शिक्षा विभाग की स्थापना - इस शिक्षा नीति में भारत के कम्पनी शासित प्रान्तों में जन शिक्षा विभाग (Department of Public Instruction) की स्थापना घोषणा की गई। यह भी घोषणा की गई कि इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन निदेशक (Director of Public Instruction) होगा और इसकी सहायता के लिये उपसंचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति होगी । वर्ष के अन्त में प्रत्येक प्रान्त को प्रान्त की शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी।

3. सहायता अनुदान प्रणाली- इस नीति में पहली बार देशी और विदेशी सभी शिक्षा संस्थाओं को बिना धार्मिक भेद-भाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई और आर्थिक सहायता को विभिन्न मदों- भवन निर्माण, शिक्षकों के और छात्रवृत्तियों आदि में देने का प्रावधान किया गया।

2.3.1 शिक्षा का सगंठन

शिक्षा के सगंठन के विषय में इस नीति में दो घोषणाए की गई-

1. शिक्षा का सगंठन चार स्तरों में- इस नीति में भारतीय शिक्षा को चार स्तरों - प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कुल और उच्च में सगंठित करने की घोषणा की गई।

2. क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना- इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उपर्युक्त संस्थाओं के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों- प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कुल, कॉलिज और विश्वविद्यालयों में स्थापना की घोषणा की गई। इस क्रमबद्ध विद्यालय योजना को प्रायः निम्नांकित रेखाचित्र दर्शाया जाता है-

प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कुल, कॉलिज, विश्वविद्यालय

2.3.2 शिक्षा के उद्देश्य

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए उन उद्देश्ययों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं-

1. भारतीयों का मानसिक विकास करना और उनके बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाना।
2. भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना।
3. भारतीयों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मॉग बन्द करना ।
4. भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना।
5. राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना।

2.3.3 शिक्षा की पाठ्यचर्या

इस घोषणापत्र (शिक्षा नीति) में पाठ्यचर्या के सन्दर्भ में निम्नलिखित घोषणा की गई -

1. प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान - इसमें भारतीयों के लिये प्राच्य भाषा एंव साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया और उन्हे पाठ्यचर्या में उचित स्थान देने की घोषणा की गई। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि प्राच्य भाषा और साहित्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को विशेष स्थान - इस शिक्षा नीति में भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिये पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान की शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया और उसे पाठ्यचर्या में विषेष स्थान देने पर बल दिया गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट रुप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते है। कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते है वह है - यूरोपीय ज्ञान।

3. धर्मिक शिक्षा की सीमित छूट - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तथस्थता की नीति का पालन किया गया। पर साथ ही इन सरकारी स्कूलों कें पुस्तकालयों में बाईबिल रखना अनिवार्य कर दिया गया।

2.4 शिक्षण विधि –

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति की घोषणा की गई-

1. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाए और अंग्रेजी- इस घोषणा पत्र में प्राथिमक स्तर की शिक्षा के लिए देशी भाषाओं और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि- हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते-फूलते देखना चाहते है।

2. उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी- घोषणा पत्र में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि प्राच्य भाषाए इतनी विकसित नही है कि उनके माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जा सके अतः उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी ही शिक्षा के लिये अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होगी।

शिक्षक - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षको के स्तर उठाने पर बल दिया गया और इसके लिये शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही गई।

शिक्षार्थी - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में किसी भी प्रकार के विद्यालयों में बढनें वाले निर्धन छात्रों के लिये छात्रवृतियॉ देने का प्रावधान किया गया।

2.4.1 शिक्षण संस्थाए–

शिक्षण संस्थाए के विषय में इस नीति में निम्नलिखित घोषणाए की गई-

1. विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओ की स्थापना- इस शिक्षा नीति में किसी भी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी (सरकार) का उतरदायित्व निश्चित किया गया और कम्पनी से यह अपेक्षा की गई कि वह आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर की संस्थाओ की स्थापना करे।

2. व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना - इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई।

3. विश्वविद्यालयों की स्थापना - उस समय हमारे में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नही थे। इस घोषणा की गई कि भारत में लन्दन विश्वविद्यालय के आर्दश पर कलकता और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएगे और इसके बाद आवश्यकतानुसार मद्रास और अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थपित किए जाएगे। इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया जाएगा और योग्य एंव अनुभवी कुलपती एंव प्राध्यापक नियुक्त किये जाएगे। इन विश्वविद्यालयो में प्राच्य एंव पाश्चात्य भाषा एंव साहित्यों , विधि और इन्जीनियरिंग की उच्च शिक्षा की विषेश व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महाविद्यालयों को इनसें सम्बद्ध किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के महाविद्यालय कों सम्बद्धता प्रदान करेगें, उन पर नियन्त्रण रखेगे , उनके छात्रों की परीक्षा लेगे और उतीर्ण छात्र को प्रमाणपत्र प्रदान करेगें।

2.4.2 जन शिक्षा –

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 5 निर्णयों की घोषणा की गई-

1.निष्यन्दन सिद्धान्त को निरस्त किया जाता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं सबके लिए सुलभ कराई जाएगी।

2. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

3. निर्धन छात्रों को छात्रवृतियॉं दी जाएगी।

4. जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों (देशी और मिशनरी प्रयासों) को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5. भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा और अच्छे अनुवादको को पुरस्कृत किया जाएगा।

2.4.3 स्त्री शिक्षा-

इस घोषणा पत्र- (शिक्षा नीति) में स्वीकार किया गया कि भारतीयों का नैतिक एंव चारित्रिक विकास करने और उसकी भैतिक उन्नति करने के लिये स्त्री शिक्षा की अति आवश्यकता और इसके विकास हेतु निम्नलिखित घोषणाए की गई

(1) बालिका विद्यालयों को विषेष अनुदान (सरकारी सहायता) दिया जाएगा।

(2) स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने हेतु व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.4.4 मुसलमानों की शिक्षा -

इस घोषणापत्र (शिक्षा नीति) में यह स्वीकार किया गया कि भारत में हिन्दूओं की अपेक्षा मुसलमानों मे शिक्षा का प्रचार बहुत कम है और इनको शिक्षा के प्रसार के लिये निम्नलिखित घोषणाए की गई -

(1) मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिये विषेष स्कूल खोले जाएगे ।

(2) मुसलमान बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित किया जाएगे ।

2.4.5 व्यावसायिक शिक्षा-

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने, उद्योगो में कुशल कर्मकारों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के व्यावसयिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दो घोषणाए की गई।

(1) भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी।

(2) शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी।

2.4.6 शिक्षक शिक्षा-

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षा का स्तर के लिये शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणाए की गई।

(1) भारत में इंग्लैण्ड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह के शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

(2) यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षको, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिये अलग- अलग होगा।

(3) शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृतियॉं देने की व्यवस्था की जाएगी ।

2.4.7 धार्मिक शिक्षा

धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में इसमें एक ओर धार्मिक तटस्थता की नीति की बात कही गई और दूसरी मिशन स्कूलों को धर्म शिक्षा देने की छूट दी गई और सभी सरकारी स्कूलों के पुस्कालयों में बाइबिल रखना अलिवार्य किया गया।

2.5 वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण– दोष विवेचना –

किसी भी वस्तु, विचार अथवा क्रिया का मुल्याकंन किन्ही निश्चित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है । शिक्षा एक सामाजिक प्राकिया है, विकास की प्रकिया है। अतः किसी भी शैक्षिक विचार अथवा क्रिया का मुल्याकंन समाज विशेष की तत्कालीन परिस्थितियों आवश्यकताओ, आकाक्षाओं और सम्भावनाओ के आधार पर किया जाना चाहिये । हम यहां वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) 1854 का मूल्याकंन अथवा गुण-दोष विवेचन भारतीय समाज के सन्दर्भ में ही करेगें।

वुड का घोषणा पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र प्रमुख गुण

Wood's dispatch the Megnacarta of Indian Education main merites

वुड का घोषणा-पत्र शिक्षा का महाधिकार पत्र निम्न आधारो पर कहलाता है-

(1) शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर (Responsibility of Education on Government) - भारत में प्रथम बार यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य (सरकार) का उत्तरदायित्व है। आज की परिस्थिातियों में तो यह अति आवश्यक हो गया है ।

(2) शिक्षा विभाग की स्थापना (Establishment of education Department) - शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होने की स्थिाति में इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिये राज्य में शिक्षा विभाग होना भी आवश्यक था। वुड के घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रान्त में जन-विभाग की स्थापना की घोषणा किया जाना उसका दूसरा बड़ा गुण था । वर्तमान में शिक्षा विभाग को इतना विस्तृत किया गया है कि उसके अभाव में शिक्षा की व्यवस्था सही ढ़ग से की ही नही जा सकी ।

(3) सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारम्भ (Beginning of Grants in Aid System) - शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार द्धारा किया जाना असम्भव ही है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत प्रयासों द्धारा चलाई जा रही संस्थाओं कों अर्थिक सहायता देने का प्रारम्भ और वह भी नियमानुसार और कुछ शर्ते पूरी करने पर, इस घोषणा पत्र द्धारा घोषित नीति का तीसरा गुण था। उसी सहायता अनुदान प्रणाली को हम आज भी चला रहे है यह बात अन्य है कि थोडें परिवर्तित रुप में यह कार्य हो रहा है ।

(4) निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान(Provision of giving scholarship to poor students)- अल्प साधन होते हुए भी निर्धन छात्रों के लिये छात्रों के लिये छात्रवृति का प्रावधान इसका प्रशंशनीय था।

(5) शिक्षा का संगठन मनौवज्ञानिक स्तरों में (Organization of Education in Physical Education)- पहले से हमारे देश में शिक्षा केवल दों ही स्तरो में विभाजित चली आ रही थी- प्राथमिक और उच्च। इस घोषणा पत्र में छात्रों की आयु अर्थात उनकी मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर उसे प्राथमिक (शिशु) मीडिल (बाल), हाईस्कूल (किशोर) और उच्च (युवा) में संगाठित किया गया।

(6) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना (Foundation of Grade Institution0 शिक्षा के विभिन्न स्तरों - मिडिल, हाई स्कूल और उच्च के लिये अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना की घोषणा किया जाना इसका महत्वपूर्ण गुण था।

(7) भारतीयों के नैतिक विकास पर बल (Emphasis on Moral Development of Indians) - इस घोषणा पत्र में शिक्षा के पॉच उद्देश्य निश्चित किये गयें थें।

(क) भारतीयों का मानसिक विकास,

(ख) भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराना।

(ग) भारतीयों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना।

(घ) भारतीयों का नैतिक एंव चारित्रित विकास करना,

(ड़) राज्य के लिये सुयोंग्य कर्मचारी तैयार करना।

यह उद्देश्य ऐसा उद्देश्य था जो हमारी संस्कृति की पहचान है । इसके विकास के कारण ही हम देश की स्वतन्त्रता के लिये आगें बढ़े।

(8) पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के ज्ञान पर बल (Emphasis on Western Knowledge) - इस घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया-'हम बलपूर्वक घोषित करते है कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहतें है वह है- यूरोपीय ज्ञान'। अब इसके पीछे उनका उद्देश्य चाहें कुछ भी रहा हो पर इसके परिणाम भारत और भारतवासियों के हित में रहें। अतः इसे भी इस नीति का गुण ही मानना चाहिये।

(9) सभी प्रकार के विद्यालयों- प्राच्य और पाश्चात्य के विकास पर बल (Emphasis on the development of all kinds of school – Oriental and Occidental) घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया - 'हम भारत में देशी, मिशनरी और सरकारी सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को फूलतें -

फलते देखना चाहते है। 'वर्तमान में भारतीय सरकार को तो इस नीति को हदय में अपनाना आवश्यक है।

(10) विश्वविद्यालयों की स्थापना (Foundation of Universities)-

घोषणा पत्र में भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। उस समय केवल कलकता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आज देश भर में विश्वविद्यालय स्थपित है।

(11) निस्यन्दन सिद्धान्त की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल (Cessation of filtration theory and Emphasis on Mass Education) - मैकाले के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बैंटिक और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैण्ड द्धारा स्थापित भेदभावपूर्ण निस्यन्दन सिद्धान्त को निरस्त कर दिया गया और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया गया। वर्तमान में भारत में तो यह प्रमुख आवश्यकता है।

(12) स्त्री शिक्षा पर बल (Emphasis on Women education) - देश की उन्नति के लिये स्त्री शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गयी और उसके लिये बालिका विद्यालयो की संख्या बढाने की घोषणा की गई। आज यह बात सभी स्वीकार करतें है कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी आधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

(13) मुसलमानों की शिक्षा पर बल (Emphasis on muslim Education) उस समय मुसलमान बच्चे इस अंग्रेजी शिक्षा की ओर कम आकर्षित हो रहें थें। अंग्रेजी ने इस समस्या कर घोषणा की कि मुसलमानों की शिक्षा के लियें अतिरिक्त प्रबन्ध किये जायेंगें। यह स्थिति आज भी बनी है। सरकार कों इस पर ध्यान देना चाहियें।

(14) व्यावसयिक शिक्षा पर बल (Emphasis on Vocational Education) - अंग्रेजी ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत की आर्थिक उन्नति के लिये व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है। वर्तमान में शिक्षाविद् रोजगारपरक शिक्षा पर बल दे रहे है।

(15) शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था (Arrangement of Teacher education) - निसन्देह उस समय तक इस देश में मिशनरियों द्धारा एक दो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जा चुके थे परन्तु उनमें दिया जाने वाला प्रशिक्षण अपने ही प्रकार का था। इस नीति में यह घोषणा की गई कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिये इग्लैण्ड की तरह के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायेगे। वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय आज भी उसी आधार पर चल रहे है।

2.5.1 वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियॉ (Shortcoming of weakness)

वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियों अथवा दोषों का वर्णन निम्न प्रकार है-

(1) शिक्षा कम्पनी (ब्रिटिश शासन) के नियन्त्रण में (Education under the control of company)- शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी का उत्तरदायित्व घोषित होने पर शिक्षा पर उनका नियन्त्रण होना स्वाभाविक था। उनके द्वारा ईमानदारी से भारतीयों का हित साधा जाना तर्क संगत न था।

(2) शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का प्रारम्भ (Begning of Red-Tepism in the field of education)-शिक्षा विभाग की स्थापना का अर्थ लाल- फीताशाही का श्रीगणेश था। उस समय इस विभाग में ऊँचे पदों पर तो अंग्रेज ही नियुक्त होते थे और कनिष्ठ पदों पर अंग्रेजभक्त। इनसे भारतीयों के हितार्थ सामान्य व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

(3) सहायता अनुदान की कठोर शर्ते (Harsh condition of grant in Aid))- सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारम्भ एक अच्छा कदम था, परन्तु इसको प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को अनेक शर्ते पूरी करनी होती थीं, जो इतनी अधिक और कठोर थी कि प्राच्य विद्यालय इसका कम लाभ उठा पाए।

(4) शिक्षा का उद्देश्य पाष्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास (The objective of education, the development of western culture and civilization)-इस नीति में शिक्षा के पाचँ उद्देश्य निश्चित किए गये थे। यद्यपि उनमें यह उद्देश्य घोषित नहीं किया गया, तथपि वासताव में इन सबके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संसकृति का विकास ही था।

(5) पाष्चातय ज्ञान-विज्ञान को अधिक महत्व (More importance of Western knowledge)- अंग्रेजो को अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपने ज्ञान-विज्ञान को श्रेष्ठ समझना स्वाभाविक था, पर उन्होंने यह विचार कभी नहीं किया कि भारतीयों के लिए क्या श्रेष्ठ है। इसका दुरगामी कुप्रभाव यह रहा कि भारतीयों में हीनता की भावना विकसित हुई, जिससे वे अभी तक नहीं निकल पाए है।

(6) उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी (Only English Medium of Higher Education) - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में प्राच्य भाषाओ और अंग्रेजी दोनों को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा थी। इसके साथ ही पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान को प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के सम्बन्ध में कहा गया था परन्तु उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही रखा गया था । परिणामतः सामान्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित ही रहे ।

(7) सरकारी स्कूलों में बाईबिल अनिवार्य -(Bible Compulsory in government school) - शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तथस्थता की नीति की घोषणा की गई थी। पर स्कलों के पुस्तकालयों में बाईबिल की प्रतियॉं अनिवार्य रुप से रखने का आदेश दिया गया था ।

(8) ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट (Christian missionaries at - liberty in imparting religious education in their school) ईसाई मिशनरियों की मॉग पर इस शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई। यद्यपि किसी भी धर्म की शिक्षा जबरन न देने का सुझाव दिया गया। तथापि यह आवरण मात्र था।

(9) सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक Knowing English essential for government service - घोषणा यह की गई थी कि यदि अभ्यार्थियों में अन्य योग्यतायें समान हो तो अंग्रेजी जानने वालो को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। वास्तव में इसका आशय अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता से

अपनी उन्नति जानिय check your progress

रिक्त स्थानों की पूर्ति करो

1. वुड के घोषणा पत्र .... सन् 1854 को घोषित किया गया।

2. घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकारी स्कूल में....... नामक धार्मिक पुस्तक का रखना अनिवार्य है।

3. देशी प्राथमिक विद्यालयों तथा हाई स्कूल के मध्य .... स्कूल रखें गयें।

4. यदि अभ्यर्थीयों में अन्य योग्यतायें समान हों तों............जानने वालों को वरियता दी जायेगी।

ही थी।

सत्य/असत्य कथन

5. घोषणा पत्र में कहा गया कि बालिका विद्यालयों को विषेष अनुदान दिया जाएगां।

6. शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता देने हेतु सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचालित करने का सुझाव दिया गयां।

7. शिक्षा के कम्पनी का उत्तरदायित्व घोषित होने का तात्पर्य था कम्पनी का शिक्षा पर नियन्त्रण।

8. परीक्षाओं को सर्वोपरि स्थान देने से शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन न रहा।

बहुविक्लपीय प्रश्न -

सही उत्तर का चयन कीजिये

9. शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी ?

(1) ब्रिटिश सरकार, (2) कम्पनी

(3) चार्ल्स वुड, (4) इनमें से कोई नहीं।

10. शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी ?

(1) मैकाले, (2) विलियम बैटिक,

(3) ऑकलैण्ड, (4) चार्ल्स वुड।

11. भारत के सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहॉं की गई थी ?

(1) कम्पनी मुख्यालय पर, (2) प्रान्तों के मुख्यालयों पर,

(3) कम्पनी शासित जिलों में (4) पूरें देश मे

2.6 शारांश summary

वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा के प्रति योगदान (Contribution of education policy consisted in Wood's Despatch to Indian education)

वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा के विकास के योगदान को हम दो भागो में देख या समझ सकते है तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव। इनका वर्णन निम्न प्रकार है-

तत्कालीन प्रभाव- (Short term effect) -

वुड के घोषणा पत्र के तत्कालीन प्रभाव को हम निम्नलिखित क्रम में देख समझ सकते है-

(1) 1856 तक सभी प्रान्तो में शिक्षा विभागों की स्थापना (Establishment of education department in all provinces by 1856 - 1865 तक कम्पनी (ब्रिटिश शासित सभी प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई, जन शिक्षा निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियॅा हो गई। इन्होनें शीघ्र ही अपना कार्य करना प्रारम्भ की दिया।

(2) सभी प्रान्तों में सहायता अनुदान प्रणाली प्रारम्भ (Beginning of grant in aid system in all the provission)- सभी प्रान्तों के शिक्षा विभागों ने अपने-अपनें क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति और आवश्यकतानुसार सहायता-अनुदान के नियम बनाए। वे विद्यालय जो उन शर्तों को पूरी करते गये उन्हें अनुदान देना शुरू कर दिया।

(3) सभी स्तर के स्कूल और कॉलिजों की स्थापना (Establishment of school and college of all levels) माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं की मॉग अधिक होने के कारण कम्पनी ने उसी स्तर के स्कूल कॅालिज खोलने शुरू किए।

(4) कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालयोंकी स्थापना (Foundation of university in Calcutta and Bombay)- 1857 में कलकत्ता और मुम्बई में विश्वविद्यालयोंकी स्थापना की गयी। प्रारम्भ में ये विश्वविद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र देने तक सीमित रहे, बाद में इनमें शिक्षण कार्य भी होने लगा।

दीर्घकालीन प्रभाव (Long Term Effects)-

वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव यहॉ से शुरू होते है। उसके दीर्घकालीन प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से है-

(1) शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व (Education and Liability)- वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था। आज तक हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता रहा है।

(2) शिक्षा राज्य के नियन्त्रण में (Education under State Control) - यह यर्वविदित है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व तो राज्य तभी निभा सकता है जब उसका नियन्त्रण उसके हाथों में हो। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा की पूरी नीति और पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी। आज भी यही स्थिति बनी हुई है।

(3) सहायता अनुदान प्रणाली की निरन्तरता (Continuity of Grant in Aid system)- पहले राज्य अथवा सरकार शिक्षा संस्थाओं को स्वेच्छा से आर्थिक सहायता देती थी। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार निश्चित शर्तों को पूरी करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान शुरू किया गया। यह व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है।

(4) शिक्षा का संगठन विभिन्न स्तरों मं (Organisation of Education in various stage) - वुड के घोषणा पत्र में प्रथम बार बच्चों की आयु और मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा को चार स्तरों में बॉटा गया था। वर्तमान में केवल एक स्तर पूर्व प्राथमिक स्तर और बढ़ाया गया है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को विभिन्न वर्गों में विभजित किया गया है।

(5) शिक्षा के उद्देश्य समय की माँग के अनुसार (Objectives of education according to time) - वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गये थे। आज भी समयानुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का काम जारी है।

(6) शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का वर्चस्व (Survival of western knowledge in the Curriculum of education)- वुड डिस्पेच मे पहली बार स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई कि भारत में यूरोपीय ज्ञान का ही वर्चस्व है। आज ते हमारी शिक्षा की पाठ्यचार्या, विषेषकर उच्च शिक्षा में कृषि, इन्जीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान में पाष्चातय ज्ञान-विज्ञान का वर्चस्व चला आ रहा है। इसी वर्चस्व के कारण हमने इस युग में भौतिक उन्नति की है।

(7) उच्च शिक्षा जैसे- कृषि, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा आदि का माध्यम अंग्रेजी (Medium of higher education viz Agriculture, Engineering, Medical etc)- उस समय उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना अंग्रेजों की विवषता थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 58 वर्ष बाद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, इन्जीनियरिंग और चिकितसाशास्त्र का माध्यम अंग्रेजी ही बना हुआ है।

(8) क्रमबद्ध विद्यालयों की निरन्तरता (Continuity of graded school)- वुड डिस्पेच में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई थी, यह आज भी है। हमने उसके पूर्व में प्राथमिक और अन्त में अनेक वर्गो की शिक्षा के लिए अलग-अलग विद्यालय और महाविद्यालायों की स्थपना करनी शुरू कर दी है।

(9) जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा (Public education, women education, Vocational education and Teacher education) जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसयिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा का प्रारम्भ वुड डिस्पेच में ही किया गया था। इन सबके महत्व को उस समय से आज तक बराबर स्वीकार किया जाता रहा है।

2.7 शब्दावली Glossary

व्यावसायिक शिक्षा- इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने, उद्योगो में कुशल कर्मकारों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के व्यावसयिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है।

क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना (Foundation of Grade Institution0 शिक्षा के विभिन्न स्तरों - मिडिल, हाई स्कूल और उच्च के लिये अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना की घोषणा किया जाना इसका महत्वपूर्ण गुण था।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice question

उत्तर 1 मेग्नाकार्ट उत्तर 2 बाईविल

उत्तर 3 मिडिल उत्तर 4 अग्रेज़ी

उत्तर 5 सत्य		उत्तर 6 सत्य
उत्तर 7 सत्य		उत्तर 8 सत्य
उत्तर 9 कम्पनी	उत्तर 10 चार्ल्स वुड	उत्तर 11 पूरे देश

2.9 सन्दर्भ Reference:-

i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।

ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009)भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।

iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

2.10 निबन्धात्मक प्रश्न -

1. सन् 1854 के वुड कें आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशे क्या थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आदेश पत्र के स्थान का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिये।

What were the main recommendations of wood's dispatch of 1854? Give a critical estimate of the place of this dispatch in the history of modern Indian Education.

2. वुड का आदेश-पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार -पत्र कहा जाता है। समीक्षा कीजिये।

Wood dispatch is called the megnsacharta of Indian Education Discuss.

3. वुड के आदेश - पत्र की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिषों बताइयें, जो आधुनिक भारत में शिक्षा के लिये लाभप्रद सिद्ध हों सकती है।

Point out same of the important recommendation of Wood's despatch which can prove useful for education in Morden India.

4. वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कीजियें।

Evaluate the Wood's Despetch.

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वुड डिस्पेच में घोषित शिक्षा नीति के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजियें।

2. वुड डिस्पेच में शिक्षक-शिक्षा के विषय में क्या घोषणा की गई थी।

3. वुड के घोषणा पत्र के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिय।

4. आपकी सम्मति में वुड कें घोषणा पत्र कों भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहना कहॅा तक उचित है

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. किन नगरों में विश्वविद्यालय में स्थापित करनें की घोषणा की गयी ?

In which city was in declared to setup Univercity.

2. स्त्री शिक्षा के लियें क्या नीति घोषित की गई?

What policy was declared for women education.

3 वुड के घोषणा पत्र के निस्पन्दन सिद्धान्त के सम्बन्ध में क्या उठाया गया ?

What step was taken about filtration theory in Wood's Dispatch.

इकाई 3 सेडलर आयोग सुझाव (कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग) 1917-19 हन्टर आयोग व अध्यापक शिक्षा 1882 (भारतीय शिक्षा आयोग) Recommendations of Sadler Commission (Calcutta University Commission) 1917-19 & Hunter Commission & teacher education1882 (India Education Commission)

3.1 प्रस्तावना Introduction
3.2 उद्देश्य Objectives
3.3 आयोग की नियुक्ति (Appointment of the Commission)
3.3.1 आयोग का कार्यक्षेत्र (Terms of Reference of the Commission
3.3.2 आयोग का प्रतिवेदन (Report of the Commission
3.4 आयोग कि सिफारिशें (Suggestion of Commission)
3.4.1 सेडलर आयोग की माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव Suggestion of Sadler Commission for Secondary Education
3.4.2 सेडलर आयोग की भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव Suggestion of Sadler Commission for Indian university
3.4.3 सेडलर आयोग की विशेष सुझाव Special Suggestion of Sadler Commission
3.4.4 सेडलर आयोग की मुस्लिम व स्त्रीयो के सम्बन्ध में शिक्षा अन्य समस्याओं सम्बन्धी सुझाव Suggestion of Sadler Commission for Muslim and Women
3.5 हन्टर आयोग की सिफारिशे और सुझाव Suggestion of Hunter Commission
3.5.1 हन्टर आयोग की प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for Primary Education)

3.5.2 हन्टर आयोग की माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for Secondary Education)
3.5.3 हन्टर आयोग की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for Higher Education)
3.5.4 हन्टर आयोग की स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission About Women Education)
3.5.5 हन्टर आयोग की मुसलमानो की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission about the Education of Muslim)
3.5.6 हन्टर आयोग की अनुसूचित जाती और पिछडी जातियो की शिक्षा सम्बन्ध मे सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for schedule Cast and Backward Cast Education)
3.5.7 हन्टर आयोग की आदिवासियों और पहाडी जातियो की शिक्षा (Suggestion of Hunter Commission Education and Aboriginal and hill Tribes)
3.5.8 शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशे (Recommendations about Training of Teachers)
अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress
3.6 सारांश Summary
3.7 शब्दावली Glossary
3 .8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
3.9 सन्दर्भ Reference
3.10 निबन्धात्क प्रश्न Essay Type Question

3.1 प्रस्तावना Introduction

भारत में शिक्षा के सुधार हेतु समय-समय पर अनेक आयोगो की नियुक्ति की गयी जिनका मूल उद्देश्य भारतीय शिक्षा पद्धति में सख्यात्मक व गुणात्मक सुधार करना था। जिसका लाभ भारत के लोगो को प्राप्त हो सका। भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकारियो में अपनी भागीदारी बढ़ाकर भारत के विकास में अपना योगदान दिया। वुड घोषण पत्र 1854 के तहत भारतीय

शिक्षा के इतिहास में क्रान्तीकारी परिवर्तन व एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ। सन् 1855 के अन्त तक प्रत्येक प्रान्त में लोक शिक्षा आयोग की स्थापना हो गयी। तथा सहायता अनुदान प्रणाली प्रचलित की गयी।

सन् 1857 में मद्रास, मुम्बई, और कलकत्ता में विश्वद्यिालयों का शिलान्यास किया गया किन्तु उसी वर्ष 1857 की क्रान्ती के विस्फोट ने भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरूध कर दिया। परिस्थितियो में सुधार लाने हेतू सन् 1858 बिट्रिश पार्लियामेन्ट ने कम्पनी के शासन को समाप्त करके बिट्रिश सरकार (महारानी विक्टोरिया) ने स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथो में सम्भाल ली। तथापि कम्पनी के कर्मचारियो में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद जब बिट्रिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथो में सम्हाला तो बोर्ड आफ कन्ट्रोल के स्थान पर भारत मन्त्री की नियुक्त की गई तथा स्टैनले पहला भारत मन्त्री नियुक्त हुआ। उसने तत्कालीन परिस्थितियो का अध्ययन करके 1859 ई0 में पुनः एक आज्ञा पत्र जारी किया। उन्होने प्राथमिक शिक्षा के अलावा बुड की सभी विषयो में की गई सिफरिशो को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1861 में बिटेन सरकार ने, भारतीय बिट्रेन सरकार ने भारतीय वैधानिक अधिनियम (Indian Legislative Act) पास किया। उसके अनुसार भारत के प्रत्येक प्रान्त में विधान परिषदो (Legislative Council) का गठन किया जिनमे भारतीयो को भी प्रतिनिधित्व दिया गया।

1880 में लार्ड रिपन (Lord Rippan) भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। अनुकूल अवसर पाकर जनरल काउन्सिल आफ एजूकेशन इन इन्डिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने लार्ड रिपन से भेट की उन्हे अपनी समस्याओ से अवगत कराया और भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का निवेदन किया। लार्ड रिपन ने उन्हे भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया, अतः लार्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। शिक्षा के विकास हेतु सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। यूँ इस आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में किया था, परन्तु इसने समस्त स्तरों की शिक्षा का अध्ययन किया था और उनके सुधार के लिए सुझाव दिए थे, उच्च शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के लिए भी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 -पारित कर प्रकाशित किया। इस अधिनियम के लागू होने से भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढाँचे का पुनर्गठन हुआ और कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य आरम्भ हुआ। सुधार के इसी क्रम में सरकार ने 1913 में शिक्षा नीति सम्बन्धी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लिए गए थे। अभी इन सुझावों पर अमल शुरू ही हुआ था कि 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया। तब सरकार का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु सेडलर आयोग का गठन किया गया है जिसने शिक्षा में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए।

3.2 उद्देश्य Objectives

i. कलकत्ता विश्वविद्यालय' आयोग की नियुक्तियो के कारणों को जान सकेगे।
ii. सैडलर आयोग का कार्यक्षेत्र व कार्य-प्रक्रिया को समझ सकेगे।
iii. सैडलर आयोग कि सिफारिशो (कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग) को समझ सकेगे।
iv. माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव व भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव को समझ सकेगे।
v. शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशे का आज के संदर्भ में समझ सकेगे।
vi. हण्टर कमीशन की शिक्षा नाम नीति को समझना।
vii. हन्टर कमीशन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को जानना।
viii. हन्टर कमीशन के शिक्षा के सम्बन्ध में दिए सुझावों को समझना।
ix. हन्टर कमीशन के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गए सुझावों को समझना।
x. हन्टर कमीशन के आदिवासी व स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गयें सुधारों को समझना।

3.3 आयोग की नियुक्ति (Appointment of the Commission)

सरकार शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा में सुधार की बात से ही रही थी कि तभी 1916 में बंगाल प्रान्त के शिक्षा संचालक सर आशुतोष मुकर्जी ने सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, उसमें कुछ विषयों में स्नातक कक्षाएँ शुरू करने की बात भी सोची जा रही थी, उससे समबद्ध महाविद्यालयों पर उनकी पकड़ भी ढीली होती जा रही थी और उनका स्तर भी गिरता जा रहा था। अतः 14 सितम्बर, 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की इन सब समस्याओं का अध्ययन सरकार और उनके सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकेल सैडलर **(Dr.Michacl Sadler)** की अध्यक्षता में सात सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' की नियुक्ति की। साथ ही इस आयोग से यह अपेक्षा की कि वह अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का भी अध्ययन करे और उनके समग्र रूप में सुधार के लिए सुझाव दे। चूँकि इस आयोग के अध्यक्ष डाँ0 सैडलर (Dr.Sadler) थे, अत: कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को उनके नाम पर सैडलर आयोग **(Sadler Commission)** भी कहते हैं।

3.3.1 आयोग का कार्यक्षेत्र Terms of Reference of the Commission

सैडलर आयोग का कार्यक्षेत्र

i. कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करना, इसकी आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना।
ii. कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रशासनिक समस्याओं व् संगठनात्मक ढ़ाचे का समाधान करना।
iii. कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या व अध्यापक अनुपात, परीक्षा व्यवस्था की जांच करना ।
iv. अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उसके आधार पर समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव देना।

हन्टर आयोग का कार्यक्षेत्र (Terms of Reference of Commission)

कमीशन को निम्नलिखित विषयों की जाँच करने के निर्देश दिये गये थे।

i. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके विकास के लिए क्या उपाय अपनाये जाने चाहिए।
ii. क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अवेहना की है।
iii. वुड डिस्पेच द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ है और उस नीति में तथा परिवर्तन आवश्यक है।
iv. भारत की शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलो की क्या भूमिका है इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए।
v. भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की क्या भूमिका है।
vi. भारत में शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है इस सम्बन्ध से सरकार की क्या नीति होनी चाहिए।

3.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the Commission

सेडलर आयोग ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना पहली आवश्यकता है। अतः उसने पूरे भारत का भ्रमण कर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया और समस्त विश्वविवद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन किया और इसके बाद इन समस्याओं के निदान पर विचार किया। आयोग ने 17 माह के निरन्तर परिश्रम के बाद मई, 1919 में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया। यह प्रतिवेदन एक विस्तृत अभिलेख है जो 17 भागों में विभाजित है। इसमें माध्यमिक और

विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ स्त्री शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और शिक्षक आदि के विषय में भी सुझाव दिए गए हैं

जबकि हन्टर आयोग ने 7 सप्ताह तक कलकत्ता में शिक्षा सम्बन्धि पूर्व सरकारी दस्तावेजो, विशेषकर वुड डिस्पेच का गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद सदस्यो ने भारत के विभिन्न भागो का भ्रमण किया और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया लगभग 10 माह तक उक्त क्षेत्रों की जाँच करने के उपरान्त मार्च 1883 में 600 प्रण्टो की एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार के समुख प्रस्तुत की जिसमें 220 प्रस्ताव थे।

3.4 आयोग कि सिफारिशें Suggestion of Commission

सैडलर आयोग(कलकत्ता विश्वविद्यालय) (Calcutta University Commission)

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन मूलरूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके समाधान हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया था, परन्तु साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की गई थी कि वह समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर उनके प्रशासनिक ढाँचे और शैक्षिक कार्यविधि में सुधार के लिए सुझाव दे। उसने ये दोनों कार्य किए। क्योंकि दूसरे कार्य सम्बन्धी सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भी लागू होते हैं इसलिए हम सवप्रर्थम भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझावों का वर्णन करेंगे और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी विशेष सुझावों का। आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता बताया और उसमें सुधार के लिए भी अपने सुझाव दिए इसलिए इन सुझावों का वर्णन हम सबसे पहले करना चाहेंगे। आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा और पर्दानसीन महिलाओं की शिक्षा आदि समस्याओं के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव दिए थे। इनका वर्णन हम चौथे और अन्तिम पायदान पर करना उचित समझते हैं।

3.4.1 सैडलर आयोग की माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव Reference of Secondary Education Suggestion

आयोग की दृष्टि से उच्च शिक्षा की प्रगति और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिण् उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता है। आयोग ने अपने अध्ययन में देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रसार तो हुआ था परन्तु उसके स्तर में बड़ी गिरावट आ गई थी। माध्यमिक विद्यालयों और उसके शिक्षकों की दशा भी ठीक नहीं थी। इस सबके सुधार के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए-

(1) माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषाओं के माध्यम से पढ़ाए जाएँ।

(2) इण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए।

(3) इण्टर कॉलिज या तो अलग से खोले जाएँ या कक्षाओं को हाई स्कूलों में जोड़ दिया जाए।

(4) इण्टर कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि आदि की शिक्षा प्रदान की जाए।

(5) प्रत्येक प्रान्त में 'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' 'Secondary Education Board' की स्थापना की जाए। इन बोर्डो में सरकार, हाई स्कूल, इण्टर कॉलिज और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हों। इन्हें माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने, उनका निरीक्षण करने और उन पर नियन्त्रण रखने का भार सौंपा जाए।

(6) माध्यमिक शिक्षा के कुशलतापूर्वक संचालन के लिय आर्थिक सहायता का उचित प्रवंध किया जाना चाहिय।

(7) इंटरमीडिएट की कक्षाये छोटी होनी चाहिय ताकि शिक्षक और बालक एक दुसरे के निकट संपर्क में आ सके ।

3.4.2 सैडलर आयोग की भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Indian university

आयोग ने अनुभव किया कि उस समय विश्वविद्यालय सीधे सरकार के नियन्त्रण में थे, वे न स्वयं कुछ निर्णय ले सकते थे और न कुछ परिवर्तन कर सकते थे। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) विश्वविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त किया जाए, उन्हें हर क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जाए।

(2) विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए, उनका कार्यभार कम किया जाए।

(3) विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट (Court) और सिन्डीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) का गठन किया जाए।

(4) विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) और विद्वत् परिषदों (Academic Councils)का गठन किया जाए।

(5) विश्वविद्यालयो के कुलपतियों का पद वैतनिक किया जाए।

(6) विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना की जाए, और प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए।

(7) विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों, रीडरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए चयन समितियाँ बनाई जाएँ, इनमें विश्वविद्यालय से बाहर के सदस्य भी रखे जाएँ।

(8) विश्वविद्यालयों में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए और स्नातक पाठ्यक्रम (Degree Course) 3 वर्ष का किया जाए।

(9) विश्वविद्यालयों में योग्य छात्रों के लिए तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के साथ ऑनर्स कोर्स शुरू किए जाएँ।

(10) विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ और भारतीय भाषाओं को महत्त्व दिया जाए।

(11) विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण औा शोध कार्य की उचित व्यवस्था की जाए।

(12) मुस्लिम समुदाय शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। इसलिय मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिय।

3.4.3 **सैडलर आयोग के (कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी) विशेष सुझाव Special Suggestion for Calcutta University**

आयोग ने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुछ अपनी समस्याएँ थी, उसमें छात्र संख्या बढ़ती जा रही थी, उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इस सबके कारण उसका स्तर गिरता जा रहा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) ढाका (वर्तमान बांग्लादेश) में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय (Residential Teaching University) की स्थापना की जाए जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो। उस समय ढाका भारत के बंगाल प्रान्त का ही एक भाग था।

(2) कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से इस प्रकार जोड़ा जाए कि वे विश्वविद्यालय के शिक्षण कॉलिज के रूप में कार्य करें। इससे उनके स्तर में सुधार होगा।

(3) कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें नए विश्वविद्यालयों का रूप दिया जा सके।

(4) कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे महिलाएँ उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित न हों।

3.4.4 सेडलर आयोग की मुस्लिम व स्त्रीयो के सम्बन्ध में शिक्षा अन्य समस्याओं सम्बन्धी सुझाव

(1) आयोग ने देखा कि उस समय किसी भी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में मुसलमान बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी इसलिए उसने सुझाव दिया कि देश में मुसलमान बच्चों और युवकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(2) आयोग ने देखा कि उस समय पढ़ने वालें बच्चों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत अधिक कम थी। आयोग ने महिला शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतू स्त्री शिक्षा का विशिष्ट बोर्ड (Special Board of women Education) की स्थापना का सुझाव दिया

(3) आयोग ने यह भी देखा कि देश में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने माध्यमिक स्तर पर्र पर्दा स्कूल' खोलने का सुझाव दिया। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में पर्दानसीन युवतियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

3.5 हन्टर आयोग की सिफारिशे और सुझाव (Recommendation and Suggestion of the Hunter Commission)

आयोग ने सामान्यत वुड डिस्पेच घोषित शिक्षा नीति 1854 का समर्थन किया उसने यह अनुभव किया कि इस नीति का क्रियान्वयन निष्ठा के साथ नहीं किया गया था साथ ही उसने इस नीति में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव भी दिए। इसमें मुख्य सुझाव निम्न है।

1. सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तर दायित्व स्थानीय निकायों (नगर पालिका और जिला परिषदो) पर छोड दे और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओ और सगठनो पर छोड दें।

2. सरकार सहायता अनुदान के नियमो को अधिक उदार बनाकर, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासो को प्रोत्साहन दे।

    i. सहायता अनुदान के नियम सरल एवं उदार बनाया जाए।
    ii. सहायता अनुदान के नियमो का प्रान्तीय आवश्यकताओ के अनुकूल बनाया जाए।

iii. सहायता अनुदान के नियमो को अलग-अलग मदो के लिए अलग-अलग बनाएं जाये।

iv. सहायता अनुदान के सभी नियम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियो, विशेषकर प्रधानाचार्या को अवगत कराया जाय तथा इन नियमो का प्रकाशन कराया जाये।

v. किसी विद्यालय के किसी भी पद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाये।

vi. विद्यालयो को सहायता अनुदान स्वीकृत करने में किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए।

vii. विद्यालयों को सहायर्ता अनुदान की धनराशी समय से पहुँचाई जाए।

viii. किसी विद्यालय को सहायता अनुदान देना अकारण बन्द न किया जाय।

ix. विद्यालयो के अध्यापको के वेतन और छात्रो की छात्रवृतियों के साथ-साथ विद्यालयो के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय आदि के लिए भी अनुदान दिया जाये।

3.5.1हन्टर आयोग के प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for Primary Education)

1. प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एव वित (Administration and Finance of Primary Education)

उस समय इग्लैंड में 1876 शिक्षा अधिनियमो (Education Act) के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व काउन्टी कौन्सिल (Country Council) को दे दिया गया था। उसका अनुकरण कर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और वित का भार जिला परिषदो तथा नगर पालिकाओ को सौपने का सुझाव दिया और स्पष्ट किया कि ये सस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेगी, उनमे अध्यापको की नियुक्ति करेगी और अन्य सब व्यय वहन करेगी। आयोग ने इन स्थानिय निकायो की शिक्षा हेतु वित व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि ये अलग से प्राथमिक शिक्षा का निर्माण करेगी और इस कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करेगी। प्रान्तीय सरकारे उन्हे कुल व्यय का 1/2 अथवा 1/3 भाग अनुदान के रूप में देगी।

2. प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Primary Education)

आयो ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दो मुख्य उद्देश्य बताए है।

i. जन शिक्षा का प्रसार।

ii. व्यावहारिक जीवन की शिक्षा।

3. प्राथमिक शिक्षा का पाठयक्रम (Curriculum of Primary Education)

आयोग ने सभी प्रान्तों को पाठयक्रम के निर्माण के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता दे दी तथा उनको इस बात के लिए निर्देश दिया कि अपने यहाँ का पाठयक्रम स्वय बना दे। लेकिन उनमें भौतिक विज्ञान कृषि, चिकित्सा, वहीखाता, क्षेत्रमिति, पशुपालन, कताई बुनाई आदि कुछ जीवनोउपयोगी विषयों को पाठयक्रम में आवश्यक सम्मिलित करने की सिफारिश की हैं।

4. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम (Medium of Primary Education)

आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं (प्रान्तीय भाषाए) होनी चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को इन भाषाओ के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

5. शिक्षको का प्रशिक्षण (Teacher’s Training)

प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति पर बल दिया और प्राथमिक शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयो (नार्मल स्कूलो) की संख्या बढाने पर बल दिया । आयोग की समिति में प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अवश्य होना चाहिए।

6. प्राथमिक देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन (Encouragement to Primary Indigenous School)

हन्टर कमीशन ने देशी पाठशालाओं के महत्व को खूब अच्छी तरह समझा था इनमे देश के करोडो बालक, बालिकाये, पीडितो और मौलवियों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इस सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है कि ये अत्यधिक सघर्ष होने पर भी जीवित है। इस प्रकार इन्होने सिद्ध कर दिया है कि इनमें शक्ति एव लोकप्रियता दोनों है। यदि देशी विद्यालयों को मान्यता और सहायता दे दी जाये तो यह आशा की जा सकती है। कि वे अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर लेगे और राष्ट्रीय शिक्षा की राज प्रणाली में लाभप्रद स्थान ग्रहण करेगे।

3.5.2 हन्टर आयोग के माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for Secondary Education)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये है।

1. माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित (Administration and finance of Secondary Education) आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौप दिया जाए। पर जिन क्षेत्रो में व्यक्तिगत प्रयासो से माध्यमिक स्कूल न खोले जा सके उनमे सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल खोले पर ऐसा स्कूल किसी भी जिले में एक से अधिक न खोला जाए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि व्यक्तिगत प्रयासो से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलो को सहायता अनुदान देने में उदारता बरती जाय और किसी प्रकार का भेद भाव न किया जाए।

2. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Secondary Education) - आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दो उद्देश्य बताये है।

i. सामान्य जीवन की तैयारी
ii. उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी

3. माध्यमिक शिक्षा का पाठयक्रम (Curriculum of Secondary Education) - आयोग ने माध्यमिक स्तर पर दो पाठयक्रम चलाने का सुझाव दिया अ. पाठयक्रम (A-Course) और ब पाठयक्रम (B-Course)

अ. पाठयक्रम (A-Course) - यह पाठयक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते है। इस पाठयक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया जायेगा और अग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

ब पाठयक्रम (B-Course) - यह पाठयक्रम जीवनोपयोगी पाठयक्रम होगा। यह पाठयक्रम उन बच्चो के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जीवन में प्रवेश करना चाहेगे अपनी रोजी रोटी कमाना चाहेगे, इस पाठयक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जायेगा और अग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

4. माध्यमिक शिक्षा का माध्यम (Medium of Secondary Education)- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में अपना कोई सुझाव नहीं दिया इसका अर्थ है कि उसने वुड डिस्पेच में घोषित अग्रेजी को माध्यम बनाए रखने का सुझाव दिया।

5. माध्यकिम शिक्षको का प्रशिक्षण (Training of Secondary Education) - आयोग ने माध्यमिक विद्यालयो में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने पर बल दिया और प्रशिक्षित शिक्षको की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की।

3.5.3 हन्टर आयोग के उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव (Commission's Suggestion About Higher Education)

यद्यपि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था पर उसने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध मे भी कुछ सुझाव दिये है।

1.उच्च शिक्षा का प्रशासन एव वित (Administration and Finance of Higher Education)- आयोग के सुझाव दिया क सरकार को उच्च शिक्षा का भार भारतीय जनता पर छोड देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालयो केवल उन्ही स्थानो पर खोले जाऐ जहाँ कि जनता इन्हे खोलने में असमर्थ हो और जहाँ इनकी माँग हो। गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी सभी पदों के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दे यह अनुदान महाविद्यालयों में शिक्षको और शिक्षार्थियो की संख्या और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। आवश्यकता पडने पर कालेजो को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री के लिए अलग से सहायता अनुदान दिया जाए।

2. उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of higher education) - आयोग की सम्मति में उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए।

i. शिक्षार्थियो को उच्च ज्ञान की प्राप्ती कराना।
ii. शिक्षार्थियों को नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म और मानव धर्म का ज्ञान कराना।
iii. शिक्षार्थियों को नागरिको के कर्तव्यो का ज्ञान कराना।
iv. विशेषज्ञों का निर्माण।

3.उच्च शिक्षा का पाठयक्रम (Curriculum of Higher Education) - आयोग ने उच्च शिक्षा के पाठयक्रम को व्यापक बनाने का सुझाव दिया जिससे छात्र अपनी रूचि के विषयों का चुनाव कर सके।

दूसरा सुझाव नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने का दिया और इसके लिए विशेष प्रकार की पुस्तके तैयार करने का सुझाव दिया जिनमें प्रकृति धर्म और मानव धर्म के सिद्धान्तो का प्रतिपादन हो।

4. उच्च शिक्षा का माध्यम (Medium of Higher Education) - उच्च शिक्षा का माध्यम के विषय में आयोग ने कोई सुझाव नहीं दिया। इसका अर्थ यही माना गया कि उसने उच्च शिक्षा का माध्यम अग्रेजी बनाए रखना उचित समझा।

5. प्राध्यापको की नियुक्ति (Appointment of Lecturer) - आयोग ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयो में प्राध्यापको की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए।

3.5.4 हन्टर आयोग के स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion About Women Education)

आयोग ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिये है।

i. स्थानीय सस्थाओं और प्रान्तीय सरकारो के पास जो भी सर्वजनिक कोष हो वह बालक बालिकाओ के स्कूलो को समान अनुपात में धन मिलना चाहिए।
ii. बालिका विद्यालयों को अनुदान देने के नियम सरल बनाए जाएँ। उन्हे उदारता पूर्वक अनुदान दिया जाए।
iii. बालिकाओ की शिक्षा निःशुल्क हो।
iv. निर्धन छात्राओं को छात्रवृतिया प्रदान की जाए।
v. बालिकाओ के लिए छात्रावासो का प्रबन्ध होना चाहिए।
vi. बालिका विद्यालयो मे यथा सम्भव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए अलग से महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाये।
vii. बालिका विद्यालयो का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओ को हस्तान्तुरित कर देना चाहिए।
viii. उस समय देश में पर्दा प्रथा बहुत जोर पकडे हुए थी प्राय पर्दा करने वाली स्त्रियाँ अपने घरो से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसी स्त्रियो की शिक्षा के लिए आयोग का विचार है कि ऐसी अध्यापिकाये नियुक्त की जाए जो उनके घरो में जाकर अध्ययन कार्य करें।
ix. महिलाओं के पाठयक्रम में प्रायोगिक विषयो को प्रधानता दी जानी चाहिए।

3.5.5 हन्टर आयोग के मुसलमानो की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about the Education of Muslim)

i- मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय संस्थाओ और प्रान्तो के कोषो से सहायता ली जाये।
ii- मुसलमान बच्चों के लिए पृथक विद्यालय खोले जाये।
iii- मुस्लिम बाहुल्प क्षेत्रों के स्कूलो में हिन्दुस्तानी के साथ फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।
iv- मुसलमान बच्चो को विशेष छात्रवृतिया दी जाय।
v- मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के पाठयक्रम में लौकिक विषयो को स्थान दिया जाये।
vi- मुसलमानो को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

vii- मुस्लिम शिक्षा के लिए निश्चित रकम खर्च की जाय।

viii- मुस्लिम अध्यापको के प्रशिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था की जाये।

ix- शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में मुसलमान बच्चों की शिक्षा की प्रगति को अलग से दर्शाया जाए, जिससे तत्काल तदनुकूल कदम उठाया जा सके।

x- शिक्षित मुसलमानों एवं अन्य जातियो के पढे लिखे व्यक्तियों को राजकीय पदों को प्रदान करने में मुसलमानो के उचित अनुपात का ध्यान रखा जाये।

3.5.6 हन्टर आयोग के अनुसूचित और पिछडी जातियो की शिक्षा सम्बन्ध मे सुझाव (Suggestion for schedule Cast and Backward Cast Education)

i- अनुसूचित जाति और पिछडी जातियों के बालको के लिए राजकीय विद्यालयों में प्रवेश की कोई रूकावट न हो और इस बात पर पूर्ण ध्यान दिया जाये कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो।

ii- सरकारी नगर महापालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओ द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछडी जातियों के लिए खोल दिये जाये

iii- जाति और भेद की समस्या को समाप्त करने के लिए अध्यापको व छात्रो को आगे बढना चाहिए।

iv- इन जातियो के लिए सरकार द्वारा नये विद्यालय खोले जाने चाहिए।

v- निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृति की सुविधा प्रदान की जाय।

3.5.7 हन्टर आयोग के आदिवासियों और पहाडी जातियो की शिक्षा (Education and Aboriginal and hill Tribes)

हन्टर कमीशन ने आदिवासियों एवं पिछडी जातियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये है।

i- सरकार आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करें।

ii- उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करने वाले को प्रोत्साहित किया जाये।

iii- उन क्षेत्रो के स्कूलो में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए।

iv- इन क्षेत्रो में सभी स्तरो की शिक्षा निःशुल्क हो।

v- इन क्षेत्रो में छात्रों को विशेष छात्रवृतिया दी जाए।

vi- इन्ही जातियो के अध्यापको को प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जाए।

3.5.8 शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशे (Recommendations about Training of Teachers)

(1) आयोग ने देश में शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शिक्षाशास्त्र (Education) विषय को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

(2) कलकत्ता और ढ़ाका के विश्वविद्यालयो में शिक्षा के विभागों को स्थापित किया जाना चाहिय।

(3) प्रशिक्षित शिक्षको की संख्या में वृद्धि की जाए।

अपनी उन्नति जानिए Check Your Progress

सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न (1) भारतीय विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद् के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था?

(a भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग

(c) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (d) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

प्रश्न (2) भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था ?

(a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग

(c) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (d) माध्यमिक आयोग

प्रश्न (3) विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्डो के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था ?

(a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

(c) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (d) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

प्रश्न (4) विश्वविद्यालयों में विद्वत् परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग में दिया था ?

(a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग

(c) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (d) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

प्रश्न4 मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविधालयो का शिलान्यास कब किया गया?

प्रश्न5 इग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास हुआ।

प्रश्न6 हन्टर कमीशन की रिपोर्ट में कितने प्रस्ताव थे।

3.6 सारांश Summary

सैडलर आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविधालय की समस्याओं में हस्तक्षेप करने के लिय की गयी थी लेकिन इसने जो सिफारिशे की वे वास्तव में उच्च शिक्षा के लिय बहुत महत्वपूर्ण थी। आयोग की सिफारिशों को सरकार द्धारा स्वीकार किया गया और भारतीयों विश्वविधालयो में सुधारों और परिवर्तनो का आरम्भ किया गया। इन परिवर्तनों के होने से विश्वविधालय केवल परीक्षा लेने वाले संगठन नहीं रह गये थे। वे अब शिक्षण और शोध के केंद्र बन गये। आयोग ने प्रशासनिक संघटनो का निर्माण किये जाने का सुझाव दिया और ये नये विश्वविधालयो के लिय आदर्श थे और इन्होंने विधमान विधालयो को भी नई दिशा दी अत: यह कहा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें तब भी समीचीन थीं और आज भी हमारी मार्गदर्शक हैं और उच्च शिक्षा के लिय प्रेरणा स्रोत रही है।

1880 में लार्ड रिपन (Lord Rippan) भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। अनुकूल अवसर पाकर जनरल काउन्सिल आफ एजूकेशन इन इन्डिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने लार्ड रिपन से भेट की उन्हे अपनी समस्याओ से अवगत कराया और भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का निवेदन किया। लार्ड रिपन ने उन्हे भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। सहायता अनुदान के नियम सरल एवं उदार बनाया गए व सहायता अनुदान के नियमो को प्रान्तीय आवश्यकताओ के अनुकूल बनाया गया।सहायता अनुदान के नियमो को अलग-अलग मदो के लिए अलग-अलग बनाएं जाये।सहायता अनुदान के सभी नियम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियो, विशेषकर प्रधानाचार्या को अवगत कराया जाय तथा इन नियमो का प्रकाशन कराया जाये।किसी विद्यालय के किसी भी पद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाये।विद्यालयो को सहायता अनुदान स्वीकृत करने में किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए।विद्यालयों को सहायर्ता अनुदान की धनराशी समय से पहुँचाई जाए।

3.7 शब्दावली Vocabulary

पर्दानसीन युवतियों:- देश में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने माध्यमिक स्तर पर्र पर्दा स्कूल' खोलने का सुझाव दिया। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में पर्दानसीन युवतियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

सीनेट व सिन्डीकेट:- विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट (Court) और सिन्डीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) का गठन किया जाए।

3.8 संदर्भ Reference

I. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।

II. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009)भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।

III. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

IV. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

V. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Question

उत्तर 1 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग उत्तर 2 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

उत्तर 3 (B) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग उत्तर 4 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

उत्तर 5 1857

उत्तर 6 1880

उत्तर 7 220 प्रस्ताव

3.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Type Question

प्रश्न 1. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रशासन, संगठन और शैक्षिक कार्यक्रमों के संबंधो की विस्तृत विवेचना कीजिए।

प्रश्न 2. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए ?

प्रश्न 3. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय उच्च शिक्षा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्न 4. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की मुख्य सिफारिशों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. सैडलर कमीशन के माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझावों व विश्वविद्यालयी शिक्षा सम्बन्धी सुझावों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 6. सैडलर कमीशन के सुझावों का भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न हन्टर कमीशन के उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र को विस्तार से लिखिय।

प्रश्न हन्टर कमीशन की सिफारिशों और सुझावों का विस्तार से वर्णन किजीय।

प्रश्न हन्टर कमीशन ने प्राथमिक व उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये है।

प्रश्न अनुसूचित जाति व मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में हन्टर कमीशन ने क्या सुझाव दिये है।

इकाई 4 राधाकृष्णन कमीशन व मुदालियर कमीशन Radhakrishahan Commission1948-49 & Mudaliar Commission 1952-53

4.1 प्रस्तावना Introduction
4.2 उद्देश्य Objectives
4.1.3 विश्वविधालय शिक्षा आयोग के सदस्य Member of University Education Commission
4.3.1 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)
4.3.2 राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशे (Recommendation of Radhaa Krishan Commission)
4.3.3 विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन एव वित Administration and Finance of University Education
4.3.4 विश्वविद्यालय शिक्षा का सगंठन और ढाँचा (Organisation and structure of University Education)
4.4 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Higher Education)
4.4.1 पाठयक्रम Curriculum -
4.4.2 स्नातकोतर प्रशिक्षण व अनुसंधान का महत्व व सुझाव Importance and Suggestion of Post Graduate Training & Research.
4.4.3 व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा (Vocational and Higher Technical Education)
4.4.4 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)
4.5 स्त्री शिक्षा (Women Education)- नारी शिक्षा का महत्व प्रति पादित करते हुए आयोग ने अग्रांकित तथ्य व्यक्त किये।
4.6 माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य
4.7 मुदालियर आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)

4.8 मुदालियर आयोग का प्रतिवेदन।
4.9 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव Suggestion’s for Administration and Finance of Secondary Education
4.9.1 माध्यमिक शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Organisation of Secondary Education
4.9 .2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त (Principles of Curriculum Construction)
4.9.3 माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी सुझाव Suggestion’s for Curriculum of Secondary Education
4 .9.4 माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में सुझाव Suggestion’s for Secondary Teachers
4.9.5 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोष विवेचन Evaluation and Merits & Demerits of Secondary Education Commission
अपनी उन्नति जानिये Check Your Progress
4.10 सारांश Summary
4.11 शब्दावली Glossary
4.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
4.13 सन्दर्भ पुस्तके Reference Book
4.14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Type Questions

4.1 प्रस्तावना Introduction

एक लम्बे सघर्ष व कुर्बानी के उपरान्त 15 अगस्त 1947 को भारत विदेशी दासता से मुक्त हुआ बहुत से नये विश्वविद्यालय खुले और उनमे विद्यार्थियों की सख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लेगी स्वतन्त्रता प्राप्ती के पश्चात तो विश्वविधालय शिक्षा का और भी अधिक विकास हुआ। देश के विभाजन के पश्चात भारत में 19 विश्वविद्यालय रह गये थे। परन्तु उसके पश्चात 14 विश्वविद्यालय और खुले। पंजाब विश्वविद्यालय, गोहाटी, कश्मीर, रूड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, पूना, बडौदा, बिहार, आदि विश्वविद्यालयों का जन्म 1947 के बाद ही हुआ।

1951 ई0 में विश्वभारती विश्वविद्यालय को भी भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1951 ई0 में आध्रप्रदेश में बैकटेश्वर विश्वविघालय की स्थापना हुई साथ ही पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय में नये नये विभाग भी खोले गये। पर फिर भी जिस ढंग की शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में दी जा रही थी उससे जनता संतुष्ट नहीं है क्योंकि शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना ही था। इसलिए शिक्षा को देश व वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की माँग की जाने लगी। अतः अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद (Inter university Board of Education) और केन्द्रिय शिक्षा सलहाकार परिषद (Central Advisory Board of Education) ने भारत सरकार को एक अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करने का सुझाव दिया जो कि देश की आवश्यकताओं एवं परम्पराओं के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए समुचित सुझाव दे। डा. सर्वपल्ली को उसका अध्यक्ष बनाया। अतः उनके नाम पर यह आयोग राधाकृष्णन कमीशन भी कहलाता

है।

सन् 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊँचा उठाने के लिए सुझाव देने हेर्तु ताराचन्द समिति (Tarachand Committee) का गठन किया था। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सुझावों का अध्ययन किया। उसकी सम्मति में ये सुझाव अधूरे और अस्पष्ट थे। अतः उसने 1951 में केन्द्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को अध्यक्ष के नाम मुदालियर आयोग (Mudaliar commission) भी कहते हैं।

4.2 उद्देश्य Objectives

I. डॉ राधाकृष्णन आयोग व माध्यमिक शिक्षा आयोग की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को समझ सकगे।
II. विश्वविधालय शिक्षा आयोग की उच्च शिक्षा के उद्देश्यो को समझ सकगे।
III. विश्वविधालाय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षको के प्रशिक्षण व सुधारों के सम्बन्ध में दिये गए सुझावो को समझ सकगे।।
IV. माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र के बारे में जान सकेगे।
V. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में तत्कालीन दोषो को जान सकेगे।

VI. माध्यमिक शिक्षा के संगठन, प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव को समझ सकेगे।

VII. माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त को समझ सकेगे।

VIII. माध्यमिक शिक्षकों व शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें अथवा सुझावो को समझ सकेगे।

4.3 विश्वविधालय शिक्षा आयोग के सदस्य Member of University Education Commission

इस कमीशन के कुल दस सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है।

1. President – Dr. Sarvpalli Radhakrishan- Purvi dharm and Niti Shastra Oxford University.

2. Dr. Tarachand - M.A., Dipul, Seretary and Educational adviser to the Goverment of India.

3. Dr. James F. Duff – MA, Med, L.L.O, Vice Chanceller, University of Duran.

4. Dr. Zakir Husian – MA, Phd, D.litt, Jamia Millia Islimia Delhi.

5. Dr. Arthur E. Morgan – D.SC, D.Eng, L.L.D, D.C.L. Former President, Antioes College.

6. Dr. A Lakshmana Swami Mudaliar – D.SC, L.L.D, D.CL, Vice Chanceller, University of Madras.

7. Dr. Meghna Shaha – D.SC, F.R.S, Palet Professor of Physics, University of Calcutta.

8. Dr.Karm Narayan Bahl - D.SC, D.Phil, professor of Zoology, University of Lucknow.

9. Dr. Johan J. Tigret – MA, L.L.D, Med, D.Litt Formerly Commissioner of Education of United States

10. Shree Nirmal Kumar Sidhant – Professor English Dehard and Art Lucknow University.

4.3.1 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)-

आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और देश की तात्कालीन एव भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के सम्बन्ध में सुझाव देना था।

आयोग का कार्यक्षेत्र भी भारतीय विश्वविद्लयों की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना था उसे सक्षेप में इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है।

1. तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना।
2. इनके प्रशासन एव वित के सम्बन्ध में सुझव देना।
3. उच्च शिक्षा के पुर्नगठन के सम्बन्ध में सुझाव देना।
4. उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना।
5. उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु सुझाव देना।
6. उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को उठाने के लिए उपाय करना।
7. भारत में विश्वविधालयो शिक्षा तथा अनुबन्धन शिक्षा के उद्देश्य व समस्या पर अपनी सम्मति देना।
8. उच्च शिक्षा के प्राध्यापको की नियुक्ति वेतनमान और सेवा शर्तो मौखिक शोध के सम्बन्ध में सुझाव देना।
9. छात्रो के कल्याण के लिए योजना स्थापित करना।
10. विश्वविद्यालयों में मानवशास्त्र, विज्ञान, एवं शुद्ध विज्ञान और प्रौधोगिकी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमो की अवधी निश्चित करना।

11. छात्रों के अनुशासन, छात्रावासो और टयूटोरियल कार्य की व्यवस्था तथा कोई दूसरी बात जिसे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के सब पहलुओ की पूर्ण और व्यापक जॉच के लिए आवश्यक समझा जाये।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे उसके अध्यक्ष के नाम राधाकृष्ण कमीशन भी कहा जाता है ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं संकलित की तथा

उच्च शिक्षा से जुडे लगभग एक हजार व्यक्तियों के पास भेजा इनमे से 600 ने प्रश्नावली भर कर भेजी। तथा इनका विश्लेषण करके 25 अगस्त 1949 को अठारह भाग व 747 पृष्टो का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन पक्षो जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य अध्यापको की सेवाशर्तो, शिक्षा के स्तर, पाठयक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्रकल्याण, अर्थव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये।

4.3.2 राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशे(Recommendation of Radhaa Krishan Commission)

डा0 राधाकृष्णन आयोग में उच्च शिक्षा से सम्बंधित तथ्यो पर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये है। इस सम्बन्ध में आयोग का कथन हैं। ''हमारी सिफरिसे उन महत्वपूर्ण प्रमाणों और रचनात्मक सुझावों पर आधारित है। जो हमको मिले है, हमने विश्वविद्यालयों के पुरूषो और स्त्रियों की आशाओ और आकंक्षाओ की व्याख्या करने का प्रयास किया है एवं उनकी अभिलाषाओं और आदर्शो को निश्चित रूप देने का प्रयत्न किया हो, आयोग की उच्च शिक्षा में मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं।

4.3.3 विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन एव वित Administration and Finance of University Education

विश्वविद्यायी शिक्षा के प्रशासन एवं वित के सम्बन्ध में आयोग ने 6 मुख्य सुझाव दिए।

1. उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाएं। इसकी व्यवस्था करना केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारो का संयुक्त उत्तरदायित्व हो। उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केन्द्र सरकार करे, प्रान्तीय सरकारे उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे।

2. विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन नियमित रूप से किया जाए, उनके अधिकार एवं कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित हो।

3. सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व उनकी प्रबन्धकारिणी समितियों का हो।

4. उच्च शिक्षा का वित्तिय भार केन्द्र और प्रान्तीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें।

5. विश्वविद्यायों और महाविद्यालयों को विभिन्न नये मदो-भवन निर्माण और प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए।

6. विश्वविद्यालयों के कार्यो में एकरूपता लाने और विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grant Commission) के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission) का गठन किया जाए।

4.3.4 विश्वविद्यालय शिक्षा का सगंठन और ढाँचा (Organisation and structure of University Education)

1. उच्च शिक्षा तीन भागों संगठित हो, स्नातक, परास्नातक, एवं शोध। स्नातक वर्ष 3, परास्नातक 2 वर्ष, शोध कार्य 2 वर्ष हैं।

2. उच्च शिक्षा के तीन वर्ग- आर्ट/साइन्स, व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा।

3. व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को 6 भागों में विभाजन किया जाये जैसे कृषि, कार्मस, प्रौधोगिकी और तकनीकी, मेडिकल, कानून और अध्यापक प्रशिक्षण।

4. स्वतन्त्र सम्बन्धित कॉलेजो की स्थापना की जाए जो कृर्षि, कार्मस, पौधोगिकी और तकनीकि मेडिकल और अध्यापक प्रशिक्षण विषयो का संचालन करे।

5. कृषि में उच्च शिक्षा व शोध हेतू कृर्षि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाये।

6. ग्रामीणो के उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतू ग्रामीण विश्वविद्यालयों व सम्बद्ध कालेजो की स्थापना हो।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को महत्व दिया जाये।

1. विजिटर (Visitor) - इस पद पर देश का राष्ट्रपति होगा।

2. कुलपति (Chancellor) - सामान्यतः राज्य का गवर्नर, विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। केन्द्र शासित विश्वविद्यालयों का कुलपति गवर्नर नहीं होगा।

3. उपकुलपति (Vice-Chancellor) - उपकुलपति का पद पूर्ण कालीन होगा और उसे वेतन दिया जायेगा। उपकुलपति की नियुक्ति कार्यकारिणी की सिफरिश पर कुलपति करेगा।

4. सीनेट (Senate) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में 100 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सदस्यो के कुल संख्या के आधे सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति होगें। शिक्षण और सम्बद्धक विश्वविद्यालयों (Teaching & Affiliating Universities) की सीनेट में 120 से अधिक शिक्षक, 40 सम्बद्ध कालेजों के शिक्षक और 40 बाह्र सदस्य हो।

5. कार्य-कारिणी परिषद (Executive Council) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविघालयों की कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक 20 और शिक्षण तथा सम्बद्धक विश्वविद्यालयों की परिषद में अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे।

6. शैक्षणिक समिति (Academic Council) - एकात्मक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक समिति में अधिक से अधिक 40, और संधात्मक तथा शिक्षण और सम्बद्धक विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक समिति में अधिक से अधिक 45 सदस्य होंगें।

7. विभाग (Faculties)

8. अध्ययन समितियां (Board of Studies)

9. वित्त समिति (Finance Committee)

10. चयन समिति (Selection Committee)

4.4 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Higher Education)

आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के उद्देश्यो को स्पष्ट किया हो तथा समाज व्यवस्था के

संगठन तथा विकास पर बल देते हुए उद्देश्य निर्धारित किये।

1. व्यक्तित्व निर्माण - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियो में भारी परिवर्तन के विश्वविद्यालयों के कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ गये है। उन्हें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए - जो राजनीति, प्रशासन व्यवसाय उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्रो में नेतृत्व कर सके।

2. समाज सुधार - विश्वविद्यालय समाज सुधार में महान योग दे सकते है इसलिए उनका उद्देश्य ऐसे नेताओं का निर्माण करना होना चाहिए जो दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहसी हो।

3. विवेकी व्यक्तियो का निर्माण-विश्वविद्यालयों को ऐसे विवेकी व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए, जो प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार कर सके, ज्ञान की सदैव खोज कर सके, मानव जीवन का अर्थ और सार जान सके। रोजगारों का प्रबन्ध और देश तथा समाज के लिए विभिन्न भौतिक अभावों की पूर्ति के लिए साधनो को जुटा सके।

4. ज्ञान का समन्वय - शिक्षा का उद्देश्य जीवन और ज्ञान विभिन्न शाखाओं में समन्वय करना है इसलिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाये जाये वे पाठयक्रम के अभिन अंग

होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मस्तिष्क में विभिन्न तत्वों का सग्रह न हो। वरन् सब तत्वों का एक सॉचे में समावेश हो जाय।

5. नेतृत्व का निर्माण (Leadership Making) - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश की आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यो एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है। अतः राजनीतिक, व्यावसायिक, औधोगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व गृहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए।

6. राष्ट्रीय विरासत - विश्वविद्यालयों को आधुनिक प्रगति के लिए वशीभूत होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं भूलना चाहिए यदि उन्होंने ऐसा किया, तो वे अपने दायित्वों को पूर्ण नही कर सकेगे। उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि व ऐसे युवक तैयार कर, जो अपनी राष्ट्रीय विरासत को अपनाकर अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार योगदान दे।

4.4.1 पाठयक्रम Curriculum –

पाठयक्रम की सहायता से छात्रों को न केवल विभिन्न क्षेत्रो का ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता हैं। अपितु विधार्थियो की स्वतन्त्रता, विचार, शक्ति व रचनात्मक कार्य क्षमता भी विकसित होती है। अतः कमीशन ने पाठयक्रम के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये है।

1. विश्वविद्यालयों और माध्यमिक में कला और विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षण का भी प्रबन्ध होना चाहिए जिसका उद्देश्य विधार्थियो का तथ्यो व सिद्धान्तो से सम्बन्धित बुद्धियतापूर्णक चुनी गई सूचनाएं प्राप्त करना हों।

2. माध्यमिक कक्षाओ में निम्नलिखित विषय रखे जा सकते है।

(1) मात्र भाषा	(2) संधीय भाषा या जिनकी मातृभाषा संधीय भाषा है।
(3) अंग्रेजी	(4) प्रारम्भिक गणित
(5) सामान्य विज्ञान	(6) सामाजिक अध्ययन
(7) संगीत	(8) शिल्पकला
(9) चित्रकला	(10) गृह विज्ञान
(11) कृर्षि	(12) बुक कीपिग और लेखा

(13) वाणिज्य

3. स्नातक पाठयक्रम तीन वर्ष, स्नात्तकोतर उपधि स्नातक के बाद 2 वर्ष व आनर्स के बाद 1 वर्ष होनी चाहिए।

4. स्नातक स्तर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य है।

5. व्यावसायिक और तकनीकी वर्ग का पाठयक्रम, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार विशेषणों द्वारा तैयार कराया जाए, पर पूरे देश के स्नातक व्यावसायिक पाठयक्रमों में समरूपता होनी चाहिए।

4.4.2 स्नातकोतर प्रशिक्षण व अनुसंधान का महत्व व सुझाव Importance and Suggestion of Post Graduate Training & Research.

आयोग ने स्नातकोतर प्रशिक्षण और अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा ''मानव सभ्यता ने उन विशेषज्ञो के कार्यो से बहुत अधिक लाभ उठाया है, जिन्होने प्रकृति के रहस्यों और मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहारो में गहराई तक प्रवेश किया है। वर्तमान जीवन बहुत बड़ी सीमा तक अन्वेषण और अनुसंधान का परिणाम है। आयोग के अनुसार स्नातकोतर प्रशिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालयों का प्रमुख कर्तव्य है। अतः इस बात की आवश्कता है। कि हमारे विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाए। केवल तभी हमारे देश में ऐसे प्रशिक्षित अन्वेषक उत्पन्न होगें, जो बौद्धिक जीवन के उच्च स्तरो को स्थापित करेगे और देश की नैतिक एवं भौतिक प्रगति में योग देगे। वस्तुत श्री आशुतोष मुकर्जी ने ही पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं की व्यवस्था कर शोधकार्य को मर्यादित करने की प्रेरणा दी थी। अतः इस सम्बन्ध में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे।

1. स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन व शोध की नवीनतम रीतियों का समावेश रहना चाहिए।

2. इन उपधियों के लिए शिक्षण की व्यवस्था नियमित व्याख्यानो, गोष्ठियों (Seminar) और प्रयोगशाला कार्य के द्वारा दी जाय।

3. परीक्षा लिखित और मौखिक दोनो प्रकार की हो तथा वैज्ञानिक विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाये।

4. उन्ही विद्यार्थियों को उपाधियॉ दी जाये जिन्होंने उचित मात्रा में विद्धता प्रदर्शित की हो।

5. शोधकार्य के लिए विद्यार्थियो को अखिल भारतीय स्तर पर निर्वाचित किया जाये उनका चुनाव करते समय उनका यह आशय देख लिया जाय कि उनमें मस्तिष्क की सहज मौलिकता है या नहीं।

6. शोधकार्य के लिए विद्यार्थियों को वही विषय चुनना चाहिए जिसका वह पहले ही सफलतापूर्वक अध्ययन कर चुका हो।

7. शोध कार्य की अवधि दो वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

8. पी.एच.डी. की परीक्षा में थीसिस के साथ-साथ मौखिक परीक्षा को भी सम्मिलित किया जाय।

9. प्रत्येक विश्वविद्यालय में उतने ही शोध विभाग स्थपित करने चाहिए जितनी कि उनकी क्षमता हो।

10. पी.एच.डी. व अन्य शोधनीय करने वाले छात्रों के लिये शोध छात्रवृतियों Research Fellowship और अन्य प्रबन्ध किया जाय।

11. शोध कार्य चक्र शोध प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाये और दो बाहरी व एक आन्तरिक परीक्षक उनकी जाँच करे तथा साथ ही मौखिक परीक्षा का भी आयोजन हो।

4.4.3 व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा (Vocational and Higher Technical Education)

आयोग के विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके विभिन्न अंगो के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं।

कृषि - कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठयक्रम सामान्यतः 3 वर्ष का हो किन्तु पशुपालन के आथ चार वर्ष का हो।

2. प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाए।

3. ग्रामीण क्षेत्रो में नये कृर्षि महाविद्यालय खोले जाए और इन्हे यथा सम्भव ग्रामीण विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाये।

4. कृषि एवं ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था की जाए।

5. कृषि शिक्षा , कृषि शोध और कृषि नीति का निर्माण उन्ही व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा होना चाहिए जिन्हे कृषि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव हो।

6. केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा प्रयोगात्मक कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा प्रयोग कार्य अनिवार्य होना चाहिए। सभी क्षेत्रीय यात्राऐ (थ्पमसक ज्तपचे) भी सम्मिलित की जाए।

4.4.4 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)

शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. प्रशिक्षण संस्थानों के पाठयक्रमों में सुधार किया जाय और पुस्तकीय ज्ञान के बजाय विद्यालयों में अध्ययन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाय।

2. माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाये और साथ ही सम्बद्ध विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाय।

3. छात्र अध्यापन के अभ्यास के लिए केवल उन्ही स्कूलो को चुना जाय, जिनमें पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षण सामग्री हो।

4. प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिकांश अध्यापक वे रखे जाये, जो विद्यालयों में पढाने का काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हो।

5. शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक ज्ञान और प्रायोगिक कार्य, दोनो पर समान बल दिया जाय। प्रत्येक प्रशिक्षणर्थी के लिए 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो।

6. एम.एड. की उपाधि के लिए उन्ही अभ्यार्थयों को प्रवेश दिया जाय जो बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ वर्ष शिक्षण कार्य कर चुके हो।

7. ट्रेनिग कॉलेजो के पाठयक्रम का पुनसंगठन किया जाना चाहिऐ तथा क्रियात्मक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

4.5 स्त्री शिक्षा (Women Education)-

नारी शिक्षा का महत्व प्रति पादित करते हुए आयोग ने अग्रांकित तथ्य व्यक्त किये।

1. यधपि अनेक बातो में स्त्री और पुरूष समान ही होते है परन्तु दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न होता है अतः शिक्षा स्त्रीयों के अनुरूप हो और उन्हें ऐसे शिक्षा दी जाये जिसके किवह सभाता सुगृहणी बन सके।

2. महिलाओ को अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धि सुविधा दी जायें

3. गृह अर्थशास्त्र (Hone Economic) और गृह प्रबन्ध (Home managment) की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रीयो को अधिककाधिक प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए।

4. महिला अध्यापको को समान कार्य के लिए उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना की पुरूष अध्यापकों को मिलता हैं।

5. जिन विद्यालय में सह शिक्षा प्रचलित है वहां महिलाओ को जीवन की सामान्य सुविधाए व शिष्टाचार आदि पर विशेष बल दिया जाये।

अपनी उन्नति जानिए Check Your Progress

प्रश्न 1 देश के विभाजन के पश्चात भारत में कितने विश्वविधालाय थे?

प्रश्न 2 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई?

प्रश्न 3 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को किस सूची में रखा था?

प्रश्न 4 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने शोध कार्यों के कितना समय बताया था?

प्रश्न 5 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने ग्रामीण विश्वविधालयो में कितने छात्र होने चाहिए?

प्रश्न 6 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने चिकित्सा महाविधालाय मे छात्रों कि संख्या होनी चाहिए?

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) 1952-53
Secondary Education commission 1952-53

4.6 मुदालियर आयोग के सदस्य (Members of the Commission)

1. डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मद्रास विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, आयोग के अध्यक्ष।

2. डॉ0 ए0 एन0 बसु, प्रधानाध्यापक केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, आयोग के सचिव।

3. डॉ0 चारी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी, आयोग के सहायक सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया।

4. श्रीमती हंसा मेहता, उप-कुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय।

5. प्रो0 जॉन क्रिस्टी, प्रधानाध्यापक, जेसुइट महाविद्यालय, ऑक्सफोर्ड।

6. डॉ0 केनेथ रास्ट-विलियम्स, सहायक निदेशक, दक्षिणी प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड, एटलान्टा- अमरीका।

7. श्री के0 जी0 सैय्यदेन,

8. श्री एम0 टी0 व्यास

9. श्री जे0 ए0 तारापोरवाला

4.7 आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र Objectives and Areas of Commission

इस आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उसके सम्बन्ध में सुझाव देना।

इस उद्देश्य की दृष्टि से आयोग का कार्यक्षेत्र अति विस्तृत हो गया-

(1) भारत के सभी प्रान्तों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना।

(2) भारत के सभी प्रान्तों की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण स्तर का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना।

(3) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।

(4) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवाशर्तों आदि का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।

(5) भारत के सभी प्रान्तों के माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।

(6) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।

(7) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपाय खोजना।

4.8 आयोग का प्रतिवेदन Reports of Commission

आयोग ने भारत के विभिन्न प्रान्तों की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए दो अध्ययन प्रणालियों को अपनाया- एक प्रश्नावली और दूसरी साक्षात्कार। उसने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित एक विस्तृत प्रश्नावली (Questionnaire) तैयार की और उसकी प्रतियों को देश के विभिन्न भागों के कुछ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों और कुछ उच्च शिक्षा शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के पास भेजा। उसने प्राप्त प्रश्नावलियों के मतों और सुझावों का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया। दूसरी विधि में उसने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया कुछ माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया, उनके शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से भेंट की और जहाँ सम्भव हुआ कुछ शिक्षाविदों से भेंट की, उनके विचारों को जाना, और इस सबको लेखबद्ध किया। इसके बाद इन दोनों अध्ययनों के आधार पर विचार-विमर्श किया और अन्त में अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे 29 अगस्त, 1953 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 250 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज है जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर 15 प्रकरणों के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है।

4.9 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Administration and Finance of Secondary Education

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए उन्हें चार उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है-

A. प्रशासनिक ढाँचा- प्रशासनिक ढाँचे के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Provincial Advisory Board of Education) की स्थापना की जाए जो समय-समय पर प्रान्तीय शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे।

(2) जिन प्रान्तों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों (Board of Secondary Education) का गठन नहीं किया गया है उनमें इनका गठन किया जाए। प्रान्त का शिक्षा निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होगा। यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने, उनका निरीक्षण कराने, माध्यमिक शिक्षा के अन्तिम वर्ष में परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाणपत्र देने का कार्य करेगा।

(3) शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मन्त्री को शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देना है इसलिए इसका पद कम से कम ज्वाइंट सैक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए।

(4) व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबन्ध कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रबन्ध समितियों द्वारा ही हो। ये समितियाँ शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करेंगी और विद्यालयों के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

(5) तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रान्त में तकनीकी शिक्षा बोर्ड (Board of Technical Education) स्थापित किया जाए जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) के निर्देशन में कार्य करे।

B. वित्त व्यवस्था- माध्यमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर है फिर भी केन्द्रीय सरकार को उसके विकास एवं उन्नयन के लिए प्रान्तीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

(2) माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाला दान आयकर से मुक्त होना चाहिए।

(3) सरकार माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था यथा सम्भव निःशुल्क करे।

(4) माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाए।

C. विद्यालयों का निरीक्षण- आयोग ने सरकारी और मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत माध्यमिक स्कूलों के नियमित निरीक्षण पर बहुत जोर दिया और इस सम्बन्ध में चार सुझाव दिए-

(1) विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाएँ।

(2) निरीक्षण मण्डल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक रखे जाएँ।

(3) प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अन्तर से निरीक्षण कराया जाए।

(4) निरीक्षण मण्डल विद्यालयों के गुण-दोषों को उजागर करे और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दे।

4.9.1 माध्यमिक शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Organisation of Secondary Education

(1) माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक (जूनियर बेसिक) शिक्षा के बाद शुरू हो।

(2) यह शिक्षा 11 से 17 आयुवर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष हो।

(3) यह दो भागों में विभाजित हो- 3 वर्षीय माध्यमिक (सीनियर बेसिक) और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक।

(4) वर्तमान इण्टरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 तक की होगी और डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा।

(5) विश्वविद्यालयों के जिन पाठ्यक्रमों (कृषि, इन्जीनियरिंग और मेडिकल आदि) में न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट है उनमें प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक के बाद एक वर्ष का पूर्व व्यावहारिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। इनमें कृषि के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योगधन्धों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाए। कृषि के वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाए।

(9) बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलिज (Polytechnic Colleges) खोले जाएँ जो आस-पास के उद्योगों को कुशल कर्मकारों की पूर्ति करें।

(10) आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए, विशेषकर उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।

(11) विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएँ।

(12) बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएँ और जिन क्षेत्रों में ऐसा करना सम्भव न हो उन क्षेत्रों के सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था की जाए।

4.9.2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त (Principles of Curriculum Construction)

सैकण्डरी शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित नियमों की चर्चा की है-

1. समूह-केन्द्रीयता का सिद्धान्त (**Principle of community-centredness**)- पाठ्यक्रम सशक्त रूप से सामूहिक जीवन के साथ सम्बन्धित होना चाहिए। इसमें समाज के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों की व्याख्या होनी चाहिए और विद्यार्थियों को इसकी महत्त्वपूर्ण क्रियाओं के सम्पर्क में ले आना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य को महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्कूल प्रणाली के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये सामान्य पाठ्यक्रम में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसे स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार ढाला जा सके।

2. विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धान्त (**Principle of variety and elasticity**)- व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रूचियों के अनुकूल पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल के व्यापक क्षेत्रों के साथ सम्पर्क स्थापित होना चाहिए। विषयों का क्षेत्र न्यूनतम रखा जाना चाहिए और वह विद्यार्थियों की शक्तियों एवं योग्यता से परे न हो। दूसरे शब्दों में, हम यों कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि का एक ही स्तर स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

3. अनुभव की पूर्णता का सिद्धान्त (**Principle of totality of experience**)- पाठ्यक्रम केवल परमपराओं से पढ़ाये जाने वाले शैक्षणिक विषयों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि इसमें वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिसे बच्चा स्कूल की बहुमुखी क्रियाओं (स्कूल में, कक्षा में, पुस्तकालय

में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के अनौपचारिक सम्बन्धों द्वारा) में प्राप्त करता है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करना चाहिए और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास में सहायता देनी चाहिए।

4. समवाय का सिद्धान्त (Principle of correlation)- पाठ्यक्रम में निश्चित किए गए विषय परस्पर अन्तर्सम्बन्धित होने चाहिएं। उनकी पाठ्य-सामग्री व्यापक इकाइयों के साथ सम्बन्धित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम को अलग-अलग, असम्बन्धित और संकीर्ण विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम जीवन के साथ भी सम्बन्धित होना चाहिए।

5. अवकाश का सिद्धान्त (**Principle of leisure**)- पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को केवल काम के लिए ही नहीं बल्कि अवकाश के लिए भी प्रशिक्षण मिले। सामाजिक, सौन्दर्यात्मक और खेल सम्बन्धी विविध क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी के लिए केवल स्कूल का जीवन ही आनन्दपूर्ण और सार्थक नहीं बनेगा बल्कि उसमें अवकाश के समय के लिए विभिन्न रूचियों का निर्माण भी होगा।

4.9.3 माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी सुझाव Suggestion’s for Curriculum of Secondary Education

1. निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्याः- आयोग ने सुझाव दिया कि सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए और यह पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए। उसने इस स्तर की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषयों को रखने का सुझाव दिया-

(i) मातृभाषा (ii) राष्ट्रभाषा हिन्दी (जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है) अथवा कोई अन्य संघीय भाषा (जिनकी मातृभाषा हिन्दी है) (iii) अंग्रेजी (iv) सामाजिक विज्ञान (v) सामान्य विज्ञान (vi) गणित (vii) कला तथा संगीत (viii) हस्तशिल्प और (ix) शारीरिक शिक्षा।

2. उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्याः- आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया और सातों वर्गों के लिए अलग-अलग पाठ्यचर्या निश्चित की। इनमें कुछ विषयों एवं क्रियाओं को सभी वर्गों में समान एवं अनिवार्य रूप से रखा और कुछ को अलग-अलग एवं ऐच्छिक रूप से रखा।

सभी वर्गों के लिए अनिवार्य विषय निम्नलिखित रखे गए-

(i) मातृभाषा (ii) हिन्दी (अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए) अथवा प्रारम्भिक अंग्रेजी (उनके लिए जिन्होंने निम्न माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी है) अथवा उच्च अंग्रेजी अथवा कोई अन्य

आधुनिक संघीय भाषा अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी भाषा अथवा कोई शास्त्रीय भाषा (iii) समाज विज्ञान (केवल प्रथम दो वर्ष हेतु) (iv) गणित तथा सामान्य विज्ञान (केवल प्रथम दो वर्ष हेतु) और (v) कोष्ठक में दिए गए शिल्पों में से कोई एक शिल्प (कताई-बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई-कढ़ाई, मुद्रण, मॉडल बनाने का काम और दस्तकारी)।

4.9.4 माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में सुझाव Suggestion's for Secondary Teachers

आयोग ने माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं उन्हें हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं- प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव, नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव और वेतनमान एवं सेवाशर्तों सम्बन्धी सुझाव।

A. शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव- माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से सम्बद्ध होने चाहिएँ और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सैकैण्डरी होनी चाहिए। ये विद्यालय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग-अलग होने चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए।

(2) माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने चाहिएँ। इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल अभी तो एक वर्ष रखा जाए परन्तु आगे चलकर इसे भी दो वर्ष कर दिया जाए।

(3) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए और उन्हें राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ। और जो शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हों उन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए।

(4) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सिद्धान्त और प्रायोगिक प्रशिक्षण को बराबर का महत्त्व दिया जाए।

(5) शिक्षकों को दो पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम दो सहपाठ्यचारी क्रियाओं के आयोजन में प्रशिक्षित किया जाए।

(6) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध कार्य हेतु डिमोन्सटेªशन स्कूल संलग्न हों।

(7) प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए जाएँ।

(8) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय-समय पर अभिनव पाठ्यक्रम Refresher courses की व्यवस्था भी की जाए।

4.9.5 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोष विवेचन Evaluation and Merits & Demerits of Secondary Education Commission

(A) माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण Merits of Secondary Education Commission

i. व्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचा- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केन्द्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया, केन्द्र की भाँति प्रान्तों में भी प्रान्तीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया, प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया और विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर बल दिया। उसके ये सभी सुझाव अच्छे हैं। इन सुझावों को जिस प्रान्त में जिस सीमा तक लागू किया गया उस प्रान्त में उसी सीमा में लाभ हुआ।

ii. शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य- इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए हैं वे अति व्यापक हैं। छात्रों के व्यक्तितव विकास से उसका तात्पर्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से है। शिक्षा द्वारा लोकतन्त्रीय नागरिकता के विकास से उसका तात्पर्य छात्रों को लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों के ज्ञान और लोकतन्त्रीय जीवन शैली में प्रशिक्षित करने से है। नेतृत्व शक्ति और व्यावसायिक कुशलता का विकास तो लोकतन्त्र की सफलता का आधार है।

iii. पाठ्यचर्या निर्माण के उपयुक्त सिद्धान्त- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पा्यचर्या को चार आधारों- वास्तविकता, व्यापकता, उपयोगिता और सहसम्बन्ध पर विकसित करने का सुझाव दिया। ये आज पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त माने जाते हैं। आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में सहपाठ्यचारी क्रियाओं को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया। सहपाठ्यचारी क्रियाओं के महत्त्व को आज सभी शिक्षाशास्त्री स्वीकार करते हैं।

iv. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया। यह किसी भी स्वतन्त्र देश के लिए हितकर है, हमारे देश भारत के लिए भी।

v. स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में ठोस सुझाव- आयोग ने बालक-बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद न करने की सिफारिश की। आयोग की दृष्टि से बालिकाओं को बालकों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उसने बालिकाओं

के लिए गृह विज्ञान वर्ग की अतिरिक्त व्यवस्था करने की सिफारिश भी की। जिन क्षेत्रों में अलग से बालिका विद्यालय नहीं हैं उन क्षेत्रों में सहशिक्षा की स्वीकृति दी जाए।

vi. चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल - आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष बल दिया और इनकी प्राप्ति के लिए ठोस सुझाव दिए। हमारे आज के भारत में चरित्र निर्माण और अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। इनके अभाव में हम क्या, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता।

vii. शिक्षकों की दशा में सुधार- आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया और शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ठोस सुझाव दिए। उसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने पर भी बल दिया। पर साथ ही उनके वेतनमान बढ़ाने और उनकी सेवाशर्तों में सुधार करने की सिफारिश भी की। इससे योग्य व्यक्तियों का अध्यापन कार्य की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है।

(B) माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष Demerits of Secondary Education Commission

आयोग के सभी सुझाव अपने में उपयुक्त थे। आज की दृष्टि से उसके कुछ सुझाव तो एकदम अनुपयुक्त थे। उन्हें ही हम उसके दोष कहते हैं।

i. बोझिल पाठ्यचर्या- माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाएँ और कुल मिलाकर आठ विषयों का अध्ययन, लगता है आयोग बच्चों को माध्यमिक स्तर पर ही सबकुछ पढ़ा-लिखा देना चाहता था।

ii. व्ययसाध्य बहुउद्देशीय स्कूल- आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया, सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्तकौशलों और व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया। आयोग ने सम्भवतः इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया था। यदि वह व्यय और लाभ का अनुमान लगाता तो शायद यह सुझाव नहीं देता।

iii. गैरसरकारी स्कूलों के सन्दर्भ में हवाई सुझाव- आयोग ने गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं वे अपने में उपयुक्त होते हुए भी हवाई सुझाव हैं। जिस देश की राजधानी में तम्बुओं में विद्यालय चल रहे हों और ग्रामों में खुले आकाश के नीचे चल रहे हों, उस देश के विद्यालयों में बिना सरकारी सहायता के सब सुविधाएँ उपलब्ध कराना हवाई सुझाव नहीं तो और क्या है।

iv. विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम- आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और सातों वर्गों के लिए कुछ विषय समान रखे और भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न रखे। कुछ ऐच्छिक विषयों को दो या दो से अधिक वर्गों में भी रखा गया। इस सबके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं थे। अब जब पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है, यह वर्ग विभाजन अर्थहीन हो गया है।

v. अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव- आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में कुछ उलझे हुए सुझाव दिए हैं। एक ओर उसे अनिवार्य विषयों की सूची में रखा है और वह भी विभिन्न रूपों में।

vi. धार्मिक और नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनुपयुक्त सुझाव- आयोग का यह सुझाव की हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें धर्म विशेष की शिक्षा की नहीं, धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा देने की आवश्यकता है और उसे अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश में साम्प्रदायिकता की भावना समाप्त की जा सकती है।

अपनी उन्नति जानिये Check Your Progress

वस्तुनिष्ठ प्रश्न: सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न 7 मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था?

(a) प्राथमिक शिक्षा (b) माध्यमिक शिक्षा

(c) उच्च शिक्षा (d) सम्पूर्ण शिक्षा

प्रश्न 8 मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था?

(a) 5 (b) 6

(c) 7 (d) 8

प्रश्न 9 बहुउद्देश्यीय विद्यालय खेलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था?

(a) ताराचन्द समिति (1948-49) (b) आ.न. दे. समिति (1952-53)

(c) मुदालियर कमीशन (1952-53) (d) कोठारी कमीशन (1964-66)

प्रश्न 10 मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे?

(a) 5 (b) 6

(3) 7 (4) 8

4.10 शारांस (Summary) -

हमारा देश सन् 1947 को आजाद हुआ डा0 राधाकृष्णन कमिशन स्वतन्त्र देश का प्रथम कमिशन था जिसमें भारतीयों के प्रत्येक स्तर पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विधि शिक्षा, चिकत्सा शिक्षा आदि विषयों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दियें हैं जिससे भारतीयों का चर्तुमुखी विकास हुआ हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सुधारों के लिए असंख्य व्यावहारिक और उपयोगी सुझाव दिए थे (जैसे कि उद्देश्य, पुनर्गठन, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तके, शिक्षण की विधियां, निर्देशन एवं परामर्श, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण प्रशासन, छात्रों का शारीरिक कल्याण, परीक्षा, अध्यापक शिक्षा, सार्वजनिक विद्यालयों का भविष्य, भाषा समस्या, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, सह-शिक्षा, व्यावसायिक (तकनीकी शिक्षा))। स्वतन्त्र भारत की माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में आयोग की सिफारिशों का सर्वोच्च महत्त्व है क्योंकि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वतन्त्र भारत में माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में आयोग यकीनन एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कों शिक्षकों के लिए बाइबल' (**'Bible for Teacher'**)कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए ओर लाभों से आनन्द प्राप्त करना चाहिए।

4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice question.

उत्तर 1 (19) उत्तर 2 (4नवम्बर 1948) उत्तर 3 (समवर्ती)

उत्तर 4 (दो वर्षों से अधिक) उत्तर 5 छात्र (300छात्र) उत्तर 6 (100 छात्र)

उत्तर 7. (b) माध्यमिक शिक्षा उत्तर 8. (c) 7

उत्तर 9. (c) ताराचन्द समिति (1948-49) उत्तर 10. (d) 8

4.12 शब्दावली Glossary

उपकुलपति (Vice-Chancellor) - उपकुलपति का पद पूर्ण कालीन होगा और उसे वेतन दिया जायेगा।

उपकुलपति की नियुक्ति कार्यकारिणी की सिफरिश पर कुलपति करेगा।

सीनेट (Senate) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में 100 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सदस्यो के कुल संख्या के आधे सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति होगें। शिक्षण और सम्बद्धक विश्वविद्यालयों (Teaching & Affiliating Universities) की सीनेट में 120 से अधिक शिक्षक, 40 सम्बद्ध कालेजों के शिक्षक और 40 बाहा्र सदस्य हो।

कार्य-कारिणी परिषद (Executive Council) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविघालयों की कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक 20 और शिक्षण तथा सम्बद्धक विश्वविद्यालयों की परिषद में अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे।

4.13 सन्दर्भ Reference

लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।

जे. (डॉ) एस. वालिया (2009)भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।

शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

4.14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Types Question

प्रश्न1 विश्वविधालय शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन किजीय?

प्रश्न 2 राधाकृष्णन कमीशन की प्रमुख सिफारिशे का विस्तार से वर्णन किजीय?

प्रश्न 3 राधाकृष्णन कमीशन ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया है उनका विस्तार से वर्णन किजीय?

प्रश्न 4राधाकृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा का सगंठन और ढाँचा किस प्रकार का वर्णन किया?

प्रश्न 5. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के उद्देश्यों और कार्य-क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये माध्यमिक शिक्षा के दोषों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 6. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों बताएं।

प्रश्न 7. माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण ओर दोष क्या हैं? अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्न 8. मुदालियर आयोग का आधुनिक भारतीय शिक्षा के निर्माण एवं विकास में क्या योगदान है? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

इकाई 5 कोठारी कमीशन (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) 1964-66 kothari commission (National Education Commission) 1964-66

5.1 प्रस्तावना Introduction
5.2 उद्देश्य Objectives
5.3 आयोग के सदस्य (Member of The Commission)
5.3.1 आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन (Reasons and purposes for settling up the commission)
5.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the commission
5.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव:-
5.3.4 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव
5.4.1 शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य (Education and National Objective)
5.4.2 अध्यापको की स्थिति (Status of Teachers)
5.4.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher's Education)
5.4.4 अध्यापक शिक्षा के दोष (Defects of Teacher's Education)
5.4.5 प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Training Facilities)
5.5 प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Broad of Primary Education)
5.5.1 माध्यमिक शिक्षा का विस्तार Expansion of Secondary Education)-
5.6 सारांश Summary
5.7 शब्दावली Glossary
5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Questions
5.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference Book
5.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Types Question

5.1 प्रस्तावना Introduction

भारत काफी समय ब्रिट्रिश शासन के अधीन रहा है यहाँ पर ब्रिटिश शासन की नीतिया ही लागू रही है जो भारतीयों के हित में न होकर ब्रिटिश के प्रति ज्यादा झुकी हुयी थी स्वतन्त्र भारत में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने हेतु 1948 **में** विश्वविधालय आयोग (राधाकृष्णनन कमीशन) की नियुक्ति की गयी। इस आयोग ने विश्वविधालय शिक्षा के प्रशासन संगठन और उसके स्तर को उचाँ उठाने सम्बन्धी अनेक ठोस सुझाव दिये।। उसके कुछ सुझावों का क्रियान्वयन भी किया गया उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ परन्तु वह सब हाथ नहीं लगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का दूसरा बड़ा कदम था माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) की नियुक्ति इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषो को उजागर किया और उसके पुनर्गठन हेतु ठोस सुझाव दिए, कुछ प्रान्तीय सरकारों ने उसके सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किया परन्तु यह परिवर्तन हमारे उद्देश्यो को पूर्ण नहीं कर सका अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रुप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा निति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डा. डी. एस. कोठारी (तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविधालय अनुदान आयोग) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग (Kothari Commission) भी कहते है। आयोग का उद्धघाटन 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन मे हुआ।

5.2 उद्देश्य Objectives

i. कोठारी कमिशन के सदस्यों के बारे में जान सकेगे।
ii. आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन को जान सकेगे।
iii. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव को जान सकेगे।
iv. शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव को जान सकेगे।
v. तत्कालीन शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को समझ सकेगे।
vi. अध्यापक शिक्षा व अध्यापको की स्थिति को समझ सकेगे।

5.3 आयोग के सदस्य (Member of The Commission)

शिक्षा आयोग में कुल 17 सदस्य थे। जिनमें 6 अन्य देशो के शिक्षा विशेषज्ञय थे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन निम्न प्रकार है

अध्यक्ष - प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष विश्वविधालय अनुदान आयोग।

सदस्य

1. श्री ए. आर. दाऊद - भूतपूर्व स्थानापन्न संचालन माध्यमिक शिक्षा प्रसार योजना निदेशालय नई दिल्ली।

2. श्री एच. एल. एलविन संचालक शिक्षा संस्थान, लन्दन विश्वविधालय लन्दन।

3. श्री आर. एस. गोपालस्वामी संचालक जनरल अनुसन्धान सस्थान नई दिल्ली।

4. प्रो. संतोषी इहारा- विज्ञान एवं अभियन्त्रण विद्यालय वसदा विश्वविधालय टोकियो।

5. डा. बी. एस. झा भूतपूर्व संचालक कामनवेल्थ शिक्षा सम्पर्क इकाई लन्दन।

6. श्री पी. एन. कृपाल शैक्षिक परामर्शदाता एवं सचिव भारत सरकार शिक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली।

7. प्रो. एम. पी. माथूर प्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक प्रशासन राजस्थान विश्वविधालय (बाद मे उपकुलपति राजस्थान विश्वविधालय)।

8. डा. वी. पी. पाल संचालक भारतीय कृर्शि अनुसंन्धान संस्थान नई दिल्ली।

9. कु0 एस. पनान्दीकर अध्यक्ष शिक्षा विभाग कर्नाटक विश्वविधालय।

10. प्रो रोगर रेवेल डाइरेक्टर, सेन्टर फॉर पापुलेषन स्टेडीज हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्प, हारवर्ड विश्वविधालय कॅम्ब्रिज (अमेरिका)।

11. डॉ. के. जी. सैयदेन, उपकुलपति, जादवपुर विष्विद्यालय कलकत्ता।

12. डा. त्रिगुण सेन, उपकुलपति जादवपुर विश्वविधालय कलकत्ता।

13. प्रो एस. ए. षमोवस्की, प्राध्यापक भौतिक षास्त्र मास्को विश्वविधालय , मास्को।

14. श्री एम जीन थामस, शिक्षा महानिरीक्षक फ्रांस।

15. सचिव श्री जे. पी. नायक अध्यक्ष, शैक्षिक योजना प्रशासन एवं अर्थ विभाग गोखले राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र संस्थान पूना।

16. संयुक्त सचिव श्री जे. एफ. मैक्डूगल, उप संचालक विद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग, यूनस्को, पेरिस।

इस प्रकार 17 व्यक्तियों को इस कमीशन में लिया गया इस कमीशन ने अक्टूबर 1964 से देश भर का दौरा किया कमीशन ने सभी राज्यो व केन्द्रशासित प्रदेशो में भ्रमण किया भ्रमण के

दौरान कमीशन ने 9000 व्यक्तियों के इन्टरव्यू लिये इन व्यक्तियों में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति थे। कमीशन ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए 22 कार्य टोलियाँ और अध्ययन दल नियुक्त किए। इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में दो वर्ष लगे।

5.3.1 आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन (Reasons and purposes for settling up the commission)

भारत सरकार ने अपने 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में नियुक्ति के कारण एवं प्रयोजनों को निम्नलिखित शब्दों में प्रकाशित किया

1. शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अनुसन्धान - शिक्षा के द्वारा ही चतुर्मुखी विकास होता है। यह विकास तभी संभव है जब विज्ञान और प्रौद्यौगिकी के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए शोधकार्य किया जाये । शिक्षा और विज्ञान पर अधिक से अधिक धन अनुसन्धान करने में लगाया जाऐगा।

2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास:- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना भारत सरकार की प्रमुख आवश्यकता थी शिक्षा के द्वारा ही लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण तथा राष्ट्रीय एकता सम्भव है शिक्षा से ही सन्तुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास होगा।

3. धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र की शिक्षा - परम्परागत शिक्षा व्यस्था में बदलाव लाकर एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना होना चाहिय जैसे निर्धनता का अन्त, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का विकास, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी का प्रयोग, समाजवादी समाज की रचना, शिक्षा रोजगार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए समान अवसर आदि ।

4. शिक्षा मे गुणात्मक विकास - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में बहुत तेजी से विकास हुआ है परन्तु उताना विकास नही हुआ जितना की आवश्यकता थी शिक्षा का स्तर निम्न था संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है लेकिन गुणात्मक वृधि कम ही हुई ।

5.शिक्षा स्तरों का विकास- शैक्षिक विकास के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं प्राथमिक शिक्षा यदि अच्छी होगी तो माध्यमिक शिक्षा भी अच्छी होगी माध्यमिक शिक्षा उत्तम है तो उच्च शिक्षा भी उत्तम होगी अतः शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच करना आवश्यक है।

5.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the commission

आयोग ने इस बडे कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो विधियो का अनुसरण किया पहली निरिक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली इनका विवरण निम्न प्रकार है

निरिक्षण एवं साक्षात्कार विधि (Observation and Interview method) - निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल (Working Groups) बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रान्तो का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयो को देखा और उनके छात्रो शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार किया अनेक शिक्षाविदो से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया।

प्रश्नावली विधि (Questionnaire Method) - आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित एक लम्बी प्रश्नावली (Questionnaire) तैयार की और उसे शिक्षा से जुडे विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा इनमे से 2400 व्यक्तियों ने इसे भरकर लौटाया आयोग ने इस प्रश्नावली का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया इसके बाद आयोग ने इन दोनो विधियो से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया अन्त में 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति (Education and national Development) भारत सरकार को प्रेषित किया

प्रतिवेदन (Report) शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम. सी. छागला के समक्ष प्रस्तुत किया लगभग 700 प्रश्ठों का यह प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित है और इसका नाम है

5.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव Suggestion of National Education Commission (Kothari Commission) :-

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समग्ररूप से अध्ययन किया और उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए आयोग की मूलधारणा है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उसने अपने प्रतिवेदन का शुभारम्भ ही इस वाक्य से किया है 'देश का उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है।' आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि भविष्य इसमें शिक्षा की कुछ समस्याओं का विवेचन तो समग्र रुप से किया गया है जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समातनता कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के सन्दर्भ में किया गया है; जैसे विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य , पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ आदि और उच्च शिक्षा के उद्देश्य , पाठ्क्रम और शिक्षण विधियाँ आदि में सुधार के रूप में देख सकते है।

5.4 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Administration of education, Finance and Planning

आयोग ने इन तीनो के सम्बन्ध में निम्नलिखित रचनात्मक सुझाव दिए।

शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव-

i. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाएं।
ii. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) को और अधिक अधिकार दिए जाएँ।
iii. शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार 'नेशनल एजूकेशन एक्ट' बनाए और प्रान्तीय सरकारें 'स्टेट एजूकेशन एक्ट' बनाएँ
iv. भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो।
v. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैरसरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए।
vi. शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के बीच स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा के वित्त सम्बन्धि सुझाव

आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रो की संख्या कम से कम दो गुनी हो जायेगी और प्रति छात्र व्यय 12 रु के स्थान पर 54 रु हो जाएगा इसलिए शिक्षा बजट में प्रति वर्ष वृद्धि करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उसने अग्रलिखित सुझाव दिये।

i. केन्द्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रतिशत का प्रावधान करे।
ii. राज्य सरकारे भी अपने बजटों में शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रमिषत का प्रावधान करें
iii. राज्यों में स्थानीय संस्थाओ (ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं) करे उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का विभिन्न भार सौपा जाएं।
iv. व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए।
v. शिक्षा हेतु आप के स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज की जाए, इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जांए।

शिक्षा के नियोजन सम्बन्धी सुझाव

1951 में हमारे देश में पंच वर्षीय योजनाओं का श्री गणेश हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचवर्षीय नियोजन प्रारम्भ हुआ इस नियोजन में अनेक खामियाँ थी। आयोग ने इसमें सुधार हेतु निम्नलिखित सुक्षाव दिए

i. शैक्षिक नियोजन केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर अलग अलग किया जाए
ii. विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाए और राज्य सरकारे मिलकर करे और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारें मिलकर करें।
iii. शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की माँगों के आधार पर किया जाए राष्ट्रीय प्रान्तीय और उसके बाद स्थानीय आधार प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए और उनके आधार पर सभी कार्यक्रम नियोजित किए जाएं।
iv. शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए।
v. शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए व्यवसाय किया जाए।

5.4.1 शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य (Education and National Objective)

शिक्षा द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नांकित पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया है

(1) शिक्षा व उत्पादन- आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए है.-

i. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पाठयक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये
ii. कार्य- अनुभव को समस्त शिक्षा का अविभाज्य अंग स्वीकार किया जाए।
iii. कृषि कार्य के विकास में तथा उत्पादन को बढ़ाने में विज्ञान से सहायता लेनी जाये
iv. माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जाये
v. विश्वविधालय तथा उच्च शिक्षा मे कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाये।

(2) समाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास (Development of social, Moral and Spiritual Values) इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये है

i. समस्त शिक्षण संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाये।
ii. प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जाए।
iii. माध्यमिक स्तर पर इन मूल्यों के सम्बन्ध में अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलकर विचार विमर्श करें।।
iv. विद्यालयों का वातावरण इन मूल्यों से ओत-प्रोत रखना चाहिए।

(3) शिक्षा और लोकतन्त्र की सुदृढ़ता (Education and Consolidation of Democracy) आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिये है

i. 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाये
ii. बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जायें
iii. वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किये जायें
iv. माध्यमिक तथा विश्वविधालय शिक्षा का विकास करके सुयोग्य तथा कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाये

(4) शिक्षा और आधुनिकीकरण (Education and Modernisations) - आयोग ने भारत के आधुनिकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए है

i. आधुनिकरण की दृष्टि से औद्योगिकी सहायता ली जाये
ii. आधुनिकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाये
iii. सामान्य व्यक्ति के शिक्षा स्तर को ऊँचा किया जाये
iv. शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों और दृष्टि कोण का विकास हो।

5.4.2 अध्यापको की स्थिति (Status of Teachers)

आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने हेतु निम्न विचार व्यक्त किये है

1. वेतन (Remuneration) आयोग ने शिक्षकों के वेतन के विषय मे अघोलिखित विचार प्रकट किये है।

i. भारत सरकार विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतनक्रम निश्चित करे।

ii. राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनक्रमो में समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाए

iii. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बन्द्ध कॉलेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाए

2. वेतन क्रम सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Pay Scales) आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में अधोलिखित सुझाव दिये

i. वेतन क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ साथ शिक्षकों की योगयताओं एवं नियुक्ति की विधियों में सुधार किया जाए

ii. शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महँगई भत्ता दिया जाए

iii. शिक्षकों के वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् दोहराये जायें

iv. शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में दिए सुझाव तत्काल क्रियान्वित हों।

3. नियुक्ति एवं पदोन्नति सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Appointment and Promotion) –

i. किसी भी स्तर के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता बढ़ाई जाए और उनके चयन की विधियों को सुधारा जायें

ii. शिक्षकों के पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए इस हेतु अति योग्य व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धि और अतिरिक्त प्रतिभा के व्यक्तियों को उच्च वेतनमान भी दिए जा सकते है

iii. सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति प्रोत्साहित की जाए

iv. अपने पदों पर कार्यकुशलता का परिचय देने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाए

v. पदोन्नति का आधार वरीयता के स्थान पर योग्यता एवं कुषलता हो।

4. कार्य व सेवा की दशाये (Conditions of work and Service)- आयोग ने शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार हेतु निम्न सुझाव दियें।

i. सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जाए।
ii. शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु न्यूनतम सुविधायें प्रदान की जाए
iii. शिक्षक को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने हेतु उपयुक्त सुविधायें प्रदान की जायें
iv. शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घण्टो को निश्चित करते समय उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यो को दृष्टि गत रखा जाए
v. शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार, देश के किसी स्थान में भ्रमण करने हेतु उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेल के टिकट दिए जायें
vi. सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना (जी. पी.एफ. बीमा और पेंशन) लागू होनी चाहिए
vii. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को आवास सुविधा दी जाए और शिक्षिकाओं को आवास सुविधा के साथ साथ विशेष भत्ता भी दिया जाय।

5.4.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher's Education)

आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में कहा है, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है

अध्यापक शिक्षा के उपर्युक्त महत्त्व के दृष्टि गत आयोग ने सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया और तत्पश्चात् इस शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में अपने विचारों को लेखबद्ध किया गया

5.4.4 अध्यापक शिक्षा के दोष (Defects of Teacher's Education)

अध्यापक शिक्षा के दोष निम्न प्रकार पाये

i. प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न या साधारण कोटि का है।
ii. प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापक नहीं है
iii. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता नहीं है
iv. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाली प्रशिक्षण परम्परागत तथा अल्प उपयोगिता वाला है

v. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाय इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं रखती है

अध्यापक शिक्षा के उपरोक्त दोषों का निराकरण करने के लिए आयोग ने निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव दिये है

(1) अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अन्त (Removal of Isolation of Teacher Education) आयोग के अनुसार अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक ओर विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन के और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा सम्बन्धी नवीनतम विचारों के सम्पर्क में लाया जाना परम् आवश्यक है इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोग ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये है

a. कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु शिक्षा विभाग (Department of Education) को स्थापित किया जाए।
b. शिक्षा विषय को विषय विद्यालयों के बी.ए. एवं एम. ए. के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए
c. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग (Extension Service Department) करे स्थापित किया जाए।
d. सब राज्यों में कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलिजों (Comprehensive Colleges)को स्थापित कर उसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए
e. प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिशद् (State Board of Teacher Education) स्थापित की जाए जिस पर सब क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रक्षिण का उत्तरदायित्व हो
f. विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अन्त करने के लिए सबको टेनिंग कॉलिजों की संज्ञा दी जाए तथा उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविधालय से सम्बद्ध किया जाए

(2) व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति (Improvement in Professional Education) आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिए निम्नांकित सिफारिशे की है।

a. शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किये जाये
b. छात्राध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का निमार्ण किया जाए
c. अध्यापक-शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यो के दृष्टि गत दोहराया जाए, जिनके लिए छात्राध्यापको को तैयार किया जा रह है
d. सब प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्क्रमों की शिक्षा एवं विषय सामाग्री में इस प्रकार रूपान्तर किया जाए जिससे छात्राध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयो के उद्देश्यो प्रयोजन एवं जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो।

(3) प्रशिक्षण की अवधि (Period of Training) आयोग के विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों की अवधि के विषय में निम्न विचार व्यक्त किए है।

a. प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए, जिन्होंने सेकेण्डरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की हो
b. माध्यमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जो स्नातक है, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष की हो पर कुछ समय के पश्चात् 2 वर्ष की कर दी जाए।
c. शिक्षा में स्नातकोत्तर (M.Ed) पाठ्यक्रम की अवधि 1) वर्ष की हो।

(4) प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति (Improvement in Training Institutions)- आयोग ने प्रक्षिण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हेतु निम्न सिफारिषें की है

a. ट्रेनिंग कॉलिजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि (Degree in Education) के अतिरिक्त दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ (Post-Graduate Degrees) हो
b. टेनिंग कॉलिजों के अध्यापकों में डॉक्टर (Doctorate) की उपाधियाँ वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में हो
c. गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजषास्त्र आदि विषयो को शिक्षा देने के लिए विषेशज्ञों की नियुक्ति की जाए, चाहे उन्होनें प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो
d. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं से एक प्रयोगात्मक (Experimental) विद्यालय संलग्न हो।

e. प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्राध्यापको से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाए
f. विद्यालयो में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं (Summer Institutes) की योजना आरम्भ की जाए।

5.4.5 प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Training Facilities)

आयोग ने प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने हेतु निम्नांकित विचार व्यक्त किये

a. प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाए
b. पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाए
c. विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने कि सुविधायें प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए

आयोग के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानतायें है

(1) शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालको एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है

(2) उन्नत वर्गो, पिछड़े वर्गो अछूत जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने निम्न चार सुझाव दिये है।

a. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
b. शिक्षा के खर्चो में कमी की जाए
c. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए
d. छात्रवृत्तियों की योजना हो

1. निःशुल्क शिक्षा (Free Education) आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न विचार व्यक्त किये है

a. चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए।
b. पाँचवी पंचर्शीय योजना के अन्त तक या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए
c. पाँचवी पंचर्शीय योजना के अन्त से 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविधालय शिक्षा का योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क किया जाए।

2. शिक्षा के व्यय में कमी (Reducation in the Cost of Education) शिक्षा के खर्चो में निम्न प्रकार कमी की जाए

a. प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य पुस्तके एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाए
b. माध्यमिक विद्यालयों कॉलिजों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक गृहों (Book Bank) की व्यवस्था की जाए जहाँ से छात्रों को पाठ्य पुस्तके दी जायें
c. छात्रों के प्रयोग हेतु माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त संख्या में हो
d. योग्य छात्रों को पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए

3. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था (Provision for Scholarships)- छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में निम्नांकित व्यव्स्था की जाए

i. निम्न प्राथमिक स्तर के उपरान्त शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित किया जाए
ii. छात्र के शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुचने पर इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए कि कोई निर्धन पर योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह ज

iii. छात्रावासों में रहकर कॉलिज या विश्वविधालय में अध्ययन करने वाले छात्रो के लिए छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाए, जिससे शिक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए।

iv. अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए केवल इतनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससें अधिकांश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए

4 छात्रवृत्तियों की योजनायें (Schemes of Scholarships) छात्रवृत्तियों की निम्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाए

i. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति हेतु विश्वविधालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविधालय छात्रवृत्तियों (University Scholarships) की योजना आरम्भ की जाए
ii. व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था इस प्रकार हो(विद्यालय स्तर पर 30 प्रतिशत को, कॉलिज स्तर पर 50 प्रतिशत को)
iii. ऋण छात्रवृत्तियों (Loan Scholarships) की योजना को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों के लिए क्रियान्वित किया जाए
iv. असाधारण प्रतिभा के विद्यार्थियों को विदेषों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
v. कुछ छात्रों, विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी के छात्रों को ऋण छात्रवृत्तियॉ दी जायें, जो वे आगे चलकर अपने वेतन में कटौती द्वारा लौटाये। ।
vi. माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार राज्य सरकारों पर हो और उच्च स्तर के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार केन्द्र सरकार पर हो ।

5.5 विद्यालय-शिक्षा का विस्तार (Expansion of School – Education)

आयोग ने विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगो के विस्तार के विषय मे अपने सुझाव निम्न प्रकार दिये है।

1 पूर्वप्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Expansion of pre-Primary Education)-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नांकित सुझाव है

i. प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education) में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य स्तर पर केन्द्र की स्थापना की जाए।

ii. व्यक्तिगत प्रबन्धकों को उदार आर्थिक सहायता देकर, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने हेतु प्रेरित किया जाए

iii. पूर्व प्राथमिक शिक्षा में परीक्षण कार्यद्ध (Experimention) को प्रोत्साहित किया जाए ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके।

iv. पूर्व प्राथमिक शिशुओं के खेल केन्द्रों (Sensorial Education) को प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध किया जाए

5.5.1 प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Broad of Primary Education)

आयोग के प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु सुझाव निम्न प्रकार है

a. सन् 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो।

b. सन् 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा का योजना पूर्ण की जाए

c. अपव्यय व अवरोधन (Wasteage and Stagnation) को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

d. जो बालक कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के न हों और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम को जारी रखने के इच्छुक न हों उनको इस आयु तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए

e. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जाए, कि लोअर प्राइमरी स्कूल किभी बालक से घर से क्रमश 1 और 3 मील से अधिक दूर न हों

f. पिछ़डी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जायें

g. मन्द बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खाले जायें

5.5.1 माध्यमिक शिक्षा का विस्तार Expansion of Secondary Education)-

धनाभाव के कारण कुछ अंशो तक माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना सम्भव नहीं है अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्न उपायों एवं सिद्धान्तों के दृष्टि गत किया जाना चाहिए।

a. माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाए।
b. माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalization) इस प्रकार किया जाए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20 प्रतिशत छात्रों को एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके।
c. माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित की जाए।
d. माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन को रोकने के उपाय किये जायें।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

प्रश्न 1 कोठारी कमिशन का गठन कब हुआ?

प्रश्न 2 राष्टीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे ?

प्रश्न 3 भारत में पंच वर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ ?

प्रश्न 4 अध्यापक शिक्षा के दो दोष लिखिय?

प्रश्न5 कोठारी कमीशन ने मंद वुद्धि बालको के लिय क्या सुझाव दिया था?

5.6 शारांश Summary

भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रुप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा निति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डा. डी. एस. कोठारी (तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविधालय अनुदान आयोग) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग ने इस बड़े कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो विधियो का अनुसरण किया पहली निरिक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली, निरिक्षण एवं साक्षात्कार विधि (Observation and Interview method) निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल (Working Groups) बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रान्तो का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय,

महाविद्यालय और विश्वविद्यालयो को देखा और उनके छात्रो शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार किया अनेक शिक्षाविदो से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया। शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समातनता कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के सन्दर्भ में किया।

5.7 शब्दावली Glossary

शिक्षा और आधुनिकीकरण - आयोग ने भारत में आधुनिकरण के लिए औद्योगिकी सहायता व शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार करने शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने तथा शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों और दृष्टि कोण का विकास होने की बात कही।

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question

उत्तर1 14 जुलाई 1978 उत्तर2 17 सदस्य उत्तर3 वर्ष1951

उत्तर4 प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता नहीं है।

प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाली प्रशिक्षण परम्परागत तथा अल्प उपयोगिता वाला है ।

उत्तर5 मन्द बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खाले जायें।

5.9 संदर्भ पुस्तकें Reference Book

लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।

जे. (डॉ) एस. वालिया (2009)भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।

शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

5.10 Long Answer Type Questions

प्रश्न 1 कोठारी आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन का विस्तार से वर्णन किजीय? (Explain in detail the Reasons and purposes for settling up the commission)

प्रश्न 2 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव का विस्तार से वर्णन किजीय? Explain in detail Suggestion of National Education Commission (Kothari Commission)

प्रश्न 3 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव से आप क्या समझते हो। व्याख्या किजीय। Explain in detail Suggestion for Administration of education, Finance and Planning

प्रश्न 4 अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग के सुझावों का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? What are the effect of our education‘s suggestion of Kothari Commission in the reference of Teacher Education.

इकाई 6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना National Education Policy 1986 and National Curriculum Framework Teacher Education (NCFTE) 2009

6 .1 प्रस्तावना Introduction
6 .2 उद्देश्य Objectives
6 .3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज (Documents with Rregard to National Education policy)
6 .4 कार्य योजना 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to Plan of Action)
6 .5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व Main Components of National Education Policy
6 .5.1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा Open University and Distance Learning
6 .5.2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black Board Plan)
6 .6 सारांश Summary
6 .7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
6 .8 शब्दावली Glossary
6 .9 संदर्भ Refence
6 .10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों Long Answer Type Question

6.1 प्रस्तावना Introduction

भारत देश सदियों तक अधीन रहा है जिसके कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी थी इस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिय स्वन्त्रन्ता के बाद अनेक नीतियों का

निर्माण किया गया लेकिन समय व सरकार बदलने के साथ आधारभूत नीतियों को लागू नहीं किया जा सका। परिणाम यह रहा कि सरकार बदलते ही नीतियों में भी परिवर्तन देखा गया। 1969 में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी, कई प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई थी, कई प्रान्तों ने अपने-अपने ढ़ग से त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया था, कई प्रान्तों में कृषि, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे, प्रायः सभी प्रान्तों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शरू हो गई थी, आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाये जाने लगे थे। परन्तु 1977 में केन्द्र में जनता दल सत्तारूढ़ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने। मोरारजी देसाई ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार प्रस्तुत किया। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री प्रताप चन्द्र चन्दर ने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति तैयार की और 1979 में उसकी घोषणा कर डाली। इसे अभी लागू भी नहीं किया जा सका था कि 1980 में केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुनः प्रधानमन्त्री बनीं। इन्दिरा गाँधी ने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालपर जोर दिया। इसी बीच इन्दिरा गाँधी की हत्या कर दी गई, उनके स्थान पर राजीव गाँधी को प्रधानमन्त्री बनाया गया।

युवा प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाने शुरू किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी। उन्होने कहा कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की माँगों को पूरा करने में असमर्थ है, इनका पुननिरीक्षण होना चाहिए और पुनगर्ठन होना चाहिए। पर इस बार न तो किसी आयोग का गठन किया गया और न ही किसी समिति का। सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौतीः नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य' (Challenge of Education: A Policy Perspective) नाम से अगस्त, 1983 में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यर्थाथ चित्रण और उसके गुण-दोषों का सम्यक् विवेचन किया गया है। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुँचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरू की। सभी प्रान्तों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केन्द्रीय सरकार ने इस सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद के पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना ((Plan of Action) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति के बारे में कहा गया था कि यह आने वाले समय के लिय शिक्षा का महाधिकार-पत्र (Megna Chartaa) साबित होगी।

6.2 उद्देश्य Objectives

i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किये है उनको जान सकेगे।
ii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेजो की जानकारी प्राप्त कर सकेगे।
iii. मिड दे मिल योजना के उद्देश्यों को जान सकेगे।
iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व को जान सकेगे।
v. प्राथमिक शिक्षा को स्थिति को जान सकेगे।

6.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज (Documents with Rregard to National Education policy)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। यहाँ उनका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है-

प्रथम भाग- भूमिका (Introductory):- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है सभी प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है, प्राथमिक शिक्षा 90 प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश की आवश्यकतानुसार जन शक्ति की पूर्ति हो रही है। पर साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है। कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो सके हैं। फिर इस बीच देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ने पर लोकतन्त्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आ रही हैं। इनके अतिरिक्त हमें भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा, अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे।

द्वितीय भाग- शिक्षा का सार और उसकी भूमिका (The Essence and Role of Education) :- सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं अध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। यह मनुष्य में स्वतन्त्र चिन्तन एवं सोच-समझ की क्षमता उत्पन्न करती है जिससे हम लोकतन्त्रीय लक्ष्य- स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश (Investment) है। सभी अभिभावकों को आज की स्थिति को देखते हुय उत्तम विधालयो में शिक्षा दिलानी चाहिय।

तीसरे भाग- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (National Education System) :- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा- 'एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो' को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए।साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Level of Learning) निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए।

चौथे भाग- समानता के लिए शिक्षा (Education for Equality) :- सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को दूर कर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योकि शिक्षा के ही माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को पाप्त जीवन कर सकता है अथवा न मिलने पर कानून का सहारा लेकर सम्मान से जीवित रह सकता है।

पाँचवें भाग- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन-शिशुओं की देख-भाल और शिक्षा (Reorganization of Education at Different Stages-Early Childhood Care and Education) :- पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रूचिपूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों (Pace Setting Schools) की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों (Open Universities) की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से विलग करने की शुरूआत की जाएगी।

छठे भाग- तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education) :- इसमें तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है।

सातवें भाग- शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना (Making the System Work) :- शिक्षा तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक शिक्षक शिक्षा के अन्दर शिक्षा के प्रति समपर्ण न हो। प्रशासनिक तन्त्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्त्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है।

आठवें भाग- शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना (Reorienting the Content and Process of Education) :- सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ गणित और विज्ञान की

शिक्षा पर बल दिया गया है और स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं-खेल-कूद आदि पर बल दिया गया है और अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

नवें भाग- शिक्षक (The Teacher) :- शिक्षको के वेतनमान बढ़ाने और सेवाशर्तो को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव दिए गए हैं। ताकि शिक्षा का विकास हो सके। व्यवसाय से संतुष्ट शिक्षक ही शिक्षण कार्यो में अधिक रूचि लेते है।

दसवें भाग- शिक्षा का प्रबन्ध (The Management of Education) :- शिक्षा में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय शिक्षा सेवा', राज्य स्तर पर 'प्रान्तीय शिक्षा सेवा' और जिले स्तर पर 'जिला शिक्षा परिषद' के गठन की बात कही गई है और शिक्षा प्रशासन को चुस्त करने की बात कही गई है। साथ ही शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6 प्रतिशत धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई है।

ग्यारहवें भाग- संसाधन तथा समीक्षा (Resources and Review) :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस भाग में इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाए। ताकि शिक्षा सभी बच्चों को आसानी से सुलभ हो सके।

बारहवें और अन्तिम भाग- भविष्य (The Future) :- भारत सरकार ने सार्वभोमिक शिक्षा के उद्देश्य हेतु सभी के द्वार तक शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया है यह विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे।

6.4 कार्य योजना 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to Plan of Action)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा मई 1986 में की गई और नवम्बर 1986 में कार्य योजना (Plan of Action, POA) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 भागों में विभाजित है। यहाँ उसका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

प्रथम भाग- पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education):- शिशुओं के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services) के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ करने, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना में स्वास्थ्य एवं पोषण को

जोड़ने, दिवस परिचर्या केन्द्रों को सुदृढ़ करने करके और इन सब कार्यों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने की योजना की प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय भाग- प्रारम्भिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना (Elementary Education and Operation Black Board) :- प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 किमी0 की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल और 3 किमी0 की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूल और आवश्यकतानुसार निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने की बात कही गई और प्राथमिक स्कूलों की दशा-सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई है। ब्लैक बोर्ड योजना के अर्न्तगत प्राथमिक विश्वविद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं (दो कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री खेल सामग्री और कम से कम दो शिक्षकों) की पूर्ति करने और इन सबके लिए धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया है।

तृतीय भाग- माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय (Secondary Education and Navodya Vidyalya) :- माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एंव उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार माध्यमिक स्कूल खोलने, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की व्यवस्था करने और गति निर्धारक-नवोदय विद्यालयों की स्थापना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

चतुर्थ भाग- शिक्षा का व्यावसायीकरण (Vocationalization of Education) :- प्रारम्भ से ही कार्यानुभव पर बल देने, +2 के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने और उपेक्षित वर्गो के बच्चों के लिए अलग से विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया है।

पंचम भाग- उच्च शिक्षा (Higher Education) :- उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

छठे भाग- मुक्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Open University and Distance Education) :- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना सावधानी से करने का कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

सातवें भाग-ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Rural Universities and Institutes) :- केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (Central Council of Rural Institutes) का गठन करने, ग्रामीण विश्वविद्यालयों एंव संस्थाओं का पुनर्गठन करने और इन क्षेत्रों के कुछ संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

आठवें भाग- तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education) **:-** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डो को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अन्तर्सम्बन्ध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत् शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

नौवें भाग- प्रणाली को कार्यकारी बनाना (Making the System Work) **:-** संस्थाओं के प्रशासन तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है।

दसवें भाग- उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन (Delinking Degrees from Jobs and Manpower Planning) **:-** राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (National Test Service) शुरू करना निश्चित किया गया है। अब क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

ग्यारहवें भाग- अनुसंधान तथा विकास (Research and Development) **:-** उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विकसित करने, अनुसंधान केन्द्रों की अधिसंरचना (Infrastructure) में सुधार करने, अनुसंधान हे तु प्रतिभाओं की खोज करने और कार्यरत शिक्षकों को अनुसंधान के अधिक अवसर सुलभ कराने की योजना प्रस्तुत की गई है।

बारहवें भाग- नारी समानता के लिए शिक्षा (Education for Women's Equality) **:-** बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलिज खोलने, बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृतियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई है।

तेरहवें भाग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा (Education of SCs, STs and OBCs) **:-** इनके क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देने, इन वर्गों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर बढ़ाने, इनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

चौदहवें भाग- अल्पसंख्यकों की शिक्षा (Education of Minorities) **:-** अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में स्कूल और पौलिटैक्निक कॉलिज खोलने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, इनके लिए कोचिंग सेन्टर खोलने और इनकी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है।

पन्द्रहवें भाग- विकलागों की शिक्षा (Education of the Handicapped) **:-** जनपद स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएँ शुरू करने और इनकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है।

सोलहवें भाग- प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) **:-** प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत् शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है।

सत्रहवें भाग- स्कूल शिक्षा की विषयवस्तु तथा प्रक्रिया (Content and Process of School Education) **:-** राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है।

अठारहवें भाग- मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार (Evaluation Process and Examination Reforms) **:-** केवल 10 तथा 12 कक्षाओं के अन्त में सार्वजनिक परीक्षा करने सतत् मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है।

उन्नीसवें भाग - युवा तथा खेल (Youth and Sports) **:-** शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है।

बीसवें भाग- भाषा विकास (Language Development) **:-** आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है।

इक्कीसवें भाग- सांस्कृतिक परिपेक्ष्य (The Cultural Perspective) **:-** सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है। ताकि व्यक्ति संस्कारवान बन सके।

बाईसवें भाग- संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी (Media and Educational Technology)**:-** शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर एवं ओवर हैड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है।

तेईसवें भाग- शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण (Teacher and their Training) **:-** शिक्षक शिक्षा मे सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)स्थापित करने, कुछ अच्छे कॉलिजों को शिक्षक शिक्षा कॉलिजों (CTEs) में समुन्नत करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलिजों को 'शिक्षा उच्च अध्ययन केन्द्रों (CASEs)में सम्मुनत करने की योजना प्रस्तुत की गई है और साथ ही 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' (NCTE)को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही है।

चौबीसवें एवं अन्तिम भाग- शिक्षा का प्रबन्ध (Management of Education) **:-** मानव संसाधन मन्त्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

6.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व Main Components of National Education Policy

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना से जो तत्त्व उजागर होते हैं, उन्हें निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है-

1. शिक्षा प्रशासन का विक्रेन्द्रीयकरण किया जाएगा **:-** इस शिक्षा नीति के दसवें भाग में शिक्षा प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण पर बल दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय शिक्षा सेवा', प्रान्तीय स्तर पर 'प्रान्तीय शिक्षा सेवा' और जिला स्तर पर 'जिला शिक्षा परिषद' के गठन की घोषणा की गई है।

2. शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी **:-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तृतीय भाग में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है और यह हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, लोकतन्त्रीय मूल्यों (स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय) के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों (जनसंख्या नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण) की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। शिक्षा के आभाव में इन सबकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। शिक्षा एक उत्तम निवेश है। इस शिक्षा नीति के ग्यारहवें भाग में इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया है और यह घोषणा की गई है कि केन्द्र अपने बजट में शिक्षा पर 6 प्रतिशत का प्रावधान करेगा। साथ ही प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाएगा।

3. सम्पूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होगी **:-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में सम्पूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई है। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी, इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) होगी। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और सामान्य छात्र-छात्राओं को विशेष की आवश्यकाताओं और छात्र-छात्राओं की रूचि एवं योग्यतानुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा जो देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण में सहायक होगा,साथ ही चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिसके द्वारा समाज की माँगों की पूर्ति होगी।

4. विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा :- इस शिक्षानीति के पाँचवें भाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया है। और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यर्चया में सुधार करने और उनके स्तर को उठाने पर बल दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर एक तरफ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा और दूसरी तरफ गणित, विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोग आदि की शिक्षा पर बल दिया गया है, सांस्कृतिक संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल दिया गया है।

5. पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- इस स्तर पर शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा; उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए खेल-कूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था की जाएगी।

6. अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जाएगा :- प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा। अभी 90 प्रतिशत बच्चों को 1 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, शेष 10 पतिशत को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जाएँगे। 1995 तक 11 से 14 आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को भी उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाएगा।

7. माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा:- इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में यह घोषणा की गई है कि माध्यमिक शिक्षा सभी इच्छुक लड़के-लड़कियों को सुलभ कराई जाएगी। इस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा और गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इतिहास, राष्ट्रीयता, संवैधानिक दायित्व, नागरिक अधिकार एवं कत्तर्व्य, सांस्कृतिक संस्कार और कार्यानुभवको अनिवार्य किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा जो अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा। +2 पर सामान्य शिक्षा के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 1995 तक इस व्यावसायिक वर्ग में 25 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करें।

8. उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा द्वारा छात्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता का विकास किया जाएगा जिससे राष्ट्रका विकास होगा। इसके मौजूदा पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाएगा और शिक्षण को चिन्तनपरक बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के कार्यो का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाएगी। उच्च शिक्षा का स्तर मान बनाए रखने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होगा। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालयों (Open Universities) की स्थापना की जाएगी।

9. तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा में सुधार किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के छठे भाग में तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उसकी उचित व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। यह घोषणा की गई है कि तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा को भविष्य की आवश्यकतानुसार नियोजित किया जाएगा और महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को तकनीकीशिक्षा की पूरी-पूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इस शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए इनके पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाया जाएगा और सैद्वान्तिक ज्ञान की अपेक्षा प्रायोगिक दक्षता पर अधिक बल दिया जाएगा और साथ ही शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस शिक्षा का स्तरमान निश्चित करने और इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण करने के लिए ‘अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद’ (All India Council for Technical Education) को कानूनी अधिकार दिए जाएँगे। निम्न स्तर की तकनीकी संस्थाओं को बन्द किया जाएगा और इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

10. परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आठवें भाग के अन्त में तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की चर्चा की गई है। यह घोषणा की गई है कि मूल्यांकन को एक सतत् प्रक्रिया बनाया जाएगा, बाह्य मूल्यांकन को अधिक महत्त्व दिया जाएगा, परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाया जाएगा, प्रश्नपत्रों की रचना और उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाएगा और श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू किया जाएगा।

11. शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा :- शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उनके स्तर को उठाने के लिए उनके वेतनमान बढ़ाए जाएँगे और सेवाशर्तो को आकर्षक बनाया जाएगा। पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धान्त को लागू किया जाएगा, साथ ही सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में ‘जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान’(District Institute of Education and Training, DIET) की स्थापना की जाएगी जिनमें प्राथमिक शिक्षकों और निरौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी और साथ ही अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँगे और इस क्षेत्र में शोध कार्य कीये जाएगे। घटिया किस्म के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को बन्द कर दिया जाएगा। कुछ चुने हुए उच्च स्तर के माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाएगा, उन्हें ‘शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय’(College of Teacher Education, CTE में समोन्नत किया जाएगा जिनमें माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और इस क्षेत्रमें शोध कार्य की व्यवस्था होगी।

12. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा :- प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा और 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैरसरकारी संगठनों का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को उनमें कार्यरत निरक्षक प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के दूसरे पक्ष-अद्यतन जानकारी हेतु सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् शिक्षा केन्द्र खोले जाएँगे और पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

13. सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- युवा वर्ग, गृहणियों, किसानों, व्यापारियों और विभिन्न उद्योगों मे कार्यरत व्यक्तियों को उनके क्षेत्र की अद्यतन जानकारी देने हेतु सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए खुली शिक्षा और दूर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा।

14. शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा :- किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। जन संचार के माध्यमों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा।

15. शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाया जाएगा :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के सातवें भाग में शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों की जवाबदेही (Accountability) निश्चित करने और छात्रों को कर्त्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया हैं इसके तीसरे भाग में शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Level of Learning, MLL) निश्चित करने की बात कही गई है और उसमें गुणात्मक सुधार करने की बात कही गई है। इस दस्तावेज के दसवें भाग में प्रशासन तन्त्र को चुस्त करने पर बल दिया गया है।

16. शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे :- इस शिक्षा नीति के चौथे भाग में स्पष्ट घोषणा की गई है कि शैक्षिक विषमताओं को दूर किया जाएगा और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांगों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर सुलभ कराए जाएँगे।

17. महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा- इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे :-

स्त्री-पुरूषों की शिक्षा में भेद नहीं किया जाएगा, लिंग मूलक अन्तर को समाप्त किया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु प्रारम्भ से ही प्रयत्न किए जाएँगे। महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएँ दी जाएँगी।

18. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी :- इस क्षेत्र में निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे- नगरों, गाँवों और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। इन विद्यालयों में यथासम्भव इन्हीं वर्गो और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूर-दराज से आने वालें बच्चों के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। इन वर्गों के बच्चों की आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाई जाएगी।

19. पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी :- इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे- पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश के रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में और अधिक स्कूल खोले जाएँगे। इन क्षेत्रों के स्कूलों में इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को प्रशिक्षित कर शिक्षक नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता जारी रहेगी, साथ ही उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी।

20. अल्पसंख्यकों के बच्चो की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा :- संविधान में अल्पसंख्यकों (मुसलमान एवं इसाई आदि) को अपनी भाषा, संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। अतः- इन्हें अपनी शिक्षा संस्थाएँ चलाने का आधिकार होगा, परन्तु इनका पाठ्यक्रम प्रान्तीय सरकारों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम ही होगा। इनके क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जाएगी।

21. विकलांग और मन्दबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- इनकी शिक्षा की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जाएँगे- विकलांग और मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मामूली विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेगे, गूँगे, बहरे, अन्धे और मन्दबुद्धि बालकों के लिए अलग-अलग स्कूल खोले जाएँगे। विकलांग बच्चों को कुटीर अद्योग-धन्धों की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। विकलांग और मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

6.5.1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा Open University and Distance Learning

उच्चतर शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा शिक्षा को लोकतान्त्रिक बनाने बाले माध्यम के रूप में ओपन विश्वविधालय पद्धतिका आरम्भ किया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ती के लिय सन 1985 में स्थापित 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय (Indira Gandhi National open university) को मजबूत बनाया जायगा। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देने के लिय भारत में आज 16 विश्वविधालय शिक्षा के विकास में अपना योगदान कर रहे है। उत्तराखंड में वर्ष 2005 में स्थापित उत्तराखंड मुक्त विश्वविधालय हल्द्वानी आज स्नातक व स्नातकोतर उपाधि प्रदान करने के

साथ पी०एच०डी० व शोध कार्य करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रहा है। इसके माध्यम से उन लोगो के लिय शिक्षा के द्वार खुल गये है जिनको किसी कारण से अपनी शिक्षा बीच में छोडनी पड़ी। वे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे है।

6.5.2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black Board Plan) :- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार कम से कम दो कमरों, एक वराण्डे और दो शौचालयों के पक्के भवन, दो शिक्षक (जिनमें यथा सम्भव एक महिला शिक्षक होगी), पुस्तकालय सामग्री, शिक्षण-अधिगम सामग्री (ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, नक्शे, विज्ञान किट), टाट-पट्टी खेल के पैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे बच्चे जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर नहीं जा पाते हैं उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र (Non Formal Education Centre) खोले जाएँगे। आज शिक्षा में बढ़ावा देने के लिय बच्चों को पका भोजन प्रदान किया जा रहा है।

अपनी उन्नति जानिये Check your progress

प्रश्न 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(1) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (2) नवोदय विद्यालय

(3) खुले विश्वविद्यालय (4) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

प्रश्न 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं लिखिए-

(1) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण (2) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

(3) त्रिभाषा सूत्र (4) शिक्षा योजना को कारगर बनाना

(5) शैक्षिक अवसरों की समानता (6) परीक्षा एवं मूल्यांकन

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न (प्रश्न 3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी ?

(a) 1990 (c) 1995

(c) 2000 (d) 2002

प्रश्न (4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6से 8) को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी ?

(a) 1990 (b) 1995

(c) 2000 (d) 2002

प्रश्न (5) प्रारम्भ में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी ?

(a) प्राथमिक (b) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

(c) उच्च प्राथमिक (d) माध्यमिक

प्रश्न (6) राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी ?

(a) 20 (b) 25

(c) 50 (d) 75

प्रश्न (7) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई हैं।

(a) 1995 (b) 2000

(c) 2005 (d) 2010

(6) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई हैं ?

(a) 1995 (c) 2000

(c) 2005 (d) 2010

(7) ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गा था ?

(a) 1986 (b) 1987

(c) 1992 (d) 1995

(8) वर्ष 1986 से पहले किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी।

(a) 1985 (b) 1968

(c) 1980 (d) 1969

6.6 सारांश summary

भारत वर्षो की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ यहाँ पर अंग्रजो ने एक छत्र शासन किया। यधपि उन्होंने भारत में काफी सुधार कार्य किये शिक्षा को एक अनोठी दिशा प्रदान की । आजादी के बाद शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोग बनाये गये लेकिन शिक्षा सभी के लिय सुलभ न हो सकी क्योकि समाज का धनाड्य वर्ग नही चाहता था कि सभी वर्गो को शिक्षा प्राप्त हो । उन्हें भय है कि यदि वे शिक्षित हो गये तो वे अपने अधिकारों की मांग करेगे, हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्यो में सुधार कि माग करेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने सभी के लिय शिक्षा के द्वार खोलने का प्रयास किया और वर्ष 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गयी । इसमें सरकार ने प्रयास किया कि सभी वर्गों के बच्चों को घर के पास एक किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा प्राप्त हो। घर से एक किलोमीटर पर प्राथमिक विधालय व तीन किलोमीटर की दूरी पर जूनियर विधालय की स्थापना की गयी। जहा पर प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति भी की गयी। लेकिन सरकार के अधिकारियो ने सरकारी विधालयो के चारो ओर खुलने वाले प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देकर कुकुरमुत्तो की तरह उनको स्थापित कराकर सरकारी स्कूलों की शिक्षा को समाप्त करने का षडयंत्र किया है। क्योकि समाज का जब जागरूक नागरिक अपने बच्चों को नहीं पढायेगे तब सरकारी विधालयो में शिक्षक की गतिविधियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज शिक्षक सरकारी कार्यो का बहाना बनाकर विधालय से गायब रहते है। जब तक इन प्राइवेट विधालयो को बंद नहीं किया जाता तब तक न तो सरकारी विधालयो को बच्चे मिलगे न ही समाज उन्नति कर सकता है यह पूंजीपति वर्ग की बहुत सोची समझी चाल है। क्योकि शिक्षा प्राइवेट होने पर आम आदमी का बच्चा शिक्षा नही कर पायगा।

6.7 शब्दावली Glossary

शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया में नया मोड़ (Reorienting the Content and Process of Education) :- सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर

बल दिया गया है और स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं-खेल-कूद आदि पर बल दिया गया है और अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

ब्लैक बोर्ड योजना :- ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विश्वविद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं (दो कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री खेल सामग्री और कम से कम दो शिक्षकों) की पूर्ति करने और इन सबके लिए धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया है।

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions

उत्तर 3 (a) 1990	उत्तर 4 (b) 1995	उत्तर 5 (a) प्राथमिक
उत्तर 6 (b) 25	उत्तर 7 (b) 2000	उत्तर 8 (b) 1968

6.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference Books

i- लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।

ii- जे. (डॉ) एस. वालिया (2009)भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।

iii- शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

iv- शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

v- शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ? वर्णन कीजिए।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के स्तर को उठाने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ? वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ?

UNIT 7 अध्यापक शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और उद्देश्य, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर Meaning, Need and Objectives of Teacher Education at Various Stages of Education

7.1 प्रस्तावना (Introduction)
7.2 उददेश्य (Objectives)
7.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)
7.3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historitical Background)
7.3.2 अध्यापक शिक्षा का अर्थ (Meaning of Teacher Education)
7.3.3 अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need of Teacher Education)
7.3.4 अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Teacher Education)
7.4 अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर (Various Stages of Teacher Education)
7.5 अध्यापक शिक्षा की समस्याएं (Teacher education and Problems)
7.6 शारांश (summary)
7.7 शब्दावली (Glossary)
7.8 अभ्यास के प्रशनों के उतर (Answer of Exercise Question)
7.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची (Reference)
7.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Reference Book)
7.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक शिक्षा क्या है? अध्यापक शिक्षा के विद्यार्थीयों की विशेषताएं व समस्याओं का अध्ययन इस इकाई में प्रस्तुत है अध्यापक शिक्षा की सहायक प्रणाली का सामान्य स्वरूप कैसा है? इसका विश्लेषण इस इकाई में कर सकेगें।

7.2 उददेश्य (Objectives)

i. अध्यापक शिक्षा के विद्यार्थियों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेगें।
ii. अध्यापक शिक्षा के विद्यार्थियों की समस्याओं की व्याख्या कर सकेगे।
iii. अध्यापक शिक्षा की विद्यार्थी सहायक प्रणाली का विश्लेषण कर सकेगें।

7.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंगों-अध्यापक, छात्र व पाठ्यवस्तु में अध्यापक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयोग्य छात्रगण भी वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते है। अच्छी से अच्छी पाठ्यवस्तु भी निपुण अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। अध्यापकगण शिक्षा प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करते है। अच्छे अध्यापक छात्रों को वांछित व्यवहार परिवर्तन में सहायता प्रदान करते हैं तथा उनको सर्वांगीण विकास के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों न हो उसमें अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती है। अध्यापक शिक्षा प्रणाली का केन्द्र होता है। तथा समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चहुँ ओर विचरण करती है। अध्यापक को शिक्षा व्यवस्था का प्राण कहना भी अनुचित नहीं होगा क्योंकि अध्यापक ही शिक्षा व्यवस्था को जीवन्त बनाता है।

हमारा वर्तमान समाज व राष्ट्र परिवर्तन व विकास के एक नाजुक परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक का उत्तर दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अध्यापक ही देश के भावी नागरिकों अर्थात युवावर्ग के छात्र-छात्राओं के वास्तविक सम्पर्क में

आता है तथा उन्हें अपने आचार-विचार तथा ज्ञान के अवबोध से प्रभावित करता है। अध्यापकों के ऊपर ही राष्ट्र के भावी निर्माताओं को तैयार करने का दायित्व होता है। सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास का सूत्रधार अध्यापक ही होता है। समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, आदर्शों, मूल्यों आदि को वास्तविक रूप देने की जिम्मेदारी भी अध्यापकों को वहन करनी होती है। वास्तव में अध्यापकगण अपने प्रयासों से भावी समाज की सरंचना करते है। इसलिये अध्यापकों को सामाजिक अभियन्ता के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास में अध्यापकों के योगदान को देखते हुयं अध्यापक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है।

प्राचीन काल से ही समाज में अपने भावी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा अन्य सभी प्रकार के विकास करने का कार्य अध्यापकों को सौंपने की परम्परा रही है। अध्यापक का कार्य ज्ञान व संस्कृति के सरंक्षण तथा हस्तान्तरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि के अनुरूप् आवश्यक सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों के लिये सृजनशील नेतृत्व को विकसित करना तथा समानता, स्वायत्तता, व न्याय पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना भी अध्यापक समुदाय का उत्तरदायित्व है। डा॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार ‘‘समाज में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परम्पराओं व तकनीकी कौशलों के हस्तान्तरण के साधन के रूप में तथा सभ्यता की ज्योति को प्रज्जवलित रखनें में सहायता प्रदान करता है।’’ मुदालियर आयोग (1952-53) ने भी शैक्षिक पुनर्निर्माण में अध्यापक, उसके व्यक्तिगण गुणों, उसके व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसके द्वारा विद्यालय व समाज में प्राप्त स्थान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया था। कोठारी आयोग (1964-66) ने अपने प्रतिवेदन ‘‘शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास’’ में स्पष्ट किया हैं शिक्षा के स्तर तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के योगदान का जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं उनमें अध्यापक के गुण,

क्षमता व चरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अध्यापकों की भूमिका के सम्बन्ध में कहा था कि ''अध्यापकों को अपने व्यक्तिगत मूल्यों व संस्कृति, जो उसके साधन है; के द्वारा अपने छात्रों को उच्च मूल्यों के हस्तान्तरण में सहायता करनी चाहिए। अध्यापकों को अंकुर पूर्ण रूप से खिलने में सहायता करनी चाहिये न कि अपनी सनक की पूर्ति के लिए कृत्रिम पुष्प तैयार करने चाहिये।

7.3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historitical Background)

वैदिक काल में अध्यापन कार्य का आध्यात्मिक कार्य माना जाता था तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्था में सभी आदर्श यथा सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनैतिक, नैतिक व धार्मिक आदर्श अध्यापक के चारों ओर केन्द्रित रहते थे। अध्यापक को सभी आदर्शो का जनक माना जाता था। इसलिए जहां एक ओर अध्यापक का ज्ञान के किसी एक विशिष्ट क्षेत्र अथवा अनेकों क्षेत्रों में निपुणतम होने की अपेक्षा की जाती थी, वहीं दूसरी ओर उसे अत्यन्त उच्च नैतिक चरित्र का स्वामी भी माना जाता था। ऋग्वेद मे चर्चा मिलती है कि उस समय का अध्यापन बौद्धिक रूझान व श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त, अपने विषय में निपुणता के प्रति समर्पित, सद् आचरण करने वाला, ब्रह्मचर्य का पालक तथा सर्वोच्च सत्ता के ज्ञान के प्रति लालायित रहता रहता था। उस समय अध्यापक के लिए किसी भी प्रकार के औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होती थी तथा न ही अध्यापक बनने वाले व्यक्ति को किसी औपचारिक प्रमाणपत्र देने की प्रथा थी। अच्छे अध्यापकों के सम्पर्क में रहकर छात्र अध्यापन कला का अनौपचारिक ढंग से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तथा अपने अनुभवों के आधार पर स्वतन्त्र रूप से अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर देते थे। वैदिक काल के अन्तिम चरण में अध्यापन व्यवसाय पैतृक कार्य बनने लगा था तथा उसके बाद वंश परम्परागत व्यवसाय के रूप में अनेक सदियों तक ब्राह्मण समुदाय अध्यापन कार्य केा करता रहा। परन्तु बुद्ध काल में गैर ब्राह्मण के द्वारा अध्यापन कार्य करने का स्पष्ट प्रमाण मिलते है।

मध्यकाल में भी अध्यापक प्रशिक्षण लगभग उपेक्षित ही रहा। इस काल में मकतब तथा मदरसों में मुल्ला व मौलवी अध्यापन का कार्य करते रहे। ये मुल्ला व मौलवी भी अध्ययन के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण का प्राप्त नहीं करते थे। 14वीं शताब्दी में कक्षा नायकीय प्रणाली अधिक प्रचलित थी। कक्षा नायकीय प्रणाली की प्रारम्भिक चर्चा वैदिक काल में तथा जातकों में भी मिलती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अध्यापक अपने प्रिय व योग्य छात्रों को, जिन्हें कक्षा नायक कहते थे, अपनी अनुपस्थिति मे कक्षा को पढ़ाने का उत्तरदायित्व देता था। ये छात्र अध्यापक की भांति कक्षा पर नियन्त्रण रखते थे तथा अपने से कम योग्य छात्रों को पढ़ने सीखने में सहायता करते थे। इस प्रकार से कक्षा नायकीय प्रणाली में श्रेष्ठ छात्रों को अध्यापन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। अध्यापक बड़ी कक्षाओं के छात्रों को छोटी कक्षाओं में अध्यापन करने का कार्य भी अपने निर्देशन में देते थे।

ब्रिटिश काल में अध्यापन एक वृत्ति के रूप में विकसित होने लगा था। शिक्षा के प्रसार के साथ सुयोग्य अध्यापकों की मांग बढ़ने लगी तथा अध्यापन कार्य में संलग्न व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। सन् 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज ने प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया। इसके बाद सन् 1924 मे बम्बई में देशी विद्यालय समाज ने तथा सन् 1926 में मद्रास शिक्षा समाज ने भी प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की। इसके उपरान्त देश में अनेक स्थानों पर प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। सन् 1854 मे घोषित वुड के घोषणापत्र में भारत में प्रत्येक प्रान्त में इंग्लैड़ की भांति प्रशिक्षण विद्यालय खोलने, प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां देने तथा प्रशिक्षित अध्यापकों को अधिक वेतन देने जैसी सिफारिशें की गई। सन् 1882 तक भारत में कुल 106 प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र तथा मद्रास व लाहौर में स्थित दो माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र थे।

सन् 1882 मे हन्टर आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिनके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में अनेक प्रशिक्षण विद्यालय तथा महाविद्यालय खुले। सन् 1904 में लार्ड कर्जन ने अपने प्रस्ताव में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने, स्नातक से कम योग्यता वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो वर्षीय तथा स्नातकों के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अभ्यासात्मक विद्यालय सम्बन्धित करने तथा प्रशिक्षण के दौरान सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों पक्षों का ज्ञान देने जैसे सुझाव भी रखें। इन सुझावों का अध्यापक प्रशिक्षण के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथार अध्यापक प्रशिक्षण के आन्दोलन केा एक नवीन शक्ति मिली। बींसवी शताब्दी के प्रथम कुछ दशकों में प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई तथा स्नातकों व पूर्व स्नातकों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये। सन् 1917 में गठित सैंडलर आयोग ने इन्टर तथा बी०ए० में शिक्षा को एक ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ करने तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषयवस्तु एवं शिक्षण के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक ज्ञान पर बल देने की अनुशंसा की। सन् 1929 में हर्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक बल देने, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने, अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा अध्यापकों की सेवाशर्तें सुधारने जैसे सुझाव दिये। इस समय तक कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाठ्यक्रम खोले जा चुके थे। सन् 1936 में बम्बई विश्वविद्यालय ने एम०एड० पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। सन् 1937 में वुड-ऐक्ट प्रतिवेदन तथा सन् 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट में भी अध्यापक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये गये। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत मे तीन प्रकार की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ प्रचलित थी- (1) दीक्षा विद्यालय जो मिडिल शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते थे, (2) माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय जो हाईस्कूल/इन्टर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए दो/वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान पाठ्यक्रम आयोजित करते थे, तथा (3) प्रशिक्षण

महाविद्यालय जो स्नातकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण करते थे। सन् 1947 मे नई दिल्ली मे केन्द्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई।

सन् 1982 भारतीय शिक्षकों एव अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में सदैव स्मरणीय रहेगा। इस वर्ष 5 सितम्बर अर्थात् अध्यापक दिवस पर भारत सरकार ने अध्यापक व्यवसाय क उद्देश्यों, अध्यापकों की भूमिका, अध्यापकों के प्रशिक्षण, अध्यापक कल्याण, अध्यापकों के लिए आचार संहिता, अध्यापकों की स्थिति आदि के सम्बन्ध मे अध्ययन करने तथा परामर्श देने के लिए दो आयोगों-अध्यापकों क लिए राष्ट्रीय आयोग-प्रथम व द्वितीय का गठन किया प्रथम आयोग के अध्यक्ष डी० पी० चट्टोपाध्याय थे तथा इसे स्कूल स्तर के अध्यापकों के सम्बन्ध में कार्य करना था। दूसरा आयोग उच्च शिक्षा स्तर के लिए था इसके अध्यक्ष प्रो० रईस अहमद थे। दोनों आयोगों के अध्यक्ष श्री किरीट जोशी थे। भारत के शैक्षिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब पूर्णरूप से अध्यापकों के लिए समर्पित किसी आयोग का गठन किया गया हो। सन् 1962 में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत सरकार द्वारा सन् 1986 मे घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ करके उनमें से कुछ को शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में विकसित करने का विचार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शतप्रतिशत आर्थिक सहायता से 48 विश्वविद्यालयों में ऐकेडेमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की जा चुकी है जो महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयो में नवनियुक्त अध्यापकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम तथा वरिष्ठ अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहे है।

संसद के द्वारा सन् 1993 में पारित अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षार परिषद् का गठन किया गया है। अध्यापकर शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने की दिशा में यह सार्थक प्रयास सिद्ध हो सकता है। अब माध्यमिक स्तर तक के अध्यापकों की शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान इस परिषद् के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। निःसन्देह स्वतन्त्रता के उपरान्त भारतवर्ष में अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र मे काफी विकास हुआ है।

7.3.2 अध्यापक शिक्षा का अर्थ (Meaning of Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवो का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी व्यक्ति को अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने में समर्थ बनाते हैं। पहले अध्यापक शिक्षा को अध्यापक प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था परन्तु अब अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित दृष्टिकोण में व्यापकता आ गई है तथा अध्यापकों की तैयारी को एक व्यापक अर्थों में स्वीकार करके इसे अध्यापक शिक्षा का नाम दे दिया गया है। अध्यापक प्रशिक्षण शब्द से एक संकुचित व सीमित दृष्टिकोण प्रतीत होता था। प्रशिक्षण शब्द से कार्य करने की कुछ युक्तियों को नीरस व यान्त्रिक ढंग से अभ्यास कराये जाने का अहसास होता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी भय या लालच के द्वारा पशुओं को कुछ कार्यों को यान्त्रिक ढंग से करने का अभ्यास कराया जाता है। अध्यापक शिक्षा के सन्दर्भ में प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग अध्यापकों की तैयारी के कार्य की गरिमा केा समाप्त कर देता है तथा इसे रूढ़िवादी, परम्परागत, सैद्वान्तिक व कृत्रिम दृष्टिकोण दे देता है। इसी कारण से अध्यापक प्रशिक्षण के स्थान पर अध्यापक शिक्षा जैसे व्यापक शब्द को प्रतिष्ठित किया गया। अब अध्यापक शिक्षा के अभिप्राय भावी व वर्तमान अध्यापकों के सर्वांगीण विकास से है। अभिप्राय है कि अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम अध्यापकों तथा सेवारत अध्यापकों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक विकास करके उन्हें अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलता पूर्वक व प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के योग्य बनाता है। स्पष्ट है

कि अध्यापक शिक्षा की अवधारणा प्रशिक्षण से अधिक व्यापक है। अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत न केवल शिक्षण कला में निपुण बनाया जाता है बल्कि अध्यापकों को शिक्षा प्रक्रिया की विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित अन्तदृष्टि विकसित करने योग्य भी बनाया जाता है। अब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रथम शिक्षा उपाधि का नाम शिक्षा स्नातक तथा अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिक्षा महाविद्यालय अथवा अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय कहते हैं।

7.3.3 अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need for Teacher Education)

प्राचीन काल में अध्यापन योग्यता को एक जन्मजात प्रकृति प्रदत्त योग्यता स्वीकार किया जाता था। उस समय की मान्यता थी कि अध्यापक बनने वाला व्यक्ति जन्म से ही अध्यापन सम्बन्धी प्रतिभा से सम्पन्न होता है। उसे किसी भी प्रकार के औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ यह भी कहा जाता था कि किसी प्रकार के प्रशिक्षण को देकर अच्छे अध्यापक तैयार करना संभव नहीं है अर्थात् अध्यापक पैदा होते हैं, न कि तैयार किये जाते हैं परन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध व 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विश्व के लगभग सभी देशों में अध्यापक के जन्मजात होने सम्बन्धी मान्यता का खण्डन किया जाने लगा तथा धीरे-धीरे सभी देशों में स्वीकार किया जाने लगा कि प्रशिक्षण देकर श्रेष्ठ व सुयोग्य अध्यापक तैयार किये जा सकते हैं। दूसरे अर्थों में अध्यापकों के शिक्षण व प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा। पहले विषयवस्तु मं निपुणता ही अध्यापक बनने के लिए आवश्यक थी, परन्तु बाद में शिक्षण योग्यता को भी आवश्यक माना जाने लगा। वास्तव में बाल मनोविज्ञान तथा अध्यापन विज्ञान के विकास में साथ-साथ अध्यापकों के सम्बन्ध में पुरानी धारणा परिवर्तित होने लगी तथा ज्ञानार्जन व ज्ञान प्रदान करने की योग्यता को भिन्न-भिन्न स्वीकार किया जाने लगा। अब यह स्वीकार करना गलत होगा कि विषय विशेष में निपुण व्यक्ति उस विषय का शिक्षण भी प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। अब

शिक्षण को ऐसा कार्य माना जाता है जिसको करने के लिए शिक्षण कला का सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अभ्यास आवश्यक है।

किसी भी अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि उन बालकों को अच्छी तरह से समझता हो जिन्हें वह पढ़ा रहा हैं। शिक्षा का बाल केन्द्रित मानने के कारण यह आवश्यक है कि अध्यापक पाठ्यवस्तु के साथ-साथ बालकों की प्रकृति को भी अच्छी तरह से समझे। विभिन्न आयु वर्गों के बालकों में विकास व वृद्धि किस प्रकार से होती है, बालकों की आवश्यकताये क्या हैं, बालक किस प्रकार से सीखते हैं, बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है, बालकों में वांछित अभिवृत्ति व मूल्य कैसे विकसित किये जा सकते हैं, बालकों के संवेगों को कैसे नियन्त्रित, परिवर्तित व संशोधित किया जा सकता है, बालकों में हीन ग्रन्थियो के विकास पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है- जैसे अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर बालमनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क उपरान्त ही अध्यापक जान सकता है। एक शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक इन प्रश्नों का उत्तर खोजकर बालक के विकास को सरलता व सुगमता तथा द्विगणित गति से सम्भव बना सकता है जब कि एक अप्रशिक्षित अध्यापक मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भली प्रकार से करने में स्वयं को असमर्थ पाता है।

शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक कक्षा शिक्षण को रोचक, जीवन्त व प्रभावशाली बनाने मे समर्थ होता है। वह मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके अपने छात्रों को सहजता, सरलता व सुगमता से स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत अप्रशिक्षित अध्यापक अपने शिक्षण को नीरस, कृत्रिम व अरूचिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करके छात्रों को शिक्षा के प्रति विरक्त कर देता है।

एक अच्छे अध्यापक के लिए न केवल कक्षा शिक्षण में प्रवीण होना आवश्यक है वरन् उसे अध्यापक के रूप में अन्य अनेक दायित्वों का पालन करना होता है। परीक्षा व मूल्यांकन, अनुशासन, विद्यालय प्रशासन, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का संचालन, समाज में शिक्षा की महत्ता की स्थापना जैसे कार्य भी अध्यापक को करने होते है। इसके लिए शिक्षा के उद्देश्यों व राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का योगदान, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों, मूल्यांकन विधियों, प्रशासन की तकनीकों, आदि का ज्ञान भी अध्यापक के लिए आवश्यक है। सेवा मे आने के उपरान्त भी समय-समय पर नवीन तकनीकों का ज्ञान अध्यापकों के लिए आवश्यक होता है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में सेवापूर्व व सेवा कालीनों में क्रमशः भावी अध्यापकों व कार्यरत अध्यापकों को उपरोक्त्त वर्णित बातों का विशद ज्ञान व अभ्यास कराया जाता है। स्पष्ट है कि अध्यापकों के लिए सेवावपूर्व व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की महती आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा प्राप्त करके ही वे अपने गुरूतर दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हो सकेंगे।

7.3.4 अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives)

अध्यापकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों तथा शिक्षा प्रक्रिया एवं सामाजिक व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उसकी भूमिका का ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिएः

1. शिक्षा की दार्शनिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना।
2. राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान कराना।
3. विषयवस्तु का ज्ञान प्रदान करना।
4. शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना।
5. अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना।

6. शैक्षिक मापन व मूल्यांकन की विभिन्न विधियों व तकनीकों का ज्ञान कराना।

7. छात्र निर्देशन व परामर्श की क्षमता विकसित करना।

8. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजना की योग्यता विकसित करना।

9. विद्यालय व कक्षा प्रबन्ध के विभिन्न सिद्धान्तों से अवगत कराना।

10. शिक्षा की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना।

7.4 अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर (Various Stages of Teacher Education)

शिक्षा के विभिन्न स्तरो पर कार्यरत अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के विभिन्न स्तरो पर अध्ययनरत छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं, शिक्षा के उद्देश्यों में वैभिन्यता, पाठ्यवस्तु की प्रकृति आदि के अनुरूप इन स्तरों के अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमां में कुछ भिन्नता का होना स्वाभाविक ही है। अतः अध्यापक शिक्षा को निम्न स्तरों में बांटा जा सकता है।

1. पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा,

2. प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा,

3. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा,

4. उच्च स्तर के अध्यापकों की शिक्षा,

5. अध्यापक शिक्षा मे स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान।

उपरोक्त पांचों स्तरों की अध्यापक शिक्षा की संक्षिप्त चर्चा की जा रही हैः

1. पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at pre-primary stage)

पूर्व प्राथमिक स्तर पर अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापकों की शिक्षा की सुविधायें हमारे देश में अत्यन्त कम है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का एवं विश्वविद्यालयों का इस स्तर की अध्यापक शिक्षा में लगभग नगण्य योगदान है। पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के शिक्षण प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व अधिकांशतः निजी संस्थाओं के द्वारा तथा कहीं-कहीं राज्यों के शिक्षा विभागों व इक्का-दुक्का विश्वविद्यालयों के द्वारा वहन किया जा रहा है। ये सभी भिन्न-भिन्न प्रकार की पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा जैसे नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, किन्डरगार्टन अध्यापक प्रशिक्षण, मॉन्टेसरी अध्यापक प्रशिक्षण, पूर्व बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण आदि का आयोजन करती है। यद्यपि ये भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएं शिशुओं की देखभाल व शिक्षा सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है। इस स्तर की अध्यापक शिक्षा प्राप्त करने वाली अधिकाशं प्रशिक्षणार्थी महिलाएं होती हैं। इस स्तर की अध्यापक शिक्षा प्राप्त करने वालों कों प्रायः प्रमाणपत्र अथवा प्रदान किया जाता है।

2. प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at primary stage)

प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने तथा तथा जनसाधारण में अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति जागरूकता के बढ़ते जाने के परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं का काफी विकास हुआ है। इस स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की अधिकांश संस्थाएं राज्य सरकारांे के द्वारा संचालित की जा रही है। व्यक्तिगत प्रबन्ध तंत्रों के द्वारा भी इस कार्य में काफी सहयोग मिल रहा है। सामान्यतः हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्राथमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है। इस स्तर पर प्रशिक्षण की

अवधि एक या दो वर्ष रहती है तथा प्रशिक्षणार्थियों को बाल मनोविज्ञान, शिक्षा के सिंद्धात, शिक्षण विधियां, शिल्पकला, विद्यालय प्रबन्ध, स्वास्थ्य सेवा, समाज सेवा आदि का अध्ययान कराया जाता है एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न राज्यों/संस्थाओं के पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि, न्यूनतम प्रवेश अर्हता तथा पाठ्यक्रम के नाम में भी थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है। जे॰टी॰सी॰ याए बी॰ टी॰सी॰ या ए एच॰ टी॰ सी॰ए पी॰टी॰सी ए जे॰ बी॰ टी॰सी॰ ए वी॰ टी॰ सी॰ ए डिलोमा इन टीचिगं ए सर्टीफिकेट इन टीचिगं जैसे अनेक नाम प्राथमिक शिक्षको के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।

3. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at secondary stage)

माध्यमिक स्तर के अध्यापक प्रायः स्नातक शिक्षा प्राप्त होतो है तथा इन्होनें बी॰ टी॰ए बी॰ एड॰ अथवा एल॰ टी॰ प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है। उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापक स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त होते है परन्तु इनके लिए प्रायः किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बी॰ एड॰ पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित किया जाता है तथा इसकी कक्षाएं विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयो के शिक्षा विभागों तथा शिक्षा महाविद्यालयों में आयोजित की जाती हैं। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी॰ एड॰ पाठयक्रमों में प्रश्नपत्रों की संख्या प्रकृति व विषय वस्तु के सम्बन्ध में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, फिर भी मोटे तौर पर शिक्षा के दार्शनिक व समाज शास्त्रीय आधार, मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी, मापन व मूल्यांकन, विषय शिक्षण विधि, विद्यालय प्रशासन, स्वास्थ्य शिक्षा का सैद्धान्तिक ज्ञान तथा शिक्षण अभ्यास कराय जाता है। देश के कई विश्वविद्यालय पत्राचार बी॰ एड॰ तथा ग्रीष्मकालीन बी॰ एड॰ जैसे पाठ्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। सेवारत अध्यापकों के लिउए बी॰ एड॰ के कुछ विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाते है। एल॰ टी॰ पाठ्यक्रम राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। यह भी बी॰ एड॰ के समकक्ष होता है।

4. उच्च शिक्षा स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at higher education stage)

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा कार्य करने वाले अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नाकोत्तर उपाधि होती है। पी-एच०डी० या एम० फिल० इस स्तर के अध्यापकों की वांछनीय अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है। पहले इस स्तर के अध्यापकों के लिये किसी भी प्रकार की अध्यापक शिक्षा की औपचारिक आवश्यकता नहीं होती थी। समय-समय पर अपने ज्ञान के अभिवनवीकरण के लिये अध्यापकगण गोष्ठियों, कार्यशाला से ग्रीष्म सत्रों अभिनव पाठ्यक्रमों आदि में स्वेच्छा से भाग लेते रहते थे। परन्तु अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों तथा विश्वविधालय में कार्यरत अध्यापकों के लिये अनुस्थापन तथा अभिनव पाठ्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है। आयोग के विचार में नवनियुक्त अध्यापकों को राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षण कला, व्यक्तित्व विकास व प्रबन्ध का ज्ञान कराना जरूरी है तथा वरिष्ठ अध्यापकगणों को भी समय-समय पर अपने ज्ञान को अद्यतन करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 48 विश्वविद्यालयों में एकेडेमिक स्टाफ कालेज खोले हैं जो सम्पूर्ण देश में स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नवनियुक्त अध्यापकों के लिये अनुस्थापन पाठ्यक्रम तथा वरिष्ठ अध्यापकों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजन कर रहे है। इन पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा व समाज व संस्कृति में परस्पर सम्बन्ध, भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा दर्शन, शिक्षण कला, शिक्षा का इतिहास, विषय उन्नयन, व्यक्तित्व विकास तथा प्रबन्ध के ऊपर व्याख्यनों, सेमीनार, कार्यशाला व स्व-अध्ययन की व्यवस्था की जाती है।

5. अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान (Teacher education and Research in post graduation)

विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि की शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य का आयोजन भी किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा निष्णात की उपाधि प्रदान की जाती है। यह एकवर्षीय पाठ्यक्रम होता है। तथा इसमें प्रायः शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा अनुसंधान, के अनिवार्य प्रश्न पत्र तथा शैक्षिक मापन व मूल्यांकन, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, विशिष्ट बालको की शिक्षा, शिक्षा तकनीकी, प्रयोगात्मक अनुसंधान जैसे ऐच्छिक प्रश्न पत्र होते है। विगत कुछ वर्षों से कुछ विश्वविद्यालयों के द्वारा विशिष्टकरण पर अधिक बल देने के लिए एम० एड० (विशिष्ट शिक्षा), एम०एड० (निर्देशन), एम० एड(तकनीकी), जैसे पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधानर एवं प्रशिक्षण परिषद भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य करता है। व्यक्तिगत प्रयासों तथा संस्थाओं की वित्तीय सहायता से अनुसंधाना प्रोजेक्टों के द्वारा भी शैक्षिक अनुसंधाान में योगदान मिलता है।

7.5 अध्यापक शिक्षा की समस्याएं (Teacher education and Problems)

भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। अध्यापक शिक्षा के कार्य में संलग्न शिक्षा संस्थायें भावी व कार्यरत अध्यापकों को पुरानी घिसी -पिटी शिक्षण कला की शिक्षा प्रदान करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेती है। इन संस्थाओं का एक मात्र लक्ष्य किसी प्रकार से विभिन्न प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा या उपाधियों के लिएर आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित बनने का तमगा प्रदान कराना मात्र बन गया है। ये संस्थाएं योग्य तथा शिक्षण कला में निपुण अध्यापकों को तैयार करने में पूर्णरूपेण असफल रही हैं। हमारा वर्तमान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापन व्यवसाय की तत्कालीन व भावी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ रहा है। विषय विशेष में विकसित हो रहे नवीनतम ज्ञान तथा शिक्षण तकनीकों से अध्यापकों केा अवगत कराने पर हमारे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं। अतः किसी भी प्रकार के शैक्षिक सुधार की सफलता के लिए यह आवश्यक हो

जाता है कि अध्यापक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर सावधानीपूर्वक ढंग से विचार किया जाये तथा उनका समाधान खोजकर अध्यापक शिक्षा को पुष्ट किया जाये।

अध्यापक शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का संक्षिप्त विवेचन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. प्रवेश की समस्या

अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समस्या एक विकट समस्या के रूप मे उभर कर सामने आई है। अध्यापन व्यवसाय को वर्तमान समाज में सम्मानजनक स्थान व धनार्जन में अनुपयुक्त होने के कारण प्रतिभाशाली व योग्य तथा अध्यापन के प्रति समर्पित व निष्ठावान व्यक्तियों का अभाव रहता है। यद्यपि बेरोजगारी के वर्तमान युग में अध्यापन प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों क अम्बार लगा रहता है परन्तु इनमें से अधिकाशं आवेदन-पत्र शैक्षिक दृष्टि से अयोग्य तथा अध्यापन अभिवृत्ति की दृष्टि से हीन व्यक्तियां के होते हैं। श्रेष्ठ व योग्य व्यक्ति तो प्रशासनिक सेवाओं, चिकित्सा व अभियान्त्रिकी के व्यवसाओं में अथवा अतिरिक्त धनप्राप्ति वाले लिपिकीय कार्यो में लगकर धनसम्पदा व अधिकारों से परिपूर्ण व्यावसायिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। विगत कुछ वर्षो से कुछ राज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा है। परन्तु इन प्रवेश परीक्षाओं की वैधता व विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है। इन प्रवेश परीक्षाओं में एन॰ सी॰ सी॰, राष्ट्रीय सेवा योजना व खेलकूद में भाग लेने वाले छात्रों तथा स्वतन्त्रता सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी, अध्यापकों आदि के आश्रितों को अतिरिक्त अंक भी दिये जाने का प्राविधान रहता है। इसके अतिरिक्त अनुसुचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व विकलांगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रहते हैं। इस सबसे योग्यता के आधार पर प्रवेश का होना वांछित होता है। अध्यापक जैसे गरिमापूर्ण, समर्पित व महत्वपूर्ण व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए छात्रों का चयन योग्यता व केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए । अतः प्रवेश के

लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण या कृपांक का प्राविधान नहीं होना चाहिए। प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता तथा वैधता को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। शैक्षिक योग्यता, बुद्धि अभिरूचि आदि से सम्बन्धित प्रश्नों को प्रवेश परीक्षा में रखा जाना चाहिए। प्रवेश परीक्षाएं मानकीकृत ढंग से बनाई जानी चाहिए। इनकी विश्वनीयता व वैधता सुनिश्चित हो तथा इनकी सहायता से ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जा सके जो भविष्य में श्रेष्ठ व निपुण अध्यापक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकें।

2. प्रदर्शनात्मक विद्यालयो का अभाव

अध्यापक शिक्षा के शिक्षण अभ्यासात्मक पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक है। इस पक्ष के कमजोर होने अर्थात् शिक्षण अभ्यास के उपयुक्त न होने से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तथा यह औपचारिकता मात्र रह जाती है। शिक्षण अभ्यास की वांछित व्यवस्था के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के साथ प्रदर्शनात्मक विद्यालय का जुड़े रहना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान मे अधिकाशं अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से प्रदर्शनात्मक विद्यालय सम्बन्धित नहीं हैं ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षक संस्थाओं का शिक्षण अभ्यास के लिए शहर में स्थित प्राथमिक विद्यालयों/ जूनियर हाई स्कूलों/ हाईस्कूलो पर निर्भर रहना पड़ता हैं। ये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय अपनी इच्छानुसार कक्षाओं को प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में शिक्षण अभ्यास एक औपचारिकता बन जाता है तथा इसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। परिणामस्वरूप छात्राध्यापकों को वांछित सघन प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इस बात की महती आवश्यकता है कि सभी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के पास अपना प्रदर्शनात्मक विद्यालय हो जिससे एक ओर जहां छात्रों को सघन शिक्षण अभ्यास कराया जा सके वही शैक्षिक अनुसंधान व विकास के कार्यों के द्वारा नवाचारो व प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा सके।

3. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम अत्यन्त संकुचित, निर्जीव व पुराना है। प्रशिक्षण की अवधि में सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अभ्यासात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। पाठयोजना की घिसी पिटी परिपाटी अपनाई जाती है तथा उसके अक्षरशः पालन करने की अपेक्षा की जाती है। प्रशिक्षण मे अर्जित ज्ञान अध्यापक गण वास्तविक परिस्थितियो में प्रयोग नहीं लाते हैं। इससे प्रशिक्षण की उपयोगिता ही संदिग्ध हो जाती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है जिससे प्रशिक्षण काल में प्राप्त ज्ञान का अध्यापक गण वास्तविक जीवन में प्रयोग करें तथा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनायें।

4. दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली

अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्राध्यापकों के द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली परीक्षा प्रणाली भी उचित नहीं कही जा सकती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली भावी अध्यापकों के अध्यापकोचित गुणों का मापन व मूल्यांकन करने में समर्थ रही है। सतत आन्तरिक मूल्यांकन का अभाव है। लिखित परीक्षा प्रणाली छात्रों के द्वारा रटन्त स्मरण के रूप में अर्जित ज्ञान का मापन कर पाती है। प्रयोगात्मक परीक्षा में शिक्षण के कृत्रिम माहौल में छात्राध्यापकों के द्वारा अपने अध्यापकों के सहयोग से निर्मित पाठयोजना पर श्रव्यदृश्य सामग्री के अत्यधिक प्रयोग से बोझिल शिक्षण के कुछ तथाकथित अनुष्ठानों को कुछ क्षणां े तक सम्पन्न करते देखकर छात्राध्यापकों का मूल्यांकन कर दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की विश्वनीयता व वैधता की सैद्धान्तिक विवेचना की बात तो दूर है, स्वयं नियुक्ति पाकर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान अर्जित सैद्धान्तिक ज्ञान व अभ्यास को सर्प के केचुल की तरह से उतार कर फेक देता है तथा परम्परागत शिक्षण-शैली को अपनाकर शिक्षण कार्य करता है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को

बढ़ाने के लिए परम आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली को सार्थक बनाया जाये जिससे यह छात्राध्यापकों के अध्यापकोचित गुणों व कौशलों का मापन व मूल्यांकन कर सकें तथा वास्तविक जीवन में सफल होने वाले भावी अध्यापकों का संकेत दे सकें।

5. अच्छे शोधकार्य का अभाव

वैसे तो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र भारत में किये गये अनुसंधान कार्यों की विशाल श्रृंखला है परन्तु अच्छे अनुसंधान कार्य का अभाव सा प्रतीत होता है। भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र मे किया जाने वाला शोधकार्य अभी भी अपनी शैशवावस्था में प्रतीत होता है। विदेशों विशेषकर ब्रिटेन व अमेरिका में किये जाने वाले अनुसंधानों को भारतीय परिस्थितियों में दोहराना भारतीय शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं का प्रिय विषय रहा है। नितान्त मौलिक अनुसंधानों का तो भारत में अभाव रहा है। खेद का विषय है कि शिक्षा की स्नातकोत्तर व अनुसंधान उपाधियों से युक्त तथाकथित महान प्रोफेसरगण शिक्षा का कोई नितान्त मौलिक बात नहीं दे पाये है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय परिवेश को ध्यान मे रखकर शिक्षा व अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान किये जायें सामान्य शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा दोनों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकें।

6. छात्राध्यापकों का नकारात्मक दृष्टिकोण

अध्यापक शिक्षा की एक अन्य प्रमुख समस्या छात्राध्यापकों में अध्यापन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का होना है। अध्यापन को अन्तिम विकल्प के रूप में स्वीकार करने वालों में अध्यापन के प्रति समर्पण, लगाव व निष्ठा की आशा करना व्यर्थ ही होता है। ऐसे छात्राध्यापकों में अध्यापन व्यवसाय से सम्बन्धित बातों को सीखने के प्रति कोई रूचि नहीं होती है। वे किसी प्रकार से प्रशिक्षण पूरा करके उपाधि प्राप्त करना चाहते है जिससे रोजगार प्राप्ति में सहायता मिल सकें। ऐसी परिस्थिति में अध्यापन व्यवसाय को आकर्षित बनाने की आवश्यकता है, जिससे योग्य, समर्पित व निष्ठावान

नवयुवक तथार नवयुवितयों अध्यापक बनने के इच्छुक हो सकें। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अध्यापक गण भी प्रशिक्षण में सीखने के लिए नहीं वरन विभागीय औपचारिकता की पूर्ति या पदोन्नति की बाध्यता के लिए आते हैं। प्रशिक्षण को उनके लिए उपयोगी, आकर्षक व जीवन्त बनाकर उनके नकारात्मक दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। जब तक छात्राध्यापकों व अध्यापकों के दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन नहीं आयेगा तथा वे नवीन ज्ञान व तकनीकों का सीखने के लिए तत्पर नही होगे तब तक अध्यापक शिक्षा में सुधार नहीं लाया जा सकता है

7. सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की उपेक्षा

सेवारत प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान व कौशलों की सहायता से कोई भी अध्यापक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में उत्कृष्ट अध्यापक बना नहीं रह सकता है। आज के युग में ज्ञान के भंडार में अत्यन्त तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। नई-नई तकनीकें विकसित हो रही है। अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र भी ज्ञान व तकनीकों के विकास से अछूता नहीं है। श्रेष्ठ अध्यापक बने रहने के लिए सतत अध्ययन की आवश्यकता होती है। जो अध्यापक अपने ज्ञान का नवीनीकरण तथा शिक्षण कौशलों में परिवर्तन व परिमार्जन नहीं करता है वह पुराना हो जाता है तथा श्रेष्ठता की दौड़ में पिछड़ जाता है। अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा उन्हें समय-समय पर विकसित हो रहे नवीनतम ज्ञान व कौशलों से अवगत कराती हैं। परन्तु हमारे यहां एक बार प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक के आगे प्रशिक्षण पाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है तथा इस प्रकार के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि एन०सी०ई०आर० टी० तथा एस० सी० ई० आर० टी० इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है फिर भी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को सुधारने तथा अधिक उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। सेमीनार, कार्यशाला, अभिनव पाठ्यक्रमों आदि के द्वारा अध्यापकों को समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

8. अध्यापक शिक्षा में अलगाव

अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम भले ही वे किसी भी स्तर के क्यों न हों, एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा सामान्य शिक्षा व्यवस्था से भी पूर्णरूपेण स्वतन्त्र नहीं हो सकती है। अध्यापक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क होना अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु वर्तमान में अध्यापक शिक्षा की विभिन्न संस्थाएं वायुरूद्ध कोष्ठकों में बन्द हो गई है। इनका न तो परस्पर सम्पर्क है और न ही ये शिक्षा के वास्तविक जगत के सम्पर्क में रहती है। अध्यापक शिक्षा में अलगाव की यह समस्या तीन रूपों में दृष्टिगोचर होती हैः (1) अध्यापक शिक्षा का विद्यालयी जीवन से अलगाव, (2) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों में परस्पर अलगाव तथा (3) अध्यापक शिक्षा का विश्वविद्यालयों की मुख्य शैक्षिक धारा से अलगाव।

अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं का प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के वास्तविक जीवन से लगभग नहीं के बराबर सम्पर्क रहता है। प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों तथा वास्तविक शिक्षण, परिस्थितियों से परिचित नहीं होते हैं। वे केवल सैद्धान्तिक तथा परम्परागत शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वास्तव में अध्यापक शिक्षा की समस्त संस्थाओं को विद्यालयों के सम्पर्क में रहना चाहिए जिससे विद्यालयों की वास्तविक परिस्थिति व आवश्यकता को समझकर छात्राध्यापकों को उसी के अनुरूप तैयार किया जा सके।

विभिन्न स्तरों के अध्यापको की शिक्षा के कार्य में संलग्न संस्थाओं में भी परस्पर सम्पर्क व सहयोग का अभाव पाया जाता है। पूर्व प्राथमिक अध्यापकों की संस्था प्राथमिक अध्यापकों की संस्था से तथा प्राथमिक अध्यापकों की संस्था माध्यमिक की संस्था माध्यमिक अध्यापकों की संस्था से विरत रहती है। एक शरीर के विभिन्न अगं होते हुए भी ये एक दूसरे से विचार-विमर्श, सहयोग व परामर्श नहीं करते है। अध्यापक शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं केा एक दूसरे के सम्पर्क में रहकर परस्पर

सहयोग व समन्वयन से कार्य करना चाहिए। इससे अध्यापक शिक्षा की अनके समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता मिलेगी।

अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं विश्वविद्यालयों की मुख्य शैक्षिक धारा से भी अलग दिखाई प्रतीत होती हैं। शिक्षाशास्त्र विभागों तक का शेष विश्वविद्यालय से सम्पर्क कम रहता है। शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए विभिन्न विषयों में हो रही खोजों व परिवर्तनों का ज्ञान तथा स्कूल स्तर पर इनके प्रभाव की जानकारी भावी अध्यापकों, कार्यरत अध्यापकों तथा प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की मुख्य धारा से जुड़ी रहें।

अध्यापक शिक्षा मे अलगाव की समस्या पर विचार-विमर्श करते हुए कोठारी आयोग ने कहा था कि ''हम प्रशिक्षण संस्थाओं में लगाव को समाप्त करने के प्रस्ताव का अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते है। हमारी राय में यह एक ऐसा सुधार होगा जो अध्यापक शिक्षा को नया जीवन प्रदान कर सकेगा''। आयोग ने अलगाव को समाप्त करने के लिए अनेक सुझाव भी दिये। इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव निम्नवत थे।

1. शिक्षा को सामाजिक विज्ञान का स्तर मिलना चाहिए।
2. बी०ए० तथा एम० ए० में शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जान चाहिए।
3. प्रशिक्षण संस्थाओं में पुरातन छात्र संघों का गठन किया जाये।
4. प्रशिक्षण संस्थाओं का अपने समीप के स्कूलों तथा उनके अध्यापकों को अध्यापन कार्य में मार्ग निर्देश प्रदान करना चाहिए।
5. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग खोले जाने चाहिऐ।

6. शिक्षण अभ्यास के लिए पूर्ण कालिक छात्रत्व की व्यवस्था होनी चाहिए।

7. प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को कुछ समय के लिए विद्यालयों में शिक्षण कार्या करना चाहिये।

8. शिक्षा के व्यापक महाविद्यालय खोले जाने चाहिये जिसमें सभी स्तर की अध्यापक शिक्षा दी जाये।

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर **Check your progress**

1) अध्यापक शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है।

2) अध्यापक शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिय ।

7.6 सारांश (Conclusion)

इस इकाई को पढने के बाद आप यह जान चुके है कि अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी व्यक्ति को अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने में समर्थ बनाते हैं। अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय है कि अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम अध्यापकों तथा सेवारत अध्यापकों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक विकास करके उन्हें अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलता पूर्वक व प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के योग्य बनाता है। स्पष्ट है कि अध्यापक शिक्षा की अवधारणा प्रशिक्षण से अधिक व्यापक है। अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत न केवल शिक्षण कला में निपुण बनाया जाता है बल्कि अध्यापकों को शिक्षाा प्रक्रिया की विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित अन्तदृष्टि विकसित करने योग्य भी बनाया जाता

7.7 पारिभाषिक शब्दावली (Glossary)

1. अध्यापक शिक्षा: अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी व्यक्ति को अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने में समर्थ बनाते हैं।

7.8 अभ्यास के प्रशनों के उतर (Answer of Exercise Question)

उत्तर 1) अध्यापक शिक्षा को दो स्तरों में बांटा जा सकता है।

उत्तर 2) i अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य विषयवस्तु का ज्ञान प्रदान करना।

II अध्यापको को प्रशिक्षित करना ।

7.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची (Reference)

वालिया। जे। एस (2009) शिक्षा तकनीकी, अहम पाल पब्लिशर्ज, जालन्धर शहर (पंजाब)

शर्मा। आर। ए। (2004) शिक्षा तकनीकी के तत्व एंव प्रबन्धन आर। लाल। बुक डिपो, मेरठ-2500

सक्सैना, एन। आर। स्वरुप (1994) शिक्षण कला एवं पद्धतियाँ (शिक्षण एवं परीक्षण के सिद्धान्त, लापल बुक डिपो, मेरठ।

वालिया जे। एस (1998) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, पाल पब्लिशर्ज, जालन्धर (पंजाब)

गुप्ता एस। पी (1992) आधुनिक मापन तथा मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन इलाबाद

शर्मा आर॰ ए॰ (2011) अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी आर॰ लाल॰ बुक, डिपो, मेरठ-25000

7.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Reference Book)

1. शिक्षा तकनीकी - डॉ॰ जे॰ एस॰ वालिया

2. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ॰ आर॰ ए॰ शर्मा

3. भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं - डॉ॰ एस॰ पी॰ गुप्ता

4. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ॰ सुरेन्द्र शर्मा एवं कमलेश परवारी

7.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

1. अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते है इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए?

2. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए?

3. अध्यापक शिक्षा की समस्याएं क्या है?

Unit 8 शिक्षक व्यवहार में सुधार (सूक्ष्म शिक्षण, एंव यथार्थवत सामाजिक कौशल प्रशिक्षण) Modification of Teacher Behaviour: Micro Teaching and Simulated Social Skill Training

8.1 प्रस्तावना (Introduction)
8.2 उददेश्य (Objectives)
8.3 सूक्ष्म-शिक्षण का विकास (Development of Micro-Teaching)
8.3.1 सूक्ष्म अध्यापन की परिभाषा (Definition of Mico teaching)
8.3.2 सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारणाएँ (Assumptions of Micro Teaching)
8.3.3 शिक्षण-कौशल (Teaching skill)
8.3.4 सूक्ष्म-शिक्षण चक्र (Cycle of Micro Teaching)
8.4 सूक्ष्म-शिक्षण की विशेषताएं (Merits of Micro-teaching)
8.4.1 सूक्ष्म-शिक्षण का प्रमुख उपयोग Uses of Micro Teaching)
8.4.2 सूक्ष्म-शिक्षण प्रयोग में सावधानियां (Precautions in Using Micro-Teaching)
8.5 यथार्थवत् शिक्षण (simulated Teaching)
8.5.1 यर्थाथवत् के प्राचल
8.5.2 यथार्थवत् शिक्षण का गठन (Development of Simulated teaching)
8.5.3 यथार्थवत् शिक्षण में क्रियाओं के प्रकार
8.5.4 यथार्थवत् तकनीक की मान्यताएं
8.5.5 यथार्थवत् शिक्षण में प्रस्तुतीकरण की विधियां
8.5.6 यथार्थवत् शिक्षण के लाभ (Merits of Simulated Teaching)
8.5.7 अनुकरणीय सामाजिक कोशल शिक्षण (Stimulated Social Skill Teaching)
अपनी उन्नति जनिय Check Your progress
8.6 शारांश (Summary)
8.7 शब्दावली (Glossary)
8.8 अभ्यास के प्रशनों के उतर (Answer of Exercise Question)

8.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची (Reference)
8.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Reference Book)
8.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

पृष्ठपोषण प्रविधियाँ शिक्षाशास्त्र में नवीन प्रवर्त्तन माने जाते हैं। अध्यापक-शिक्षा में अब तक शिक्षण-अभ्यास के लिये जो प्रविधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं उनसे शिक्षण कौशलों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। अतः पिछले तीन दशकों से पृष्ठपोषण की प्रविधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। पृष्ठपोषण प्रविधियों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित अधगिम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। शिक्षकों के कौशल एवं व्यवहारों में अपेक्षित सुधार एवं परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षक-व्यवहार में सुधार के लिये अनेक पृष्ठपोषण की प्रविधियाँ का प्रयोग किया जाने लगा है। उनमें से प्रमुख प्रविधियाँ निम्नांकित हैं-

(1) सूक्ष्म-शिक्षण (Micro Teaching)

(2) अनुकरणीय शिक्षण (Simulated Social Skill Teaching)

8.2 उद्देश्य (Objectives)

i. सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कर सकेगें।

ii. सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग में सावधानियों की व्याख्या कर सकेगे।

iii. सूक्ष्म शिक्षण चक्र का वर्णन कर सकेंगे।

8.3 सूक्ष्म-शिक्षण का विकास (Development of Micro-Teaching)

अमेरिका के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध हेतु (1961) में उध्ययन प्रत्याशी कीथ एचीसन ने समाचारपत्र में एक जर्मन वैज्ञानिक द्वारा छोटे वीडियों टेप रेकार्डर (दृश्य-ध्वनि टेप रिकार्डर) के आविष्कार का समाचार पढ़ा। एचीसन उस समय राबर्ट एन० बुश और डवाइट डब्ल्यू० ऐलन के साथ कार्यरत थे जिन्हें फोर्ड फाउण्डेशन से अनुदान मिला था कि वे खोज करें कि छात्राध्यापकों के लिये प्रवर्त्तन अध्ययन शिक्षा कार्यक्रम में कौन-कौन से अनुभव वांछित होंगे जिनसे आगे चलकर अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न हो।

अध्यापन शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्होंने सूक्ष्म अध्यापन अभ्यास क्रम प्रारम्भ किये और इन्हें प्रदर्शन अध्यापन संज्ञा दी। प्रत्येक छात्राध्यापक 5 अथवा 6 विद्यार्थियों को संक्षिप्त पाठ पढ़ाता था और छात्रों को अलग-अलग प्रकार की भूमिका निर्वाह करनी होती थी। एक छात्र अच्छे विद्यार्थी की, दूसरा ऐसे विद्यार्थी की जिसे पढ़ने में रूचि न हो, तीसरा केवल ध्यानाकर्षण में लगी छात्र का अभिनय करते है। चौथा छात्र या छात्रा सर्वज्ञानी विद्यार्थी बन जाती और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती थी चाहे उसका उत्तर आता हो, या न आता हो, ठीक हो या गलत। इस प्रकार की गतिविधियों के उपरान्त प्राध्यापकों एवं छात्राध्यापकों ने अनुभव किया कि इन कार्यक्रमों में बहुत अधिक नाट्यकरण होता है और अनेक बार उत्सुकता उत्पन्न होती है। पर्यवेक्षक जब पृष्ठपोषण हेतु छात्राध्यापक से चर्चा करता है तो छात्राध्यापक यह मानने को तैयार ही न होता कि उसने कोई गलत बात कही या की है क्योंकि उसे याद ही न होता था। इस प्रकार जो लाभदायी अनुभव होना चाहिये था, वह मात्र बहस बन कर ही रह जाता था।

एचीसन का मत था कि यदि छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाये पाठ को विडियों टेप रिकार्डर के सहारे उसे दिखाया जा सके कि उसने क्या किया है तो पर्यवेक्षक और छात्राध्यापक दोनों को

प्रतिपुष्टि में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। प्रोफेसर बुश और एल्सन ने इस सुझाव का स्वागत किया। एचीसन और स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के उसके अन्य सहयोगी वीडियों टेप रिकार्डर के विभिन्न प्रकार के उपयोग एंव उसके सहारे अनेक प्रयोग करने में लग गये। उन्होंने छात्राध्यापकों के अध्ययन व्यवहार में वंछित परिर्वन लाने व निश्चित उद्देश्यों की सम्पूर्ति एंव अध्यापन प्रक्रिया के विकल्प खोजने में इसका प्रयोग किया।

अध्यापकों को जो सेवा पूर्व अथवा प्रशिक्षण हेतु आते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा कम समय में अध्यापन कौशल का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सेवारत अध्यापकों की अध्यापन प्रक्रियाओं में सुधार भी इसी प्रणाली द्वारा लाना सम्भव है। उनसे लम्बे (40-45) मिनट के पाठ पढ़वाना अस्वाभाविक एंव समय का दुरूपयोग है। इस कार्य में सूक्ष्म अध्यापन बहुत ही सुविधाजनक एंव सफल प्रणाली है।

8.3.1 सूक्ष्म अध्यापन की परिभाषा (Definition of Mico teaching)

सूक्ष्म अध्यापन अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु नवीन प्रशिक्षण प्रणाली है। भारत और विश्व के अनेक भागों में इस पर अभी शोध कार्य चल रहा है। पिछले एक दशक में इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में इस प्रणाली को कम समय में अधिक उपयोगी पाया गया है।

एलिन एंव रेअन के विचार (1968) में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में जहाँ इस प्रणाली का जन्म हुआ एलन ने बताया कि, 'सूक्ष्म-शिक्षण शिक्षण क्रिया का वह सरलीकृत लघु रूप है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने, अल्प समय में सम्पन्न किया जाता है।'

बुश का विचार (1968) ने अध्यापन की परिभाषा देते हुए कहा कि, सूक्ष्म-शिक्षण अध्ययापक शिक्षा की ऐसी तकनीक है जिस में अध्यापक ध्यान-पूर्वक तैयार किये गये नियोजित

पाठों के द्वारा, पांच से दस मिनट तक वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे से समूह के साथ, स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है और इस के परिणाम वीडियो टेप पर प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त करता है।

मैक्लीज, अनुविन (1970) का कहना था कि सूक्ष्म अध्यापन का साधारणतया प्रयोग संवृत दूरदर्शन के द्वारा छात्रा अध्यापक को सरलीकृत वातावरण में उसके निष्पादन सम्बन्धी प्रतिपुष्ट तुरन्त उपलब्ध करने की प्रक्रिया के लिये किया जाता है। आगे उनका कहना है कि सूक्ष्म अध्यापन को साधारणतया अभिरूमित अध्यापन का स्वरूप की अमूर्त परिकल्पना अथवा वास्तविक कक्षाध्यापन की प्रक्रिया के आधधर पर उपलब्ध की जाती है।

क्लिफ़ट तथा दूसरों के विचार सन् 1976 में क्लिफ्ट तथा अन्य विद्वानों ने सूक्ष्म-शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार की थी, 'सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण स्थिति को सरल तथा अधिक नियन्त्रित प्रतिक्रमण में न्यूनीकृत कर देती है। यह शिक्षण अभ्यास को विशिष्ट कौशल में सीमित कर देती है और शिक्षण समय तथा कक्षा के आकार को घटा देती है।

8.3.2 सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारणाएँ (Assumptions of Micro Teaching)

सूक्ष्म-शिक्षण की प्रमुख धारणाये यह हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिये शिक्षण व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते है। पृष्ठपोषण के द्वारा अपेक्षित व्यवहार के प्रारूपों का विकास किया जा सकता है। यह एक उपचारी कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक को कक्षा में एक छोटे से प्रकरण का शिक्षण करना पड़ता है। शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ रूप में निरीक्षण किया जाता है और उनका निदान करके सुधार के लिए सुझाव दिये जाते हैं। यह व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करती है।

8.3.3 शिक्षण-कौशल (Teaching skill)

सूक्ष्म-शिक्षण का प्रयोग विशिष्ट शिक्षण कौशलों के विकास के लिये किया जाता है। शिक्षण से तात्पर्य सुनिश्चित शिक्षक-व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिये प्रभावशाली होते है। शिक्षण के अनेक कौशलों का उल्लेख किया जाता है। एलन तथा रायन (1969) ने चौदह शिक्षण कौशल की व्याख्या की है। वह इस प्रकार है-

1. उद्दीपन विशमता (Stimulus Variation) छात्रों को एकाग्रचित करने के लिये उद्दीपन को बदलते रहने की क्षमता होती है।

2. भूमिका निर्वाहद् (Set Induction) छात्रों से मानसिक स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता होती है।

3. समीपताद् (Closure) भूमिका निर्वाह क्षमता की पूर्वक मानी जाती है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करने की क्षमता होती है।

4. मौन तथा अशाब्दिक संकेत (Silence and Non-verbal cuse) छात्रों को शिक्षण की क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है।

5. पुनर्बलन को कौशल (Skill of Reinforcement)-. शाब्दिक प्रशंसा द्वारा छात्रों की क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है।

6 प्रश्न पूछने में प्रवाह (Fluencyin Questionning)

7. गहन प्रश्न पूछना उदाहरणों को प्रयोग(probing Question)

8. उद्देश्यों को लिखने का कौशल(Skill of writing objective)

9 .श्यामपट के प्रयोग का कौशल (Skill of using Blackboard)

10. दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रयोग का कौशल(Using Audio-visual Aides)

11. प्रवचन का कौशल(lecturing)

12. पाठ के अनुसारण का कौशल Skill of Paching Lesson)

13. सम्प्रेषण की पूर्णता (Operations in Micro-teaching) विदेशों में सूक्ष्म-शिक्षण की प्रक्रिया को वीडियो टेप कर लिया जाता है। छात्राध्यापक अपने द्वारा किये गये शिक्षक-कार्य को ज्यों त्यों टेलिविजन पर देखते हैं। और आत्म-विश्लेषण के द्वारा पृष्ठपोषण प्राप्त करते हैं। किन्तु भारत में अभी ऐसी सुविधा प्रशिक्षण-विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रतिपुष्टि के लिये सामान्यतः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा रहा है-

(क) प्रशिक्षण-विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पाठ का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसे पर्यवेक्षक पृष्ठपोषण कहते है।

(ख) सहपाठी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पृष्ठपोषण का दिया जाना। इसे सहपाठी प्रतिपुष्टि कहते हैं।

(ग) सम्पूर्ण सूक्ष्म पाठ को टेप रिकार्डर पर टेप कर लिया जात है और टेप पुनः सुनकार छात्र-अध्यापक पृष्ठपोषण प्राप्त करता है। इसे स्व-पृष्ठपोषण कहते है।

14. मूलतः सूक्ष्म-शिक्षण की प्रविधि में निम्नलिखित पाँच पदक्रम सन्निहित हैं- (i) शिक्षण (ii) प्रतिपुष्टि (iii) पुनः पाठ नियोजन (iv) पुनः शिक्षण (v) पुनः प्रतिपुष्टि। इन पाँच पदक्रमों को मिलाकर एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनता है।

8.3.4 सूक्ष्म-शिक्षण चक्र (Cycle of Micro Teaching)

श्री एल. सी. सिंह द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म-शिक्षण के भारतीय मॉडल की मानकीय क्रिया विधि: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के शिक्षा विभाग के रीडर डा० एल० सी० सिंह ने अपनी

पुस्तक में भारत की सैकेण्डरी अध्यापक शिक्षा के लिये सूक्ष्म-शिक्षण के हेतु निम्नलिखित क्रिया विधि का सुझाव दिया है:-

1. सैद्धान्तिक सिद्धान्त - अध्यापक-शिक्षकों तथा छात्राध्यापकों को सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारण से अवगत कराने के लिए सूक्ष्म-शिक्षण पर सैद्धान्तिक विचार-विर्मश गठित करना चाहिए। इसके गुणों एवं दोषों की व्याख्या करनी चाहिए।

2. शिक्षण कौशलों पर विचार-विमर्श - सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए। कम से कम पांच शिक्षण कौशलों का चयन करके उन की विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। अभ्यास से पहले एक समय में एक ही कौशल पर विचार-विर्मश होना चाहिए। शिक्षण कौशल के निरीक्षण के लिये कुछ चुने हुये छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

3. आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण -तत्पश्चात् अध्यापक-शिक्षण द्वारा सम्बन्धित कौशल के आदर्श पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। यह आदर्श-पाठ छात्राध्यापकों द्वारा लिये गये लगभग सभी शिक्षण-विषयों से सम्बन्धित होने चाहिएं।

4. सूक्ष्म-पाठ की तैयारी -छात्राध्यापक को सूक्ष्म-पाठ की तैयारी के लिये ‘एक इकाई’ की अवधारणा का चयन करना चाहिए।

5. सूक्ष्म-शिक्षण व्यवस्था -सूक्ष्म-शिक्षण युक्ति के लिये निम्नलिखित व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

(क) समय शिक्षण पृष्ठपोषण पुनःनियोजन पुनःशिक्षण पुनःपृष्ठपोषण	 6 मिनट 6 मिनट 12 मिनट 6 मिनट 6 मिनट
(ख) विद्यार्थीयों की संख्या	10
(ग) निरीक्षक	1 या 2
(घ) निरीक्षकों का पृष्ठपोषण	

6. यथार्थवत् स्थिति .सहवर्गी छात्राध्यापकों को विद्यार्थीयों की भूमिका निभानी चाहिए। कॉलेज में ही सूक्ष्म-शिक्षण का संचालन होना चाहिए।

7. शिक्षण कौशलों का अभ्यास-एक छात्राध्यापक को कम से कम पांच शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना चाहिए

8. शिक्षण कौशलों का निरीक्षण - सूक्ष्म-शिक्षण में अभ्यास किये जा रहे शिक्षण कौशलों का निरीक्षण सहवर्गी छात्राध्यापकों और कॉलेज के निरीक्षक द्वारा किया जाता है।

9. पृष्ठपोषण .छात्राध्यापकों को व्यक्तिगत रुप से तत्काल पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए। पृष्ठपोषण प्रदान करते समय निरीक्षण सूची में टैलियों एवं रेटिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए और आदर्श पाठों के प्रकाश में छात्राध्यापक के कार्य निष्पादन की व्याख्या की जानी चाहिए।

10. शिक्षण समय - पांच कौशलों में से प्रत्येक कौशल के सूक्ष्म-पाठ का सम्पूर्ण चक्र होगा-

शिक्षण→पृष्ठपोषण→पुनःनियोजन→पुनःशिक्षण→पुनःपुष्ठपोषण।

एक चक्र को पूरा करने में सामान्यतः एक छात्राध्यापक को 35 मिनट लगते हैं।

8.4 सूक्ष्म-शिक्षण की विशेषताएं (Merits of Micro teaching)

सूक्ष्म-शिक्षण के अभ्यास में शिक्षण कौशल के विकास के मूल्यांकन के लिये अनेक मानदण्ड़ों का प्रयोग किया जाता है। पर्यवेक्षक तथा सहयोगियों द्वारा रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में ‘‘शिक्षण योग्यता मूल्यांकन सूची का निर्माण किया जिसका प्रयोग सूक्ष्म-शिक्षण की प्रभावशीलता के लिये किया जाता है।

शिक्षक-प्रशिक्षक भी इस नवीन विद्या का जन्म प्रशिक्षण-व्यवस्था की कमियों को दूर करने तथा और संगठित कर वांछित शिक्षण-कौशलों में दक्षता उत्पन्न करने के लिये हुआ है। इस विधा में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं।

1. यह सरलीकृत प्रशिक्षण-पृष्ठभूमि प्रदान करता है क्योंकि शिक्षण-कौशल, पाठ्रवस्तु तथा कक्षा-अनुशासन आदि शिक्षण-कौशलों में दक्षता उत्पन्न करने के लिये हुआ है। इस विधि में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं।

2. स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवहारों पर ही छात्राध्यापक अपना ध्यान केन्द्रित रखता है, अतः वांछित परिवर्तन तक वह शीघ्र ही पहुँच सकता है।

3. छात्राध्यापक अपनी न्यूनताओं को दूर करने के लिये किसी एक विशिष्य शिक्षण-कौशल के बार-बार अभ्यास करने की सुविधा प्राप्त करता है।

4. विभिन्न विकल्पों के प्रयोग करने की सुविधा इस विधा में आसानी से उपलब्ध होती है।

5. पाठ का समुचित निरीक्षण द्वारा सम्भव है।

6. पाठ के तुरन्त बाद ही छात्राध्यापक को समुचित प्रतिपुष्टि मिलती है।

7. प्रतिपुष्टि तथा समालोचलना के आधार पर छात्राध्यापक को अपने पाठ को पुनर्नियोजित करने, सुधारने और पढ़ाने का तुरन्त अवसर मिलता है।

8. इसमें एक ही प्रशिक्षाणार्थी के दो या दो से अधिक शिक्षण-व्यवहारों (पाठ-पुनः पाठ) की तुलना करने का अवसर मिलता है।

9. शिक्षण और शिक्षण की परिस्थितियों पर इसमें अधिक प्रभावशाली नियन्त्र रखा जा सकता है। शिक्षण के निरीक्षण पर अपेक्षिकृत अच्छे रिकार्ड तैयार किये जा सकते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षम-कार्यभार में समता रखी जा सकती है।

10. एक बार व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण-विद्यालयों में सूक्ष्म-शिक्षण की प्रक्रिया चला देने पर प्रशिक्षकों के लिये यह समय की दृष्टि से मितव्ययी सिद्ध होती है।

8.4.1 सूक्ष्म-शिक्षण का प्रमुख उपयोग Uses of Micro Teaching)

1. शिक्षण सम्बन्धी विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षण-कौशल विकास की प्रभावशाली प्रविधि है।

2. अध्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए छात्र-अध्यापकों की व्यक्तिगत एवं क्षमताओं के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रविधि है। शिक्षण कौशल के विकास व्यक्तिगत क्षमतओं के अनुसार अवसर दिया जाता है।

3. इस प्रविधि के उपयोग से पाठ्य-वस्तु को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. पूर्व-सेवा तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह एक उपयोगी प्रविधि है।

5. इसको अन्य प्रविधियों के साथ भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे -अन्तः प्रक्रिया विश्लेषण, अनुकरणीय शिक्षण आदि के साथ इसका उपयोग हो सकता है।

8.4.2 सूक्ष्म-शिक्षण प्रयोग में सावधानियां (Precautions in Using Micro-Teaching)

1. शिक्षण उद्देश्य का विशिष्टीकरण स्पष्ट होना चाहिए।

2. इस प्रविधि के अभ्यास से पहले अनुकरणीय शिक्षण का अभ्यास देना आवश्यक है अन्यथा प्रर्यवेक्षक की उपस्थिति में छात्राध्यापक आत्मविश्वास खो बैठेंगे और घबरा जायेंगे।

3. वाद-विवाद के समय आलोचना नहीं करनी चाहिये अपितु सुझाव के रूप में कमजोरियों को बतलाना चाहिये। कुछ क्रियाओं की प्रशंसा भी करनी चाहिये।

4. एक समय में केवल एक ही शिक्षण-कौशल का विकास करना चाहिये और उसी से सम्बन्धित सुझाव देना चाहिये।

5. एक ही विषय के छात्राध्यापक को वाद-विवाद से सम्मलित करना चाहिए और उन्हीं को निरीक्षण का अवसर देना चाहिये।

6. अभ्यास से पूर्व छात्राध्यापक को अपनी पाठ-योजना बना लेनी चाहिये और शिक्षण युक्तियों का निर्धारण कर लेना चाहिए।

8.5 यथार्थवत् शिक्षण (Simulated Teaching)

थॉमस एवम् डीमर का विचार-‘यथार्थ के बिना यथार्थ का सार प्राप्त करना ‘यथार्थवत् शिक्षण’ है।

मेगरी का विचार -‘यथार्थवत् शिक्षण शिक्षण एवं अधिगम की ऐसी तकनीक है जिस में विद्यार्थियों को यथार्थ जीवन की कुछ घटनायें, प्रक्रियाएं अथवा स्थितियां प्रदान की जाती है और अभिनय के लिए कुछ भूमिकाएं प्रदान की जाती है जिनका उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। विशिष्ट आवश्यकताओं एवं रुचियों को प्रभावित करने के लिए यथार्थवत् शिक्षण का प्रयोग अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को बहुत अभिप्रेरणा प्रदान कर सकता है’।

फिंक का विचार- ‘यथार्थवत् शिक्षण यथार्थ का नियन्त्रित निरुपण है।

हॉरमन का विचार . ‘यथार्थवत् में यथार्थ के सभी अंश तो नहीं, परन्तु महत्त्वपूर्ण अंश अवश्य होते हैं। यथार्थवत् को वास्तविक जीवन के सदृश नहीं दिखाई देना चाहिए किन्तु उन्हें वास्तविक वस्तु की भान्ति कार्य करना होता है।’

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि यथार्थवत् शिक्षण में यथार्थ के महत्त्वपूर्ण अंश तो सम्मिलित होत हैं परन्तु यथार्थ के कुछ अंश निकाल दिये जाते हैं। जब यथार्थवत् शिक्षण का निमार्ण किया जाता है उसमें यथार्थ जीवन के अनावश्यक तत्त्वों को निकाल दिया जाता है। यथार्थवत् को निम्नलिखित रुप से समझा जा सकता है-

यथार्थवत् = यथार्थ जीवन - असम्बन्धित तत्त्व

यर्थाथवत् शिक्षण ऐसी अधिगम या प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षार्थी को किसी विधिवत् एवं संगठित अधिगम अनुभव द्वारा अपने व्यवहार के वांछित परिवर्तन में सहायता प्रदान करती है। यह अधिगम अनुभव प्रयोगशाला की स्थितयों के समान यथार्थवत् स्थिति में गठित किया जाता है।

यर्थाथवत् शिक्षण को ‘अभिनय’ विधि या ‘भूमिका निर्वाह’ विधि भी कहा जाता है जिस में शिक्षण प्रक्रिया को अभीनीत किया जाता है और इस के द्वारा सम्प्रेषण के महत्त्वपूर्ण कौशल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इस में विद्यार्थी-अध्यापक तथा विद्यार्थी एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और वास्तविक कक्षीय पर्यावरण जैसी स्थिति विकसित करते है। इस प्रकार समूचा यर्थाथवत् शिक्षण भूमिका को समझने तथा भूमिका निर्वाह करने का प्रशिक्षण बन जाता है। यर्थातवत् शिक्षण संवेदनशीलता में प्रशिक्षण, सामाजिक-नाटक भूमिका-निर्वाह तथा मनो-नाटक का आधार है।

8.5.1 यर्थाथवत् के प्राचल

प्रो॰ टैनसे ने यथार्थवत् शिक्षण के तीन प्राचल बताये हैं।

1. चित्रित यथार्थ्वत् -उपर्युक्त त्रिकोण का उपरि भाग चित्रित यथार्थवत् के प्रकारां े के साथ सम्बन्धित है। इन का सम्भ्सवतः व्यापक प्रयोग किया जाता है। चित्रित यथार्थवत् में सहभागिता की मात्रा को प्रस्तुत किया जाता है। सड़क -मानचित्र ए मौसम मानचित्र रेखा-चित्र आदि चित्रित-यर्थातवत् स्थिति के उदाहरण हैं। ये भौतिक तत्त्वों के बिना वास्तविक स्थिति के यथार्थ रुप का प्रकट करते हैं। ऐसी यथार्थवत् स्थित में कुछ भी गतिमान नहीं होता। ये केवल व्यावहारिक होते हैं, वास्तविक को प्रस्तुत नहीं करते।

2. खेल - त्रिकोण का निचला बाईं ओर का भाग खेलों को प्रस्तुत करता है इनमे प्रतियोगिता की मात्रा दिखाई गई है। कुछ सीमा तक ये इन नियमो द्वारा शासित होती हैं जिनका सुधार या पूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें प्रायः यथार्थवत् स्थिति प्रतियोगितात्मक तत्त्वों में निर्मित की जाती है और कभी-कभी अकादमिक खेलों तथा यथार्थवत् को एक ही समय प्रयोग किया जाता है। इस भाग में जो खेलें दिखाई गई हैं उनके नियम कठोर एवं औपचारिक हैं-जैसे ताश, शतरंज।

3. स्वतन्त्र नाटक - त्रिकोण का अन्तिम भाग स्वतन्त्र नाटक प्रस्तुत करता है। स्वतन्त्र नाटक में संरचना की मात्रा पर ध्यान दिया गया है। किसी भी यथार्थवत् स्थिति में नाटक का तत्त्व बड़ा होता है। स्वतन्त्र नाटक ऐसी यथार्थवत् स्थित है जिसे कक्षा में नैतिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यह यथार्थवत् शिक्षण तथ्यों का शिक्षण नहीं देता बल्कि दृष्टिकोणों पर ध्यान आकृष्ट करता है।

8.5.2 यथार्थवत् शिक्षण का गठन (Development of Simulated teaching)

यथार्थवत् शिक्षण के गठन में 5 से 7 तक छात्र-अध्यापक सम्मिलित होते हैं जिन्हें सामाजिक कौशल का अभ्यास करना होता है। उन में से एक ‘अध्यापक’ की भूमिका निभाता है। उसे ‘अभिनेता’ कहा जाता है। दो छात्र-अध्यापक ‘निरीक्षक’ की भूमिका निभाते हैं। जो विद्यार्थी-अध्यापक ‘विद्यार्थी’ की भूमिका निभाते हैं उन्हें अवरोधक कहा जाता है इन की संख्या दो से चार तक होती है।

थार्थवत् शिक्षण अथवा यथार्थवत् सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की विशषतायें ;यथार्थवत् शिक्षण (यर्थातवत् सामाजिक कौशल प्रशिक्षण) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. नियोजन- यथार्थवत् शिक्षण पहले से ही विधिवत् नियोजन की मांग कराता है ताकि विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के वांछित व्यवहार(कौशलों) का प्रदर्शन कर सकें। नियोजन लक्षित समूह की आवश्यकताओं, रुचियों तथा अभिवृतियों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। शिक्षण के प्रकरण समूह के निर्माण, भूमिकायें देने आदि का निर्णय पहले से ही कर लिया जाता है। पृष्ठपोषण तथा मूल्यांकन की तकनीकें भी पहले से ही निश्चित् कर ली जाती हैं।

2. संलग्नता- विद्यार्थियों को सभी क्रियाओं में सक्रिय रुप से भाग लेने की आवश्यकता होती है। यर्थाथवत् शिक्षण विद्यार्थियों से दृढ़ प्रतिबद्धता तथा पुष्टि की मांग करता है।

3. पृष्ठपोषण- यथार्थवत् शिक्षण में पृष्ठपोषण की गुणवत्ता तथा बारम्बारता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस से मानवीय व्यवहार में परिवर्तन लाने में बहुत सहायता मिलती है यथार्थवत् शिक्षण में विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन स्थितियों की अपेक्षा जल्दी अपनी क्रियाओं के परिणाम अनुभव होते हैं। तात्कालिक पृष्ठपोषण उन के अधिगम का अधिक प्रभावित करता है। उदाहरणस्वरुप जो छात्र-अध्यापक पाठ पढ़ाता है उसे उसी समय अपने सहपाठियो तथा अध्यापकों की समीक्षा प्राप्त हो जाती है। यह समीक्षा उसे भावी निर्णयों के सुधार में सहायक सिद्ध होती है अर्थात् वह इस पृष्ठपोषण के विकास में अपना व्यवहार सुधारने का प्रयास करता है।

4. नियन्त्रण- यथार्थवत् शिक्षण प्रणाली उपागम पर आधारित है जिस का प्रयोजन विद्यार्थियों के सम्मुाख रहे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यथार्थवत् शिक्षण में अध्यापक/प्रशिक्षणार्थी इस बात का निर्णय लेते हैं कि विद्यार्थियों ने क्या सीखना है, किस क्रम में सीखना है और किन स्थितियों में सीखना है। अधिगम पर पूर्ण नियन्त्रण को

सुनिश्चित बनाने के लिये यथार्थवत् शिक्षण इस प्रकार आयोजित करना चाहिए कि विद्यार्थी गम्भीर समस्याओं से पहले छोटी समस्याओं का सामना करें क्योंकि गम्भीर समस्याओं के समाधान के लिये अधिक कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है।

5. समय- यथार्थवत् शिक्षण लक्ष्य-उन्मुख एवं लचीली शिक्षण विधि है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप समय से घटाया-बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित लक्ष्य जटिल हों तो यथार्थवत् शिक्षण की अवधि कई सत्रों तक बढ़ाई जा सकती है। अतः किसी शैक्षिक स्थिति में यथार्थवत् शिक्षण का कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है।

6. सुरक्षा - यथार्थवत् शिक्षण में क्रिया कृत्रिम अथवा प्रयोगशाला जैसी स्थिति में होती है, इसलिये उसे में किसी खतरे की सम्भावना कम होती है। किसी रोगी का आप्रेशन करने का अनुभव, हवाई जहाज़् उड़ाने का अनुभव, युद्ध करने का अनुभव आदि संकटमय अनुभव प्रदान करने के लिये विद्यार्थियों को कृत्रिम स्थितियां तथा नाटकीय परीक्षण प्रदान किये जाते हैं।

8.5.3 यथार्थवत् शिक्षण में क्रियाओं के प्रकार

यथार्थवत् शिक्षण में तीन प्रकार की क्रियाऐ होती है।

1. भूमिका निभाना अथवा अभिनय करना - यथार्थवत् शिक्षण मं 'भूमिका-निभाना' सब से आसान क्रिया है। इस का सम्बन्ध निन्नलिखित दो क्रियाओं में से किसी एक के साथ होता हैः

   i. किसी अन्य का रुप धारण करना या
   ii. एक क्रिया-समूह में अनुभव प्राप्त करना जिस प्रकार एक अभिनेता एक क्रिया समूह में अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता है।

2. सामाजिक-नाटक – सामाजिक नाटक भी एक प्रकार की भूमिका निभाने की क्रिया है जिसमें भूमिका निभाने वाले किसी सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह समस्या वास्तविक जीवन से भी ली जा सकती है। और समाधान के लिए निधार्रित स्थिति को प्रस्तुत करने के लिये समस्या का निर्माण भी किया जा सकता है। परन्तु भूमिका निभानों वालो अर्थात् अभिनेता को ऐसे समाधान को ढूंढना होता है जो, प्रस्तुत स्थिति में स्वीकार्य हो।

3. खेल खेलना - 'खेल खेलना' सामाजिक नाटक की तकनीक में वृद्धि है जो नीतियों अर्थात् निर्णय लेने में चयन एवं विकास की मांग करता है और संयोग या नीतियों के चयन के परणिामस्वरुप पुरस्कारों की व्यवस्था करता है। ये निर्णय और पुरस्कार कुछ नियमांे के अधीन होते हैं जिन का खिलाड़ियों को ज्ञान होता है। 'खेल' के निर्माण में संयोग का स्थान रखा भी जा सकता है, और नहीं भी रखा जा सकता अर्थात् परिणाम पर 'संयोग' का प्रभाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।

8.5.4 यथार्थवत् तकनीक की मान्यताएं

यथार्थवत् समाजिक कौशल प्रशिक्षण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैः

1. अध्यापक के व्यवहार में सुधार हो सकता है - पृष्ठपोषण द्वारा अध्यापक के व्यवहार को सुधारा जा सकता है।

2. अध्यापक व्यवहार के प्रतिरुप आवश्यक है -दूसरी मुख्य मान्यता है कि निपुण शिक्षण के लिए अध्यापक व्यवहार के कुछ प्रतिरुप प्रस्तुत करना आवश्यक है। निरीक्षक ऐसे व्यवहार प्रतिरुप को पहचानता है और अध्यापक उन का अभ्यास करते हैं।

3. अध्यापक व्यवहार की अपनी व्यवहार संरचना है - अध्यापक-व्यवहार-संरचना है। कार्ल ओपनशॉ तथा अन्य विद्वानों ने अध्यापक-व्यवहार की संरचना को यथार्थवत् तकनीक द्वारा इस प्रकार विकिसित किया है-(1) स्त्रोत आयाम (2) निदेशन आयाम (3) कार्य आयाम (4) चिन्ह आयाम।

यर्थाथवत् अथवा अनुरुपित शिक्षण

4. सामाजिक कौशलों का विकास होता है -चौथी तथा अन्तिम मान्यता है कि समूह में अनुकरण तथा अभ्यास द्वारा सामाजिक कौशलों को विकसित किया जा सकता है समूह के सभी सदस्यों को शिक्षण-उद्देश्य के लिए अपने व्यवहार पर नियन्त्रण रखने तथा उसे विकसित करने का अवसर मिलता है।

यथार्थवत् शिक्षण में सोपान अर्थात् यथाथवत् शिक्षण की क्रिया-विधि

8.5.5 यथार्थवत् शिक्षण में प्रस्तुतीकरण की विधियां

क्रुकशैंक का विचार है कि यथार्थवत् शिक्षण में निरुपण की तीन बुनियादी विधियों में से किसी एक या अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता हैः-

1. वृत्तान्त अध्ययन- वृत्तान्त अध्ययन में किसी व्यक्ति, संगठन अथवा स्थिति की पृष्ठभूमि यथार्थवत् रुप में बताई जाती है। वृत्तान्त अध्ययन यथाथवत् स्थितियों में मनः स्थिति तथा सूचना प्रस्तुत करने की विधि है। पृष्ठभूमि की सूचना यथार्थवत् अनुकरण का अनिवार्य भाग है।

2. भूमिका निर्वाह- भूमिका निर्वाह एक और तकनीक है जिस का प्रयोग यथार्थवत् शिक्षण में किया जाता है भूमिका निर्वाह की दो विशेषताएं होती है-

(क) स्वाभाविकता भूमिका निर्वाह में स्थिति के अनुकूल स्वाभाविक अभिनय करना होता है।

(ख) आविष्कार -भूमिका निर्वाह एक प्रकार का काल्पनिक आविष्कार है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति दूसरों का रुप धारण कर के विशिष्ट स्थिति में उन जैसा व्यवहार करते हैं।

भूमिका निर्वाह की ये विशेषतायें (स्वाभाविकता एवं आविष्कार) व्यक्तिगत अभिनय तथा भूमिका दोनों पर बल देती हैं।

3. **इन-बॉस्किट प्रस्तुतीकरण-** यथार्थवत स्थिति में समस्याओं को प्रस्तावित करने की विधि को दर्शाने के लिए 'इन-बॉस्किट निरूपण' का प्रयोग किया जाता है। 'इन-बॉस्किट प्रस्तुतीकरण' को लिखा जा सकता है या जन माध्यम की सहायता से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस के लिए चलचित्र, अन्य बहुप्रेक्षण विधियोंए 16 मी०मी० फिल्मों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। 'इन-बास्टिक प्रस्तुतीकरण में नियत्रण का महत्वपूर्ण कार्य निहित होता है। इस में नियन्त्रणकर्ता की इच्छा के अनुरूप भाग लेने वाले को सूचना प्रदान की जाती है। इस में निहित धारणा के अनुसार भाग लेने वालों को आरम्भ में ही एक बार समूची सूचना प्रदान नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें खण्डों में सूचना प्रदान करनी चाहिए। कुछ भाग लेने वालों को गुप्त रूप से पृथक् सूचनायें भी प्रदान की जा सकती है।

8.5.6 यथार्थवत् शिक्षण के लाभ (Merits of Simulated Teaching)

1. विद्यार्थियों को प्रेरित करने का साधन- यथार्थवत् शिक्षण विद्यार्थियों को प्रेरित करने का साधन है। क्रूकशैंक के विचारानुसार, 'यह तकनीक विद्यार्थियों को वास्तविक कक्षीय-प्रतिक्रमण के खतरे उठाये बिना शिक्षण-कौशलों में पुर्नबलन प्रदान करती है।' शिक्षण-समस्याओं का विश्लेषण यथार्थवत् शिक्षण विद्यार्थी-अध्यापकों को शिक्षण समस्याओं के अध्ययन तथा विश्लेषण के अवसर प्रदान करता है।

2. व्यवहार-समस्याओं में अन्तर्दृष्टि - यथार्थवत् शिक्षण विद्यार्थियों को कक्षा से सम्बन्धित व्यवहार-समस्याओं का बोध कराता है और उनका सामना करने के लिए अन्तदृष्टि प्रदान करता है।

3. कक्षीय-व्यवहार को अपनाना - यथार्थवत् शिक्षण विद्यार्थियों को कक्षीय-व्यवहार अपनाने में प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल के विकास में सहायता प्रदान करता है और उन में कौशलों के प्रयोग के लिए विश्वास उल्पन्न करता है।

4. सिद्धान्त और व्यवहार में सम्पर्क - यथार्थवत् शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से हम सिद्धान्त और व्यवहार में सम्पर्क स्थापित करते हैं।

5. वास्तविक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान - यथार्थवत् शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी वास्तविक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करते है।

6. प्रयोगशालीय अनुभव प्राप्त करने का साधन - यथार्थवत् शिक्षण सामाजिक प्रयोगशाला के रुप में काम करता है। यह विद्यार्थियों को सामाजिक-कौशलों के प्रयोग के अवसर प्रदानद करता है। इसके द्वारा वह अपने पूर्व ज्ञान को कृत्रिम वातावरण में प्रयुक्त कराता है और सामाजिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं का अधिक ज्ञान प्राप्त करता है।

7. रोचक एवं आनन्दपूर्ण - यथार्थवत् शिक्षण विद्यार्थियों के लिए रोचक आनन्दपूर्ण होता है।

8.5.7 अनुकरणीय सामाजिक कोशल शिक्षण (Stimulated Social Skill Teaching)

इस प्रविधि को छात्राध्यापकों के शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कक्षा शिक्षण अभ्यास से पूर्व अनुकरणीय-शिक्षण का अभ्यास कराया जाता है। यह एक भू मिका निर्वाह या नाटकीय प्रविधि मानी गयी है। छात्राध्यापक इसके अभ्यास में शिक्षक तथा छात्र दोनें का कार्य

करते हैं एक छात्राध्यापक शिक्षक का कार्य करता है और अन्य छात्राध्यापक उस स्तर के छात्रों का कार्य करते हैं। एक छोटे प्रकरण का शिक्षण किया जाता है। अन्य छात्राध्यापक छात्रों के समान ही व्यवहार करते हैं। शिक्षक कालांश दस अथवा पन्द्रह मिनट का होता है। इसके बाद पांच मिनट शिक्षण युक्तियों के सम्बन्ध में वाद-विवाद होता है, प्रशंसा भी करते हैं, सुझाव भी दिये जाते हैं। इसके बाद एक अन्य छात्राध्यापक शिक्षक का कार्य करता है। पहले जिसने शिक्षक का कार्य किया है वह शेष के साथ बैठकर छात्रों के समान व्यवहार करता है। वाद-विवाद छात्राध्यापक को उसके शिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी देता है। जो पृष्ठपोषण का कार्य करता है और जिससे अपेक्षित व्यवहार का अनुसरण किया जाता है। कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है।

1. छात्राध्यापकों को शिक्षक के पद का कार्य एक क्रम में सौंपा जाता है और शेष अवसरों पर छात्र तथा निरीक्षक का कार्य सौंपा जाता है।
2. उस शिक्षण-कौशल को निर्धारित किया जाता है जिसका अभ्यास करना और विकास के लिए सुझाव दिये जाते हैं। छात्राध्यापक अपने शिक्षण के प्रकरण का चयन करते हैं और पाठ का नियोजन करते है।
3. शिक्षण के आरम्भ करने तथा अन्त करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित की जाती है।
4. शिक्षक-व्यवहार की क्रियाओं के मापन की विधायों को निश्चित किया जाता है।
5. अनुकरणीय शिक्षण का अभ्यास किया जाता है और उन्हें पृष्ठ पोषण दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अभ्यास की विधि को दूसरे सूत्र में बदल लिया जाता है।

6. शिक्षण की विधियों को बदल लिया जाता है जिससे शिक्षण के आगामी कौशल का अभ्यास किया जा सके। परिवर्तन आवश्यक समझा जाता है जिससे छात्राध्यापक की शिक्षण के प्रति रूचि बनी रहे।

अपनी उन्नति जनिय)Check Your Progress)

सत्य/असत्य बताइए

1) सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा होता है।

2) सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है।

3) यथार्थवत् शिक्षण के पांच प्रकार है।

8.6 शारांश (Summary)

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि यथार्थवत् शिक्षण उन समस्याओं के समाधाना का सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है जो कुशल-शिक्षण में बाधक बनती है। यह प्रभावशाली शिक्षण के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। यथार्थवत् अभ्यासो में विधिवत् प्रयोगों से आवश्यक सुधार भी किये जा सकते हैं। यथार्थवत सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का न्याय संगत प्रयोग किया जाना चाहिए।

8.7 शब्दावली (Glossary)

1. सूक्ष्म शिक्षण: सूक्ष्म-शिक्षण अध्ययापक शिक्षा की ऐसी तकनीक है जिस में अध्यापक ध्यान-पूर्वक तैयार किये गये नियोजित पाठों के द्वारा, पांच से दस मिनट तक वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे से समूह के साथ, स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है और इस के परिणाम वीडियो टेप पर प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त करता है।

2. यथार्थवत् शिक्षणः यथार्थवत् शिक्षण एवं अधिगम की ऐसी तकनीक है जिस में विद्यार्थियों को यथार्थ जीवन की कुछ घटनायें, प्रक्रियाएं अथवा स्थितियां प्रदान की जाती है और अभिनय के लिए कुछ भूमिकाएं प्रदान की जाती है जिनका उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है

8.8 अभ्यास के प्रश्नों के उतर Answer of practice Question

सत्य/असत्य बताइए

1) सत्य

2) सत्य

3) सत्य

8.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची Reference Books

वालिया। जे। एस (2009) शिक्षा तकनीकी, अहम पाल पब्लिशर्ज, जालन्धर शहर (पंजाब)

शर्मा। आर। ए। (2004) शिक्षा तकनीकी के तत्व एंव प्रबन्धन आर। लाल। बुक डिपो, मेरठ-2500

सक्सैना, एन। आर। स्वरुप (1994) शिक्षण कला एवं पद्धतियाँ (शिक्षण एवं परीक्षण के सिद्धान्त, लापल बुक डिपो, मेरठ।

वालिया जे। एस (1998) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, पाल पब्लिशर्ज, जालन्धर (पंजाब)

गुप्ता एस। पी (1992) आधुनिक मापन तथा मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन इलाबाद

शर्मा आर॰ ए॰ (2011) अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी आर॰ लाल॰ बुक, डिपो, मेरठ-25000

8.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री Useful Books

1. शिक्षा तकनीकी - डॉ॰ जे॰ एस॰ वालिया

2. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ॰ आर॰ ए॰ शर्मा

3. भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं - डॉ॰ एस॰ पी॰ गुप्ता

4. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ॰ सुरेन्द्र शर्मा एवं कमलेश परवारी

8.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Types Question)

1. सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए?
2. सूक्ष्म शिक्षण के सम्पूर्ण चक्र का वर्णन कीजिए?
3. यथार्थवत् शिक्षण से आप क्या समझते है?
4. यथार्थवत् शिक्षण के लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए?

इकाई -9 सक्षमत्ता पर आधारित अध्यापक- शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता Competency Based Teacher Education, Quality in Teacher Education

9.1 प्रस्तावना **(Introduction)**

9.2 उद्देश्य **(Objectives)**

9.3 सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा **(Competency Based Teacher Education)**

9.3.1 सक्षमता आधारित शैक्षिक कार्यक्रम **(Competency Based Educational Programmes)**

9.3.2 प्रभावशाली अध्यापक की सक्षमताएँ **(Competencies of a effective teacher)**

9.4 शिक्षक प्रभावशीलता (Teacher Effectivenesss)

9.4.1 प्रभावशाली शिक्षक के गुण **(Qualities of an effective teacher)**

9.4.2 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणात्मकता में सुधार **(Qualitative reforms in teacher training programme)**

9.5 अध्यापक सक्षमता शिक्षा पर आयोगों के सुझाव **(Recommendations of commissions on competency of teacher education)**

9.5.1 अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता **(Quality in Teacher Education)**

9.5.2 अध्यापक की जवाबदेही **(Accountability of a teacher)**

अपनी उन्नति जनिय **Check your Progres**

9.6 सारांश **(Summary)**

9.7 शब्दावली (Glossary)

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उतर **(Answers of Questions)**

9.9 संदर्भ ग्रंथ सूची **(Bibliography)**

9.10 सहायक उपयोगी पाठ्यसामग्री

9.11 निवन्धात्मक प्रश्न **(Long answer Questions)**

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

सक्षमता आधारित शिक्षा प्रदर्शन आधारित शिक्षा के रुप में भी जाना जाता है। यह शिक्षण में अपनी जवाबदेही के रुप में भी जाना जाता है। यह शिक्षण में अपनी जवाबदेही एक नये कठोर विचार के रुप में कर रहा है। सक्षमता आधारित शिक्षा (Competency Based Education) के सन्दर्भ में यह तर्क प्रेषित किया जा रहा कि अपने उत्पादों के लिए अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सक्षमता आधारित शिक्षा में दक्षता, छात्र के व्यवहार व अवलोकन पर आधारित होनी चाहिए। विद्यार्थी के लिए सीखने के उद्देश्य, व्यवहार, (Learning objective and behavior) अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी प्रगति दर प्रदर्शन क्षमताओं पर निर्भर करती है। सक्षमता आधारित शिक्षक - शिक्षा एक शिक्षक तैयारी का कार्यक्रम है। यह महारत शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान, कौशल, योग्यता (Knowledge, skill and ability) पर आधारित है। सक्षमता एक विशेष परिस्थितियों में एक विशिष्ट मानक प्रदर्शन कौशल है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अध्यापक शिक्षा में गुणवता व सक्षमता (Quality and Competency in teacher education) आधारित शिक्षा का विश्लेषण कर सकेगें।

9.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्न उद्देश्यों को भली भान्ति समझ सकेगे।

1. क्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा को जान सकेगे
2. अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को समझ सकेगे।
3. प्रभावशाली शिक्षक के गुणों को जान सकेगे।
4. अध्यापक शिक्षा की जवावदेही को समझ सकेगे।

9.3 सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा (Competency Based Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा में आवश्यक है कि शिक्षार्थियों एंव शिक्षक -व्यवहार (Teacher -behavior) का बोध होना चाहिए। शिक्षक की अवधारणा की परिभाषा तीन रूपों में की गई है:

(क) शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से

(ख) शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से

(ग) शिक्षक एक भूमिका के रूप से

शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से (Professional aspect of a teacher)

शिक्षक-व्यवसाय को कुछ लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जैसे; एक किसान का व्यवसाय (Profession of farmer) का लक्ष्य होता है कृषि की विभिन्न क्रियाओं का सम्पादन करना। इसी प्रकार शिक्षक-व्यवसाय में शिक्षक का उद्देष्य के अनुसार विभिन्न क्रियायें करनी होती हैं। एक डाक्टर का मुख्य लक्ष्य बीमार को स्वस्थ करने के लिये निदान करना तथा उसके उपचार हेतु दवा देन होता है। व्यवसाय के लक्ष्य का तात्पर्य कुछ उद्देश्य अथवा अन्तिम परिणाम से होता है, जो तार्किक रूप से परस्पर सम्बन्धित होते है।

आर॰ एस॰ डाउनी के अनुसार (According to R.S. Dayuni) : शिक्षक का कोई एक लक्ष्य नहीं होता है। विभिन्न शिक्षकों के अलग-अलग लक्ष्य होते हैं। इतना ही नहीं एक ही शिक्षक के अनेक लक्ष्य होते हैं। व्यवसाय लक्ष्य (Profession aim) का तात्पर्य शिक्षक के व्यवसाय से होता है।

शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से (Teacher’s as a skill objectives)

एक शिक्षक केवल ऐसा व्यक्ति ही नहीं होता कि व दूसरों की शिक्षा हेतु परिस्थिति उत्पन्न कर सके, अपितु अपने शिक्षण कार्य कुशलता एंव दक्षता (Efficiency and proficiency) भी विकसित करता है। वह सीखता ही नहीं, अपितु स्वयं भी अभ्यास से व्यवसाय- कौशल को विकसित कर लेता है। अनुभव की परिस्थिति सीखने का मुख्य आधार होता है। एक शिक्षक को अनेक कौशलों की आवश्यकता होता है। एक शिक्षक को शिक्षण -कौशल का सामाजिक कौशलों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक का उत्तरदायित्व अपने छात्रों के प्रति ही नहीं होता, अपितु प्रशासक के प्रति भी होता है। यह जानना भी आवश्यक है कि शिक्षण की भूमिका-निर्वाह का व्यवसाय क्यों माना जाता है। एक शिक्षक के उत्तरदायित्व एंव अधिकार (Responsibility and rights) होते हैं तथा प्रशासक से भी सम्बन्ध रखने पड़ते हैं।

रवीन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार (According to Ravinder Nath Tagore) : “एक शिक्षक जीवन-पर्यन्त छात्र ही रहता है, उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी नहीं रहती है। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय की पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। उन्होंने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी है”। उपरोक्त परिभाषा का सारांश है- दीप से दीप जले। शिक्षक को जॉन लेटिन (John Latin) से भी सम्बोधित किया जाता है, जिसमें जॉन का अर्थ छात्र तथा लैटिन का अर्थ विषय होता है। इस

प्रकार शिक्षक को अपने विषय तथा छात्रों की पूर्ण होना जानकारी होनी चाहिए तभी वह प्रभावशाली या आदर्श शिक्षक (Ideal Teacher) माना जा सकता है।

आज शिक्षण में नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों (Moral Values and Social Ideals) को महत्व नहीं जाता, अपितु शिक्षण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रभावशाली शिक्षण

शिक्षक एक भूमिका के रूप से-

शिक्षा के कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रभावशाली अध्यापक (Effective teacher) तैयार करना है। प्रभावशाली अध्यापक जन्मजात होते हैं तथा प्रशिक्षण द्वारा तैयार भी किये जाते हैं। अध्यापक-शिक्षा एवं विकास प्रणाली है जिससे प्रभावशाली अध्यापक तैयार किये जाते हैं। अध्यापक तैयार करने की प्रयोगशाला विद्यालय को माना जाता है और विद्यालय की कक्षा कार्यशाला है। इस कार्यशाला (कक्षा) (Workshop) में विकास की क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इन कक्षाओ की प्रमुख क्रिया शिक्षण होती है। जब छात्र-अध्यापकों को मुख्य शिक्षण अभ्यास (Exercise) का अवसर दिया जाता है तब उसे 'छात्र- शिक्षण ' कहते हैं। छात्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण कौशल एवं सक्षमाताओं का विकास करना है।

स्कैनक के अनुसार (According to Scanak):– सक्षमता आधारित शिक्षा परिणाम पर आधारित है। यह विद्यार्थी, अध्यापक व समुदाय की बदलती आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा है जिसमें विधार्थियो की योग्यता, क्षमताएँ व स्थितियों का वर्णन है।

सैवेज के अनुसार (According to Savage, 1978):– सक्षमता आधारित शिक्षा, के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण है। इसमें जीवन के कौशल (Skills of life) पर बल दिया जाता है। जीवन में व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अतः हम कह सकते हैं कि दक्षता या सक्षमता, आवश्यक कौशल, ज्ञान के वर्णन से मिलकर निर्मित होती है। वास्तविक संसार में दृष्टिकोण और व्यवहार में प्रभाव प्रदर्शन अत्यावश्यक है। यह कार्य के क्षेत्र तथा सामाजिक अस्तित्व के लिए जोड़ा गया है। सक्षमता आधारित शिक्षा परिवार, समुदाय, व्यस्कों व कार्यस्थल के लिए आवश्यक है।

9.3.1 सक्षमता आधारित शैक्षिक कार्यक्रम (Competency Based Educational Programmes)

1. विशिष्ट, मापित योग्यता।

2. विद्यार्थी लक्ष्य आधारित सामग्री (परिणामों/दक्षताओ) के आधार पर।

3. शिक्षण तकनीकों और समूह की गतिविधियों का प्रयोग करना।

4. शिक्षार्थी अधिगम की किन आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना।

5. जीवन कौशल के सन्दर्भित बुनियादी कौशल का प्रयोग करना।

6. ग्रन्थ, मीडिया और वास्तविक सामग्री को लक्षित करने वाली दक्षताओं का प्रयोग करना।

7. शिक्षार्थियों को निष्पादन करना।

8. सीखने की जरुरत के लिए निर्देश प्रदान करना।

9.3.2 प्रभावशाली अध्यापक की सक्षमताएँ (Competencies of an effective teacher)

1. अध्यापक को अपने विषय का स्वामित्व होना चाहिए तथा अपने छात्र की पूर्ण-जानकारी रखना भी आवष्यक है।

2. अध्यापक का प्रभाव उसके वस्त्रों तथा छात्रों के सम्बोधन का पड़ता है। अध्यापक- संस्थाओं में यूनीफोर्म को अनिवार्य किया गया है। इसका अर्थ होता है कि देखने में अध्यापक जैसा लगे और अध्यापक जैसा व्यवहार करें।

3. अध्यापक का अपने सम्बन्धो एवं भूमिकाओं (Roles and relations) का समझना चाहिए तथा उनका समुचित रुप में निर्वाह करना चाहिए।

4. अध्यापक को शिक्षण, आयामों, विधियों, एवं सूत्रों (Methods and formulas) का ज्ञान और कौशल होना आवश्यक है।

5. अध्यापक को शिक्षण कौशल, भाषायी कौशल (Language Skill) तथा सामाजिक कौशलो का ज्ञान होना और उनका उपयोग करना आना चाहिए।

6. अध्यापक का सम्प्रेषण (Communication) की विधियों का प्रस्तुतीकरण का बोध एवं कौशल होना चाहिए।

7. शिक्षण सहायक सामग्री तथा दृश्य-श्रवय सहायक सामग्री (Audio-visual aids)का ज्ञान एवं कौशल होना आवश्यक है।

8. शिक्षण की क्रिया में निदान एवं सुधार (Diagnosis and Reform) भी प्रस्तुतीकरण के साथ होना आवश्यक होता है।

9. शिक्षण के समय कक्षागत समस्याओं (Classroom Problems) का समाधान करने की सक्षमता आवश्यक है।

10. अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को पुनर्बलन तथा अभिप्रेणा (Reinforcement and Motivation) भी देनी चाहिए। अध्यापक को हास्य-विनोद भी करना आवश्यक होता है जिससे कक्षा का वातावरण अच्छा होता है।

9.4 शिक्षक प्रभावशीलता (Teacher Effectiveness)

वर्षो से प्रभावशाली शिक्षक अथवा शिक्षक -कुशलता का समझने व परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षक प्रभावशीलता की परिभाषा अपने-अपने दृष्टिकोण से दी है। शिक्षक -प्रभाव सम्बन्धी यह भिन्नता तथा अस्पष्टता स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण निःसन्देह एक सापेक्षिक विषय है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छे या कुशल शिक्षक का विचार उसके पूर्व अनुभव, मूल्य, अभिवृत्ति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। छात्रों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, रूचि (Knowledge, skill, and interest) आदि के विकास के फलस्वरूप ही छात्रों में विकास सम्भव है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो उसक सम्मुख कुछ उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरन्तर करता रहता है। जिस सीमा तक वह अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक है।

क्रेन्ज तथा बिडाल **(Kreng and Bidal,** 1964) के अनुसार

1. शिक्षा के लक्ष्यों का प्राप्त करने की शिक्षा की योग्यता ही शिक्षक क्षमता या कुशलता कहलाती है। इसक मापन शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, पूर्व अनुभव, शैक्षिक निष्पत्ति (Educational performance) से किया जाता है।

2. शिक्षा के कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक क्रियाये व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताएं (Personality related characteristics ही शिक्षक क्षमता है। इसका मापन व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है।

3. दिये हुए शैक्षिक लक्ष्यों (Educational objectives) को प्राप्त करने में सहायक शिक्षक कुशलता का परिचायक है।

9.4.1 प्रभावशाली शिक्षक के गुण (Qualities of an effective teacher)

इस पक्ष में शिक्षक की मानसिक क्षमता, शिक्षा, विषय सम्बन्धी ज्ञान, शिक्षण अनुभव (Mental Efficiency, education, subject related knowledge and teaching experience) आदि पर चर सम्मिलित होते हैं। प्रभावशाली शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बुद्धिमान हो तथा उसकी उच्च शैक्षिक निष्पत्ति हो। ए०एस०बार (1967) ने अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष के फलस्वरूप शिक्षक की निर्णय लेने की क्षमता, विचार शक्ति तथा मानसिक जागरूकता का उसकी शिक्षण कुशलता से गहरा सम्बन्ध बताया।

(1) ज्ञानात्मक विशेषताएं **(Cognitive characteristics)**

प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश देते समय इस बात का भी विशेष महत्व दिया जाता है कि जो छात्र इस व्यवसाय में सम्मिलित हेा वह कम से कम औसत शैक्षिक निष्पत्ति वाले हो। यह सत्य है कि किस प्रकार संवेगात्मक (Emotional) दृष्टि से अस्थिर व्यक्ति शिक्षा व्यवसाय में सफल नहीं होता, उसी प्रकार निम्न शैक्षिक स्तर वाला व्यक्ति प्रभावशाली शिक्षण (Effective teaching) नहीं कर पाता है। यह देखा गया है कि उच्च स्तरीय ग्रेड बिन्दु का श्रेष्ठ शिक्षण से घनात्मक सह-सम्बन्ध है।

प्रशिक्षण काल में शिक्षक के अध्यामन- अभ्यास की निष्पत्ति का भी शिक्षण कुषलता के साथ धनात्मक सम्बन्ध होता है। साठमन तथा एशर (1964) ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक के शैक्षिक स्तर तथा शिक्षण -अभ्यास प्रोग्राम (Teaching Exercise Programme) का कक्षा अनुशासन तथा विषय की तैयारी के साथ गहरा सम्बन्ध है। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान कितना है ? तथा विषय की तैयारी व किस प्रकार करता है? इसक प्रभाव भी उसकी शिक्षण कुशलता पर पड़ता है।

2) भावानात्मक विशेषताएं **(Emotional characteristics)**

भावनात्मक विशेषताओं के अन्तर्गत शिक्षक के संवेग, रूचियां, अभिवृति मूल्य तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताएं आती है।

एन्डरसन (Anderson) का कहना था कि प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा व वांछित प्रभाव चक्र को उत्पन्न करने वाले होते है। समन्वयी शिक्षक से पढ़ने वाले छात्र भी समन्वयी मनोवृति वाले हो जाते है तथा इन छात्रों में अधिक स्वभाविकता व अच्छा संवेगात्मक व सामाजिक **(Emotional and social)** समायोजन पाया जाता है।

एन्डरसन (Anderson) ने निष्कर्ष निकाला कि समन्वयी शिक्षक सभी प्रकार के छात्रों के साथ अधिक प्रभावशाली होते है, जबकि कम समन्वयी शिक्षक कक्षा में कम प्रभावशाली होते है तथा कक्षा में भय की स्थिति अधिक होती है। जैसे कम प्रवीण शिक्षकों के छात्रों में उत्साह व प्रेरणा का अभाव होता है। शिक्षक के व्यक्तिगत के साथ छात्र की निष्पति का गहरा सम्बन्ध होता है।

3) गतिशील एवं कौशल सम्बन्धी विशेषताएं **(Dynamic and Skill based characteristics**) शिक्षक छात्रों के समझ एक आदर्श प्रतिमान होता है, जिसका अनुकरण छात्र करते है। अतः शिक्षक में पूर्ण कौशल नितान्त आवश्यक है, ताकि वह छात्रों की त्रुटियों को शुद्ध कर सकें तथा उन्हें सही क्रिया करने का निर्देश दे सके। छात्रों को सही शिक्षा स्वयं शिक्षक भी दे सकता है अथवा फिल्म या अन्य दृश्य-श्रव्य (Audio visual or film) अन्य साधन की सहायता भी ले सकता है।

9.4.2 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणात्मकता में सुधार (Qualitative reforms in teacher training programme)

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सार है - 'गुणात्मकता' (Qualitative) और इसके न रहने पर अध्यापक शिक्षा ने केवल आर्थिक तौर पर बेकार है बल्कि शिक्षा स्तर के सम्पूर्ण स्रोत का ह्रास है। इसलिए अध्यापक शिक्षा ने केवल सुधार के लिये निम्न संस्तुतियां दी गयी है।

1. प्रशिक्षण कॉलेजों के स्टाफ के लिए एक प्रकार से योजनाबद्ध विषय के अनुरूप मुख्य अभिविन्यास पाठ्यक्रम का संगठन है।

2. सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा में संगठित एकीकरण पाठ्यक्रम को प्रस्ताविक किया जिससे कि शिक्षकों के पाठ्यक्रम संकुचित (Narrow Curriculum) न हो जाऐ।

3. परिशोधित शिक्षण की विधियां जोकि स्वयं अध्ययन और विचार विमर्श का व्यापक स्रोत रखती है और परिशोधित मूल्यांकन (Evaluation) करती हो तथा शिक्षण अभ्यास का भी प्रयोग किया जाए।

4. सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों का दोहराया जाये। प्रशिक्षण कॉलेजों (Training colleges) का पाठ्यक्रम उत्थान व विकास होना चाहिए।

5. छात्राध्यापकों की फीस माफ हो और उन्हें छात्रवृति तथा ऋण उपलब्ध हो।

6. हॉस्टल तथा प्रयोगात्मक स्कूलों की सुविधाए उपलब्ध हो जहां कि Staff के लोग सिद्धान्त को पुष्टि करने के लिए प्रयोग कर सके। छात्राध्यापकों को भी यह अवसर उपलब्ध हो कि वह एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर सके जोकि उन्हें प्रशिक्षण कॉलेजों में पढ़ाया गया है।

7. विषय विशेषीकरण को प्रस्तावित करने की संस्तुति तथा यह विशेषीकरण करने की अनुमति उस छात्रा को होनी चाहिए जिसने स्नातक स्तर पर विषय का अध्ययन किया है।

8. प्रशिक्षण कॉलेजों में केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के छात्रों को ही चयनित किया जाए किसी भी तृतीय श्रेणी के छात्र को प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला न दिया जाए।

9. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप इत्यादि की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए।

9.5 अध्यापक सक्षमता शिक्षा पर आयोगों के सुझाव (Recommendations of commissions on competency of teacher education)

(i) भारतीय शिक्षा आयोग (Indian Education Commission, 1882)

सन् 1882 में भारतीय शिक्षा की अनियमितताओं की जांच के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, कमीशन ने जांच करने के पश्चात् भारतीय शिक्षा में कुछ सुधार भी स्वीकृत किये। पूर्णतः अपने अनियमितताओं को दूर करने के निम्न सुझाव दिये

1. आयोग ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थायें भी विस्तृत की जानी चाहिए व स्कूलों का विकास किया जाए।

2. शिक्षक प्रशिक्षण की गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए कमीशन ने एक परीक्षा कार्यन्वित वाले ही शिक्षकों के लिए योग्य होने चाहिए।

3. स्नातक के लिए अलग प्रशिक्षण स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए और अस्नातक के लिए स्कूलों की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। स्नातकों के लिए तथा उच्च स्तर के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार इनके कार्यक्रम भिन्न होने चाहिए।

इस सन्दर्भ में एस०एन० मुखर्जी लिखते हैं कि “आयोग कहता है कि अस्नातक तथा स्नातकों को अलग-अलग प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को पहचाना जाना चाहिए और इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम के आधार भी अलग-अलग होने चाहिए।”

(II) भारत सरकार 1904 की नीति (Govt of India 1904 Policy)

भारतीय सरकार के 1904 के पुनर्समाधान में शैक्षिक नीति में अध्यापक प्रशिक्षण की समस्या पर बल दिया गया और घोषणा की गई कि ’’यदि उच्च स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन का कार्य बढ़ाना है, यदि विद्यार्थियों में पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होने की प्रवृति एवं रटने की प्रवृति बढ़ानी है तो यूरोपीय ज्ञान का प्रसार (Propagation of knowledge) उपयुक्त विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। तब यह आवश्यक है कि शिक्षण की कला (Art of teaching) में शिक्षकों को प्रशिक्षित होना चाहिए।

(III) सैडलर आयोग (Sadler Commission, 1919)

सैडलर आयोग -सन् 1919 में सैडलर आयोग (Sadler Commission) ने कलकता विश्वविद्यालय के सुधार के लिए संस्तुतियों के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational training) में विश्वविद्यालय की भूमिका पर बल दिया। इस आयोग ने कई संस्तुतियां दी

1. प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा के एक विभाग की स्थापना हो
2. शिक्षा में स्नातकोतर (एम०एड०) की उपाधि को रखने का प्रस्ताव दिया।
3. इसने सलाह दी की शिक्षा को इण्टरमीडिएट स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
4. इन विश्वविद्यालयों में भौतिक सुविधायें (Physical facilities) आयात की जानी चाहिए।

(IV) कोठारी आयोग के अनुसार (Kothari Commission, 1964-66)

भारत के भविष्य को कक्षाओं में निर्मित किया जा रहा है। अब हम यह समझते हैं कि यह केवल प्रभावषाली व्याख्यान नहीं है। आज का संसार जोकि विज्ञान तथा तकनीक पर आधरित है यहाँ केवल शिक्षा ही लोगों में उन्नति तथा कल्याण (Development and welfare) के लिये कार्य कर सकती है। इसके बाद आयोग यह स्वीकार करता है कि षिक्षा ही राष्ट्र को भोजन के प्रति आत्मनिर्भर, आर्थिक विकास पूर्ण रोजगार राजनैतिक विकास, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकीकरण

(Political development, social and national integrity) की ओर ले जा सकती है। आयोग यह अनुभव करता है कि शैक्षिक क्रांति को लोगों की जिन्दगी, आवश्यकताओं तथा आशाओं को शिक्षा से जोड़ा जाय। कोठारी आयोग का मानना है कि इस कार्य में शिक्षकों का स्थान अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

‘‘ शिक्षा के स्तर को जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इसका जो योगदान राष्ट्र के विकास में है, उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात शिक्षक के गुण योग्यता तथा चरित्र है‘‘।

9.5.1 अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता (Quality in Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा **(Teacher Education)** के क्षेत्र में गुणवता का माहौल तैयार करने में अध्ययन की शैली, प्रेरणा, माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, घर का वातावरण, इत्यादि कारक निर्भर करते हैं शिक्षा का उद्देश्य मात्र उनमें निष्चित कौशल एवं योग्यताओं का विकास करना नहीं है वरन् शिक्षण में रुचि उत्पन्न करें यह आवश्यक है, क्योंकि यदि एक अध्यापक शिक्षण में रुचि रखता है तो वह नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा व निरन्तर आगे बढ़ते हुए अच्छे से अच्छे प्रयास करेगा। अध्यापक कक्षा में इस उद्देश्य से प्रवेश करता है कि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस उद्देश्य के लिए योजना की आवश्यकता होती है, इसमें छात्र के मस्तिष्क की सहायता से की जाती है। योजना कुछ निश्चित नियमो पर आधारित होती है जैसे-योजना का उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण (Content analysis) अधिगम क्रिया एवं मूल्यांकन। अध्यापक प्रारुप तैयार करता है, जिसे शिक्षा में क्रियान्वित करता है। प्रेरणात्मक क्रियाएं कक्षा में की जाती हैं। अब शिष्य का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, अब यदि विद्यार्थी ने सीख लिया है तो वहाँ उसे पुनर्बलन मिलना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा के सभी के सिद्धान्तों के पाठ्यक्रमो के साथ-साथ प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम (Experimental curriculum) के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम है। अध्यापक को कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए दिया जाता है, गतिविधियों के लिए सूची तैयार की जाती है। योजना में विद्यार्थी-अध्यापको अपने पाठ्य-योजना (Lesson planning) बनाने में सहायता प्रदान करना ही नहीं अपितु उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया जाये कि वे एक अच्छे शिक्षक बन सकें। निश्चित अनुभवों के द्वारा छात्र-अध्यापक (Student – teacher) को कार्य को समझाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी प्रकरण पर विचार-गोष्ठियो का आयोजन किया जा रहा है। ‘अध्यापक- शिक्षा की गुणवत्ता’ पर विचार-विमर्श में विषय विशेषज्ञ तथा अध्यापक- शिक्षा के प्रवक्ताओं की भागीदारी रहती है। अध्यापक- शिक्षा की गुणवत्ता का विवेचन कक्षा से बाहरी पक्षों पर किया जाता है। कक्षा आन्तरिक पक्षों को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि कोठारी आयोग ने आरम्भ में ही कथन दिया है कि “भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है”। स्वतन्त्रता के बाद से अध्यापक- शिक्षा संस्थाओं का विकास अधिक हुआ

है, परन्तु प्रभावशाली अध्यापक तैयार नहीं हो पर रहे हैं। इसलिये अध्यापक- शिक्षा परिषद् की स्थापना इसी उद्देश्य से ही गई राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक- शिक्षा में गुणवत्ता का विकास किया जाये, परन्तु यह परिषद् इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर पा रही है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापक वृत्ति हेतु अध्यापकों के लिए मानक तथा आचरण सम्बन्धी नियमावली का निर्माण नहीं किया है, अपितु नई संस्थाओं (अध्यापक- शिक्षा) को मान्यता हेतु परिनियमावली का निर्माण किया है, जिसका अध्यापक वृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है, यहाँ तक बिना शैक्षिक अहिर्ताओं के प्रषिक्षण संस्थाओं में अध्यापक कार्य पर रहे हैं।

‘ शिक्षा में गुणवत्ता ’ का प्रकरण अर्थ ऐसा है; जैसे सूर्य में प्रकाश, चन्द्रमा में शीतलता, शहद में मिठास, जल में निर्मलता, पुष्प में सुगन्ध आदि। इन प्रकरणों के प्रथम शब्द से ही उसकी विशेषता का बोध होता है। सूर्य शब्द ही प्रकाश विशेषता (गुण) को प्रकट करता है। इसी प्रकार शिक्षा मानव की उत्कृष्टता तथा नैतिकता की अभिव्यक्ति करती है। शिक्षा के पवित्र तथा उत्कृष्ट कोई भी प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, विनम्र बनाती है तथा मुक्ति प्रदान करती है। शिक्षा अनुभूतियों तथा संवदेनाओं की जाग्रत करती है, जिनकी शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति करना सम्भव नहीं है। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता प्रकरण की चर्चा अर्थहीन है।

9.5.2 अध्यापक की जवाबदेही (Accountability of a teacher)

शिक्षा के राष्ट्रीय आयोगों, शिक्षा समितियों तथा शिक्षाविदो ने विद्यालय की शिक्षा हेतु कार्यक्रमों, भूमिकाओं, उतरदायित्वों तथा जवाबदेही के सम्बन्ध में सुझाव तथा संस्तुतियां दी है। विद्यालय शिक्षा में जवाबदेही से और उतरदायित्व की भूमिका से शिक्षण कार्यो का संचालन किया जाता है और विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। विद्यालय की शिक्षा में प्राचार्य एवं अध्यापकों की भूमिका तथा उतरदायित्व (Role and responsibility) होता है। विद्यालय के संचालन की जवाबदेही प्राचार्य तथा अध्यापकों की होती है। जवाबदेही का अर्थ होता है उतरदायित्व का निर्वाह करना। कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को जवाबदेही कहते है। यहा जवाबदेही की परिभाषायें भी दी गई है।

जाकिर हुसैन के शब्दों मे, **(In words Zakir Hussain)** “हमारे सभी विद्यालय का कार्य क्षेत्र समुदाय होंगे। इस शैक्षणिक संस्थाओं में, छात्रों को प्रयोग करने, खोज करने, कार्य करने, रहने की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए, जहां कार्य चरित्र का निर्माण करेगा, जहां रहना जीवन का निर्माण करेगा, सभी स्वस्थ कार्यों और अच्छे जीवन की तरह वे उन सहयोगी सामुदायिक घरों की तरह बन जायेगे जो अपने आन्तरिक स्वःअनुशासन(Self- discipline) , स्वःअनुभव और आपसी सहायता से

सहयोग एवं आत्मबल की वृद्धि, उतरदायित्वों की स्वीकृति के कार्यों में लगे रहेगे।'' इस प्रकार लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब विद्यालय की क्रियाओं के प्रति उसके कर्मचारियों की कार्य सम्बन्धी जवाबदेही पर विशेष बल दिया जाए। सभी को अपने को अपनी वृति में प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के अनुसार, (According to Secondary Education Commission) "जीवन जीने की कला'' एक विस्तृत धारणा है, जिसमें विद्यालय के द्वारा सामाजिक जीवन की लोकाचार, शिष्टता, सामायिक जीवन हेतु काय्र करने की क्षमता, धैर्य, निष्कपटता, निर्भिकता, अच्छा स्वभाव एवं सरलता, सेवा-भाव, साथी को सहयोग, अनुशासन आदि सम्मिलित होते है। यह कार्य पूर्ण निष्ठा, आस्था एवं उतरदायित्व के रूप में सम्पन्न किए जाने चाहिए। इन कार्यो के प्रति जवाबदेही भी एक समुचित रूप में मार्गदर्शन प्रदान करती है। वस्तुतः जवाबदेही में ही विद्यालय कार्यों का समावेश होता है। इस के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी अपनी संस्था के प्रति समर्पित होता है। यह कर्मचारी को अपने उतरदायित्व की ओर सचेत करती है। साथ ही प्रत्येक कार्य को बहुत सजगता तथा क्रमबद्ध रूप में करने पर बल देता है।

अपनी उन्नति जानिय Check your Progress

क) अपने उतर को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए।

ख) अपने उतर को इकाई के अन्त में दिए उतर के साथ मिलाइये।

1. (i) सक्षमता पर आधारित अध्यापक- शिक्षा क्या है?

   (ii) शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से कैसे है?

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। **(Fill in blanks questions)**

(i) शिक्षक प्रभावशीलता में अहम भूमिका ------- पक्ष की होती है।

(ii) शिक्षक को जलते हुए दीपक की संज्ञा ------- ने दी।

(iii) अध्यापक गुणवता (Teacher quality) में ------- को महत्व दिया जाता है।

(iv) अध्यापक की गुणवता का सम्बन्ध -------- पक्ष से होता है।

3. सत्य/असत्य प्रश्न **(True / False Question)**

(i) अध्यापक प्रभावशीलता के तीन पक्ष-योग्यता, प्रक्रिया तथा उपलब्धियां (उत्पादन) होते हैं। सत्य/असत्य

(ii) अध्यापक प्रभावशीलता में व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। सत्य/असत्य

(iii) अध्यापक क्या कहता है और क्या करता है इसमें करता पक्ष प्ररभावशाली होता है। सत्य/असत्य

4. बहु-विकल्पीय प्रश्न **(Multiple choice questions)**

(i) अध्यापक की आचार संहिता की प्रकृति होती है:-

(क) ज्ञानात्मक (ख) भावात्मक

(ग) क्रियात्मक (घ) उपरोक्त सभी

(ii) अध्यापक प्रत्यय का पक्ष होता हैः-

(क) उद्देश्य (ख) कौशल

(ग) भूमिका (घ) उपरोक्त सभी

(iii) अध्यापक गुणवता का मूल तत्व हैः-

(क) मूल्य (ख) विश्वास

(ग) आस्था (घ) उपरोक्त सभी

9.6 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं कि अध्यापक शिक्षा में प्रभावषीलता का मानदण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सक्षमता पर आधारित अध्यापक- शिक्षा में शिक्षक -व्यवसाय, शिक्षक -कौशल (Teacher skill) व शिक्षक एक महत्वपूर्ण अभिकरण का कार्य करता है। एक-अध्यापक शिक्षण में कार्य-कुशलता एवं दक्षता विकसित करता है। वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अध्यापक शिक्षा में गुणवता की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावशाली अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह बुद्धिमान हो। अध्यापक शिक्षा में गुणवता के लिए कार्यक्रमों में सुधार अनुभवों तथा परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए।

9.7 शब्दावली (Glossary)

1. सक्षमता **(Competency)**: यह कार्यात्मक दृष्टिकोण है। इसमें जीवन के कौशल पर बल दिया जाता है। जीवन में व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

2. गुणवता **(Quality)**: योग्यता, प्रक्रिया व उत्पादन का मिश्रण गुणवता है। किसी वस्तु को कोई कितना महत्व देता है यह उस वस्तु को कोई कितना महत्व देता है यह उस वस्तु की गुणवता मानी जाती है।

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उतर (Answers of Questions)

1. (i) अध्यापक- शिक्षा **(Teacher Education)** में आवश्यक है कि शिक्षक व्यवहार का बोध होना चाहिए। सक्षमता आधारित शिक्षा परिणाम पर आधारित है। यह विद्यार्थी, अध्यापक व समुदाय की बदलती आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा है। यह कार्यात्मक दृष्टिकोण है।

(ii) शिक्षक व्यवसाय **(Teacher Profession)** के शिक्षक को उद्देश्य के अनुसार विभिन्न क्रियाऐं करनी होती हैं। एक शिक्षक का जो लक्ष्य होता है उसे शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए। शिक्षण के अन्तिम लक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. (i) भावात्मक

   (ii) रविन्द्रनाथ टैगोर

   (iii) आचार संहिता

   (iv) भाव

3. (i) सत्य (ii) सत्य (iii) सत्य

4. (i) (घ) (ii) (घ) (iii) (घ)

9.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. शर्मा, आर० ए० (2011) अध्यापक- शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी, आर० लाल० बुक डिपो, मेरठ-25000।

2. सक्षमता आधारित शिक्षा और मानक सामग्री, परिभाषाएं एवं अवयव, (2006), कैथलेन सैंटपितरौ वैडल, उत्तरी कोलारडो, साक्षरता संसाधन केन्द्र।

3. वॉल, एफ॰ डगलस, सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा, आचार्य (शिक्षा), राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज, ऑनीयटां, न्यूयार्क।

4. Singh, R.P. (2011) Teacher Education Today, Shipra Publication, New Delhi ISBN-978817541531

5. Sharma, T.C. (2005): Teaching Learning Theory and Teacher's Education, Sarup and Sons, ISBN-No: 9788176255707.

9.10 सहायक उपयोगी पाठ्यसामग्री Useful Books

1. Sharma, T.C. (2005): Teaching Learning Theory and Teacher's Education, Sarup and Sons, ISBN-No: 9788176255707.

2. Townsend, Tony, Richard, Handbook of Teacher Education, Published by Springer, ISBN: 978-1-4020-4773-22.

3. Singh, R.P. (2011): Teacher Education Today, Shipra Publication, New Delhi, ISBN No: 978817541531.

4 मंहन्त, जे अध्यापक शिक्षा, दीप एंड दीप प्रकाशन, ISBN: 8176294640

5 ए शर्मा, आर॰ ए॰ (2011): अध्यापक- शिक्षा, एवं प्रशिक्षण तकनीकी आर॰ लाल॰ बुक डिपोट, मेरठ।

6 सक्षमता आधारित शिक्षा और मानक सामग्री परिभाषाएं एवं अवयव, (2006), कैथलेन सैंटपितरौ, बैडल उत्तरी कोलारजे, साक्षरता संसाधन केन्द्र।

7 गुप्ता, ए एस॰ पी॰ 'अध्यापक- शिक्षा '

9.11 निवन्धात्मक प्रश्न (Long answer Questions)

1. सक्षमता पर आधारित शिक्षा से क्या अभिप्राय है? संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।

2. शिक्षक प्रभावशीलता एवं शिक्षण प्रभावशीलता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

3. अध्यापक व्यवसाय की आचार संहिता की विवेचना कीजिए।

4. अध्यापक शिक्षण की गुणवता का प्रबन्धन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

5. अध्यापक शिक्षा की गुणवता के लिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया की उपादेयता का विवेचन कीजिए।

6. अध्यापक सक्षमता का अर्थ समझाइए। अध्यापक प्रभावशीलता के आयामों की विस्तृत में विवेचना कीजिए।

7. अध्यापक शिक्षण की गुणवता का प्रबन्धन का अर्थ बताइये तथा इसका विवेचन कीजिए।